तृतीय माला, खण्ड १८—अंक ५२

शुक्रवार, २६ अप्रैल, १९६३
६ वैशाख, १८८५ (शक)

लोक-सभा
वाद-विवाद

(चौथा सत्र)

3rd Lok Sabha

(खण्ड १८ में अंक ५१ से अंक ६१ तक हैं)

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

एक रुपया (देश में)

चार शिलिंग (विदेश में)

विषय सूची

पृष्ठ

प्रश्नों के मौखिक उत्तर--

तारांकित* प्रश्न संख्या १०४७ से १०५५, १०५७ और १०६१ से १०६४ . . . . ५२५१--७८

प्रश्नों के लिखित उत्तर --

तारांकित प्रश्न संख्या १०५६, १०५८ से १०६०, १०६५ और १०६६ . ५२७८--८१

अतारांकित प्रश्न संख्या २३६४ से २४१३ . ५२८१--५३०२

सभा पटल पर रखे गये पत्र ५३०३

प्राक्कलन समिति ५३०३

कार्यवाही सारांश

राज्य सभा से संदेश ५३०४

१९६३-६४ की फसल में चावल और गेहूं के मूल्य संधारण के बारे में वक्तव्य ५३०४--०६

श्री स० का० पाटिल ५३०४--०६

सभा का कार्य ५३०६

राज भाषायें विधेयक ५३०७--४७

खंड २, ३ तथा ४

अनिवार्य जमा योजना विधेयक ५३४७--५२

खंड ४

दैनिक संक्षेपिका . . . ५३५३--५७

---

*किसी नाम पर अंकित यह + चिह्न इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उसी सदस्य ने वास्तव में पूछा था ।

लोक-सभा

शुक्रवार, २६ अप्रैल, १९६३

६ बैशाख, १८८५ (शक)

लोक–सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

(**अध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

कैमरों का कारखाना

†१०४७. { **श्री सुबोध हंसदा :**
श्री स० चं० सामन्त :
श्री म० ला० द्विवेदी :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एक जापानी फ़र्म के सहयोग से स्थापित किये जाने वाले कैमरों के कारखाने का विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन नेशनल इंस्ट्रूमेंट्स लिमिटेड को मिल गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार द्वारा इस पर विचार कर लिया गया है तथा इसे स्वीकार कर लिया गया है ; और

(ग) परियोजना प्रतिवेदन को तैयार करने पर कितनी धन-राशि व्यय हुई है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो)** : (क) विस्तृत परयोजना प्रतिवेदन जापानी सहयोगियों द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर स्वयं नेशनल इंस्टरूमेंट्स लिमिटेड द्वारा तैयार किया गया है ।

(ख) यह अभी विचाराधीन है ।

(ग) उपयुक्त भाग (क) के उत्तर को देखते हुये प्रश्न ही नहीं उठता ।

†**श्री सुबोध हंसदा** : क्या मैं जान सकता हूं कि परियोजना की स्थापना के लिये दुर्गापुर को ही एक उपयुक्त स्थान क्यों चुना गया है ?

†मूल अंग्रेजी में

578 (Ai) LSD—1.

†**श्री कानूनगो** : दुर्गापुर को इसलिये चुना गया था कि क्योंकि वहां ऐनकों के शीशे का एक कारखाना खोलने का प्रस्ताव था और यदि इन दोनों संयंत्रों को जो कि एक दूसरे से संबद्ध हैं एक ही स्थान पर बनाया जाये तो भूमि और बस्तियों को तैयार करने का उपरि व्यय थोड़ा होगा।

†**श्री सुबोध हंसदा** : नेशनल इंस्ट्रूमेंट्स लिमिटेड ने जब स्वयं ही परियोजना प्रतिवेदन तैयार किया है तो क्या मैं जन सकता हूं कि जापानी फर्म का सहयोग प्राप्त करने का क्या कारण है?

†**श्री कानूनगो** : जापानी सहयोग आवश्यक है क्योंकि कैमरा-निर्माण के बारे में जानकारी जो कि बहुत जटिल है इस कम्पनी के पास नहीं है।

†**श्री स० चं० सामन्त** : माननीय मंत्री कहते हैं कि इस परियोजना सर्वेक्षण में सहयोग जापानी फर्म से नहीं लिया गया है । क्या मैं जान सकता हूं कि इस परियोजना के लिये किस प्रकार का सहयोग लिये जाने का विचार है ?

†**श्री कानूनगो** : वस्तुतः परियोजना प्रतिवेदन प्रस्तावित जापानी सहयोगियों के परामर्श से तैयार किया गया है जिन्होंने आवश्यक रेखाचित्र तथा प्रक्रिया पत्र दिये हैं । जब वास्तविक सहयोग मिलने लगेगा, जब सरकार निर्माण कार्यक्रम आरम्भ करने का निर्णय कर लेगी तब प्रविधिक शुल्क, स्वामिस्व इत्यादि पर चर्चा करनी होगी ।

†**श्रीमती सावित्रि निगम** : कैमरों की बढ़ती हुई मांग को देखते हुए क्या मैं जान सकती हूं कि क्या निकट भविष्य में सरकार ऐसे ही कारखाने के लिये एक और लाइसेंस देने की बात सोच रही है ?

†**श्री कानूनगो** : यदि और परन्तु तो बहुत हैं। अभी मैं कुछ नहीं कह सकता ।

†**श्री कपूर सिंह** : क्या हम कुछ जान सकते हैं कि इस सहयोग योजना के फलीभूत होने पर प्रारंभिक उत्पादन में देशी तथा विदेशी अंगों में किस अनुपात के होने की संभावना है ?

†**श्री कानूनगो** : जब परियोजना का विश्लेषण किया जायेगा, जो कि विचाराधीन है, तब हम यह जानकारी दे सकेंगे ।

भारतीय माल ले जाने वाला जहाज

†*१०४८. **श्री महेश्वर नायक** : क्या **आर्थिक और प्रतिरक्षा समन्वय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ४००० टन इस्पात लेकर भारत आने वाला यूनानी माल-वाहक जहाज अमरीकी जहाज के कर्मचारियों के स्वदेश लौटा दिये जाने के कारण पोर्ट सईद में रुक गया है ;

(ख) यदि हां, तो किन परिस्थितियों के कारण माल रुका पड़ा है; और

(ग) भारत सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं ?

†**आर्थिक और प्रतिरक्षा समन्वय मंत्रालय में संभरण मंत्री (श्री हाथी)** : (क) और (ख). जी नहीं । माननीय सदस्य का संकेत कदाचित "ब्रिज हैम्पटन" नामक अमरीकी मालवाहक की ओर

---

†मूल अंग्रेजी में

है जो कि भारतीय रेलवे के लिये ३,८८८ टन इस्पात ला रहा है और पोर्ट सईद में रुक गया है ।

यदि ऐसा है तो जहाज के अमरीकी कर्मचारियों ने अपने पिछले वेतन न दिये जाने के कारण हड़ताल कर दी थी और तब से उन्हें अमरीकी प्राधिकारियों द्वारा स्वदेश लौटा दिया गया है ।

(ग) जहाज को अभी परित्यक्त घोषित नहीं किया गया है । काहिरा में हमारे राजदूतावास तो स्थिति पर निगाह रखने तथा सरकारी हितों की रक्षा के लिये आवश्यक कार्यवाही करने को कह दिया गया है ।

†**श्री भागवत झा आजाद** : क्या मैं जान सकता हूं कि इस हड़ताल अथवा चालकवृन्द या जहाज के मालिक के कुप्रबन्ध के कारण इस अवधि के दौरान हमारी सरकार को जिस हानि के होने की संभावना है क्या सरकार उसकी मांग कर रही है ?

†**श्री हाथी** : हम ने अपने काहिरा स्थित राजदूता वास को इस सिलसिले में आवश्यक कार्यवाही करने के लिये कहा है ।

†**श्री यशपाल सिंह** : क्या मैं जान सकता हूं कि इस से हमें कितना नुकसान हुआ है ? कारगो के देरी से पहुंचने के कारण कितना नुकसान हुआ है ?

†**श्री हाथी** : अभी नुक्सान नहीं हुआ है । लेकिन जब कारगो को अनलोड करना होगा और फिर भेजना होगा तो नुक्सान होना ।

हिन्दू धार्मिक धर्मस्व आयोग

*१०४९. **श्री भक्त दर्शन** : क्या **विधि** मंत्री २३ नवम्बर, १९६२ के अतारांकित प्रश्न संख्या ७९१ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिन्दू धार्मिक धर्मस्व आयोग के प्रतिवेदन पर, जो विभिन्न राज्य सरकारों को उनकी सम्पत्ति जानने के लिये भेजा गया था, किस-किस राज्य सरकार ने अब तक अपनी सम्पत्ति भेज दी है ;

(ग) शेष राज्य सरकारों से कब तक सम्मतियां प्राप्त हो जाने की आशा की जाती है ; और

(ग) केन्द्रीय सरकार उस प्रतिवेदन में की गई सिफारिशों पर क्या कार्यवाही कर रही है ?

†**विधि मंत्री (श्री अ० कु० सेन)** : (क) हिन्दू धर्मस्व आयोग के प्रतिवेदन पर अब तक पंजाब, गुजरात, मैसूर, महाराष्ट्र, और मद्रास की राज्य सरकारों ने और दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, त्रिपुरा, अन्दमान और निकोबार द्वीपों तथा लक्काद्वीप , मिनिकाय और अमीनदीवी द्वीपों के संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों ने अपनी रायें भेज दी हैं ।

(ख) राज्य सरकारों से निवेदन किया गया था कि वे अपनी सम्मतियां १५ मार्च, १९६३ तक भेज दें । जिन राज्य सरकारों ने अब तक अपनी सम्मतियां नहीं भेजी हैं उन्हें इस विषय में शीघ्र कार्यवाही करने के लिये अत्यावश्यक स्मरणपत्र भेजे गये हैं ।

(ग) प्राप्त हुई सम्मतियों के आधार पर प्रतिवेदन की पड़ताल की जा रही है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री भक्त दर्शन** : श्रीमन्, जिन जिन राज्य सरकारों ने अभी तक अपनी सम्मतियां भेजी हैं, उनमें उन्होंने मोटी मोटी बातें क्या रखीं हैं ? क्या उन्होंने इन सिफारिशों का समर्थन किया है या इसके विरोध में कोई राये दी हैं ?

†**श्री अ० कु० सेन** : सामान्य सिद्धान्त मानलिये गये हैं। केवल मद्रास सरकार ने कहा है, और जो कुछ उन्होंने कहा है उसमें काफ़ी सार है, कि रीति-रिवाज प्रत्येक राज्य में तथा प्रत्येक धर्म में अलग अलग हैं और इसलिये हो सकता है कि समस्त देश के लिये एक ही तरह का बनाया गया कोई विधान उपयुक्त न हो तथा चाहिये यह कि विभिन्न राज्यों में अलग अलग स्थितियों एवं परिस्थितियों का सामना करने की गुंजायश छोड़ दी जाए ।

†**श्रीरभक्त दर्शन** : श्रीमन्, अभी भी बहुत से राज्यों में इस सम्बन्ध में अपने अपने कानून बने हुए हैं जिन में काफ़ी अन्तर है। इस कमीशन ने जो एक मुख्य सिफारिश की थी वह यह थी कि एक मौडल लेजिस्लेशन बना करके उसे प्रसारित किया जाए। क्या इस सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार ने विचार किया है या इस बारे में कोई कार्रवाई की है ?

†**श्री अ०कु० सेन** : जैसा कि मैंने कहा है, जब विभिन्न राज्यों से मत प्राप्त हो जायेंगे तभी हम इस विषय पर निश्चित रूप से विचार कर सकेंगे तथा इस बारे में अन्तिम निर्णय कर सकेंगे कि क्या केन्द्र द्वारा एक अखिल भारतीय विधान पारित किया जाना चाहिये अथवा एक आदर्श विधान जिसका कि सभी राज्य अनुसरण कर सकें। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसका कि हमने कुछ और मामलों में पालन किया है, वह यह कि एक प्रतिरूप का अनुसरण करते हुए हम यहां कोई विधान पारित करते हैं और फिर राज्य सरकारों पर छोड़ देते हैं कि वे इसे अपनायें या न अपनायें या यदि वे चाहें तो इसमें ऐसे संशोधन करके अपनायें जिन्हें कि वे उचित समझते हों।

†**श्री दी० चं० शर्मा** : क्या मैं जान सकता हूं कि अन्त में यदि विधान के बारे में तथा इस आयोग से सम्बन्धित अन्य चीजों के बारे में राज्य सरकारों ने ही निर्णय करना था तो इस आयोग के अखिल भारतीय आधार पर स्थापित करने का क्या लाभ था ? क्या यह नहीं सोचा गया था कि यह आयोग एक अखिल भारतीय निकाय होगा, राज्य सरकारें इस बारे में अपनी बात कह सकती हैं और वे इस आशय का अखिल भारतीय विधान बनाने के रास्ते में खड़ी नहीं हो सकतीं ?

†**श्री अ० कु० सेन** : माननीय सदस्य अवश्य ही यह नहीं चाहते कि केन्द्र राज्य सरकार के मत सुनिश्चित किये बिना विधान बनाये। मुझे विश्वास है कि यह एक ऐसी प्रक्रिया होगी, विशेषत: धार्मिक धर्मस्वों के बारे में, जिसका देश द्वारा समर्थन नहीं होगा। हमें राज्य सरकारों से अवश्य परामर्श करना चाहिये ।

†**डा० सरोजिनी महिषी** : क्या मैं मद्रास सरकार द्वारा व्यक्त की गई राय के प्रति संघीय सरकार की प्रतिक्रया जान सकती हूं ?

†**श्री अ० कु० सेन** अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। उस की जांच की जा रही है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री पु० र० पटेल** : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या मुस्लिम धर्मस्वों, पारसी धर्मस्वों तथा ईसाई धमस्वों के बारे में एक ऐसे ही आयोग का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ?

†**अध्यक्ष महोदय** : अब हमारे सामने यही एक निश्चित प्रश्न है।

†**श्री अ० कु० सेन** : सारा आयोग हिन्दु धार्मिक धर्मस्वों के बारे में था।

†**श्री कपूर सिंह** : क्या मैं जान सकता हूं कि जहां तक सिख गुरुद्वारों का सम्बन्ध है सरकार स्पष्ट रूप से समझती है कि वे इस नये विधान के क्षेत्र में नहीं आयेंगे ?

†**श्री अ० कु० सेन** : निर्देश-पदों में सिख गुरुद्वारे नहीं आते क्योंकि वे एक बिल्कुल ही अलग कानून द्वारा शासित होते हैं।

†**श्री गौरीशंकर कक्कड़** : क्या मैं जान सकता हूं कि इन सभी सिफारिशों को अन्तिम रूप देने तथा उन्हें कोई विशिष्ट आकार देने में सरकार कितना समय लगायेगी ?

†**श्री अ० कु० सेन** : इस तरह के मामले में सरकार बिना सभी राज्य सरकारों से परामर्श किये या बिना सभी सम्बन्धित सुसंगत संस्थाओं से सलाह किये जल्दबाजी में कोई कदम उठाना बिल्कुल नहीं चाहती।

†**डा० गायतोंडे** : क्या यह सच है कि यह प्रतिवेदन गोआ प्रशासन को भेजा ही नहीं गया है ?

†**श्री अ० कु० सेन** : संभवतः नहीं। मैं ऐसे ही नहीं बता सकता ; संभवतः नहीं।

†**श्रीमती सावित्री निगम** : अभी अभी माननीय मंत्री ने कहा है कि मत विचाराधीन हैं और इसमें कुछ समय लग जायेगा। क्या मैं जान सकती हूं कि सरकार इसके लिये क्या उपाय कर रही है कि उस दौरान में सम्पत्ति का दुरुपयोग न किया जाये ?

†**श्री अ० कु० सेन** : मेरे विचार में यह कोई ऐसी बात नहीं है जिसका कि वर्तमान प्रश्न से जरा भी सम्बन्ध हो।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रम

†१०५०. **श्री हरि विष्णु कामत** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री ८ मार्च, १९६३ के तारांकित प्रश्न संख्या ३२४ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कौनसा मंत्रालय अथवा एजेंसी विभिन्न मंत्रालयों द्वारा अपनाये गये अथवा अनुसरण किये गये मितव्ययता और मितोपभोग के उपायों को सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के ध्यान में लाता है ;

(ख) अब तक कौन-कौन से मितव्ययता और मितोपभोग के उपाय उनके ध्यान में लाये गये हैं ;

(ग) क्या सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में भी उसी प्रकार के कदम उठाये हैं; और

(घ) यदि हां, तो क्या ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो)** : (क) से (घ). एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है।

---

†मूल अंग्रेजी में

विवरण

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा अपनाया जाने वाला मितव्ययता तथा मितोपभोग का कोई भी उपाय उसका सुझाव देने वाले मंत्रालय द्वारा सभी मंत्रालयों के ध्यान में लाया जाता है। सुझाव के प्राप्त होने पर प्रत्येक नियोजक मंत्रालय उस सुझाव को पालन किये जाने के लिए अपने अधीन सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के ध्यान में लाता है।

मंत्रिमण्डल सचिवालय तथा कुछ मंत्रालयों के कहने पर इस मंत्रालय के अन्तर्गत सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को मितव्ययता तथा मितोपभोग के निम्नलिखित उपायों का सुझाव दिया गया है :

केवल अत्यधिक अनिवार्य कामों को ही न्यूनतम व्यय पर करना जारी रखना चाहिये तथा अन्य सभी काम जो प्रतिरक्षा प्रयास में प्रत्यक्ष रूप से सहायता नहीं देते अभी आस्थगित कर दिये जायें, चाहे अन्यथा वे कितने ही वांछित क्यों न हों।

१९६३-६४ में सफेदी, मुरम्मत आदि करवाने पर कोई व्यय नहीं किया जाना चाहिये। चालू वित्तीय वर्ष (१९६२-६३) में ऐसी मदों पर, छोटे-छोटे कामों, परिवर्तनों आदि सहित, व्यय भी यथासंभव निम्नतम स्तर पर रखा जाना चाहिये।

अखबारी कागज की दुष्प्राप्यता को देखते हुए उपक्रमों को सम्बन्धित सभी को प्रदर्शित विज्ञापनों, वर्गीकृत विज्ञापनों के पाट तथा पुनोनिधान किये गये विशेष परिशिष्टों को कम से कम करने की हिदायतें जारी करने के लिए कहा गया है।

कागज की कमी को देखते हुए उपक्रमों को नियत-कालिक प्रतिवेदनों के प्रकाशन और ऐसी पत्रिकाओं की मुद्रित प्रतियों की संख्या के बारे में स्थिति का पुनर्विलोकन करने के लिये कहा गया है ताकि कागज की अधिक से अधिक जितनी बचत संभव हो की जा सके।

परिणामों को अभी सुनिश्चित नहीं किया जा सकता क्योंकि बहुत से मामलों में हिदायतें अभी हाल ही में जारी की गई थीं।

†**श्री हरि विष्णु कामत** : पटल पर रखे गये विवरण के एक पैरा में मंत्रिमंडल सचिवालय और कुछ मंत्रालयों का निर्देश है जब कि उससे पहले पैरा में इस तथ्य की ओर निर्देश है कि एक एक विशेष मंत्रालय अन्य सम्बन्धित मंत्रालयों के ध्यान में ऐसे उपाय लायेगा और फिर सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को सूचित किया जाएगा। क्या मैं जान सकता हूं कि क्या "कुछ अन्य मंत्रालयों" के बारे में यह सुहावना-सा अस्पष्ट विवरण इसलिये है कि माननीय मंत्री सदन को यह बताने की स्थिति में नहीं हैं कि क्या किसी मंत्रालय ने मितव्ययता या मितोपभोग के कोई ऐसे कड़े उपाय किये भी हैं जो सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को भेजने के योग्य हैं ?

†**श्री कानूनगो** : कटाक्षों को छोड़ कर ....

†**श्री हरि विष्णु कामत** : कोई कटाक्ष नहीं है। मैं तो केवल स्वयं मंत्री महोदय के ही विवरण की ओर निर्देश कर रहा हूं। यदि यह वक्रोक्तियों या कटाक्षों से भरपूर है तो इसके लिये वह उत्तरदायी हैं।

†**श्री कानूनगो** : मैं स्वयं को ठीक कर लेता हूं। विशेषणों को छोड़ कर....

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री हरि विष्णु कामत: विशेषण ? यदि मेरे माननीय मित्र अंग्रेजी जानते हैं तो वह उन्हें समझ जायेंगे ।

†श्री कानूनगो : अंग्रेजी का मेरा ज्ञान बहुत कम है।

†श्री हरि विष्णु कामत : इसका मुझे खेद है।

†श्री कानूनगो : सभी मंत्रालयों का सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों से सम्बन्ध नहीं है। न्यूनाधिक लगभग ४५ उपक्रम विभिन्न मंत्रालयों में फैले हुए हैं। जिस मुख्य आधार पर मितव्ययता तथा मितोपभोग किये गये हैं उनका निर्देश प्रथम मद में है अर्थात् सिवाय अनिवार्य कामों के और किसी चीज़ को न किया जाये। इसका अर्थ यह है कि उपक्रमों के प्रसार सहायक सेवायें तथा अन्य सेवायें हाथ में न लेने के लिये कहा गया है। साथ ही मैं यह भी कह दूं कि प्रत्येक उपक्रम निदेशकों के एक बोर्ड द्वारा शासित होता है जो कि स्वायत्त होते हैं। मंत्रालय उन्हें निदेश नहीं दे सकते। वे तो बस यही कर सकते हैं कि उनकी परियोजनायें आदि देखें और सलाह दें।

†श्री हरि विष्णु कामत : क्या सम्बन्धित मंत्रालय अथवा मंत्रिमंडल सचिवालय द्वारा सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के ध्यान में वे प्रयास लाने की कोई चेष्टा की गई है जो कि मंत्रालयों में पानी और बिजली के बिलों तथा यात्रा भत्तों के व्यय को कम करने के लिये किये गये हैं जिसके बारे में आंकड़े कुछ दिन हुए सभा-पटल पर रखे गये थे, यद्यपि उन प्रयासों में अभी तक कोई ध्यानाकर्षी सफलता नहीं मिली है ? क्या पानी और बिजली के बिलों, यात्रा भत्तों, टेलीफोन बिलों इत्यादि पर यहां मितव्ययता करने के उन प्रयासों के बारे में उन्हें सूचित किया गया है ?

†श्री कानूनगो : प्रश्न के जितने भाग का मैं उत्तर दे सकता हूं वह यह है : अनिवार्य व्यय तो सारा किया जाना चाहिये और बचत मरम्मतों और चालू व्यय में करनी चाहिये। बिजली और पानी के बिल आदि उसी में आ जाते हैं।

†श्री स० मो० बनर्जी : विवरण से ज्ञात होता है कि १९६३-६४ में सफेदी कराने पर कोई खर्चे न किये जायें। उसका यह अर्थ होता है कि १९६३-६४ में कोई सफेदी नहीं होगी। क्या मैं जान सकता हूं कि क्या यह एक नियमित चीज होगी अथवा एक-एक वर्ष छोड़ कर सफेदी होगी?

†श्री कानूनगो : अभी तो यह पहला निदेश है क्योंकि हम इमारतों को सदा के लिये बिना सफेदी के नहीं छोड़ सकते। इसे इमारतों की किस्मों को देखते हुये किया जाएगा।

†श्री त्यागी : माननीय मंत्री ने कहा है कि सरकारी क्षेत्र के ये सारे के सारे उपक्रम पूर्णत: स्वायत्तशासी हैं। मैं हैरान हूं कि क्या हमें 'पूर्णत:' शब्द इस्तेमाल करना चाहिये, परन्तु वे स्वायत्तशासी हैं और सरकार उन्हें निदेश नहीं दे सकती। क्या मैं जान सकता हूं कि क्या प्रबन्धक निकायों में जो निदेशक हैं वे सरकारी सेवा में अधिकारी हैं, क्या प्रत्येक के साथ एक वित्तीय मंत्रणाकार भी लगा हुआ है तथा क्या सरकार वित्तीय मंत्रणाकार को कोई सलाह भेजती है ?

†अध्यक्ष महोदय : वे हिदायतें जारी नहीं कर सकते। सलाह हो सकती है। माननीय सदस्य यह जानते हैं, दूसरों से ज्यादा अच्छा जानते हैं कि वित्तीय सलाहकार होते हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री त्यागी** : मैं पूछना चाहता था कि क्या वित्तीय सलाहकार सरकारी कर्मचारी है ?

†**अध्यक्ष महोदय** : हां।

†**श्री त्यागी** : क्या वह सरकार की हिदायतों का पालन नहीं करते ? क्या वे इस अर्थ में स्वायत्त हैं कि उन्हें हिदायतों का पालन करने की जरूरत नहीं है ?

†**अध्यक्ष महोदय** : जब वे उन्हें स्वायत्तशासी बनाते हैं तो काम करने की उन्हें कम से कम कुछ तो आजादी देनी ही चाहिये। माननीय सदस्य इससे सहमत होंगे।

†**डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी** : छोटी-मोटी और इधर-उधर की बचतों की सूची के अतिरिक्त जो कि इस विवरण में हमें दी गई है, क्या मंत्री महोदय हमें बता सकेंगे कि क्या सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में मितव्ययता लाने के लिये संगठन तथा विधियों में भी कोई सुधार हुआ है ?

†**श्री कानूनगो** : अधिकतर उपक्रमों का संगठन और विधियों के लिये, विशेषत: प्रक्रियाओं में, अपना ही आन्तरिक पबन्ध होता है।

†**डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी** : हम जानना चाहते हैं कि संगठनतथा विधियों के तौर पर क्या मितव्ययता की गई है। यही कहना काफी नहीं है कि आन्तरिक प्रबन्ध हैं।

†**श्री कानूनगो** : वार्षिक प्रतिवेदन पटल पर रखे जाते हैं। मैं वार्षिक प्रतिवेदनों का सार नहीं दे सकता। फिर भी, आपात स्थिति के बाद से वार्षिक प्रतिवेदन उपलब्ध नहीं हुये हैं अत: मैं जानकारी देने की स्थिति में नहीं हूं।

†**डा० क० ल० राव** : क्या प्रारंभिक परियोजना प्रतिवेदनों को विदेशियों की बजाय भारतीय परामर्शदाता इंजीनियरों को सौंप कर विदेशी मुद्रा में बचत करने की हिदायतें जारी कर दी गई हैं ?

†**श्री कानूनगो** : उस बारे में मेरे पास कोई जानकारी नहीं है। यह परियोजनाओं पर निर्भर करता है। जहां तक मैं जानता हूं कुछ परियोजनाओं में देशी परामर्शदाता नहीं हैं।

†**श्री श० ना० चतुर्वेदी** : वस्तुओं की उत्पादन लागत में मितव्ययता लाने के लिये क्या हिदायतें जारी की गई हैं ?

†**श्री कानूनगो** : यह आपात स्थिति से सम्बन्धित बात नहीं है। यह तो एक सतत प्रयास है।

†**श्री रामनाथन् चेट्टियार** : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के कार्य की जांच करना आपात स्थिति के दौरान नियुक्त विशेष पुनर्गठन यूनिट या विशेष समिति के क्षेत्र में है ? यदि हां, तो क्या उनकी कोई सिफारिश सरकारी क्षेत्र के किसी उपक्रम में कार्यान्विति की गई है ?

†**श्री कानूनगो** : सरकारी उपक्रमों के लिये इस तरह की कोई विशेष समिति नहीं है। यह एक मंत्रिमंडलीय समिति है जो मुख्यत: मंत्रालयों के काम में मितव्ययता लाने के लिये उत्तरदायी है। मंत्रालयों में उससे सम्बद्ध सरकारी क्षेत्र के उपक्रम भी सम्मिलित हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री जवसवन्त मेहता** : विवरण में यह कहा गया है कि परिणामों को अभी निर्धारित नहीं किया जा सकता। क्या सरकार इन हिदायतों के कारण होने वाली बचत की राशि का अंर्हापन करने के लिये कोई अभिकरण गठित करने जा रही है ?

†**श्री कानूनगो** : हां, मंत्रालय अपने प्रतिवेदन प्राप्त करेंगे।

जापानी दल द्वारा भारत का दौरा

†*१०५१. { **श्री दी० चं० शर्मा** : **श्री प्र० चं० बरुआ** : **श्री रामेश्वर टांटिया** : **श्री महेश्वर नायक** : **श्री ओंकारलाल बेरवा** : **श्री बड़े** : **श्री यशपाल सिंह** : **श्री राम सहाय पाण्डेय** :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या इस देश के साथ जापान के आर्थिक सहयोग को बढ़ाने की सम्भावनाओं की जांच करने के लिये एक जापानी उत्पादकता दल ने मार्च १९६३ में भारत का दौरा किया था; और

(ख) यदि हां, तो उनके दौरे का क्या परिणाम निकला है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो)** : (क) और (ख) एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है।

विवरण

(क) जी हां। जापान उत्पादकता केन्द्र द्वारा पुरोनिधान किये गये दो उत्पादकता दल मार्च १९६३ में अपने भ्रमण कार्यक्रम के दौरान भारत आये थे।

(ख) ये दल दक्षिण-पूर्व एशिया के कई एक देशों में सामान्य औद्योगिक स्थितियों का अध्ययन करने तथा उस प्रदेश में पारस्परिक सहयोग की संभावनाओं की खोज करने के लिये गया था। दल अपने प्रतिवेदन उन्हें पुरोनिधान करने वाले जापान उत्पादकता केन्द्र को देंगे तथा उन के दौरे के परिणाम का निर्धारण प्रतिवेदनों के प्रकाशित होने के बाद ही किया जा सकता है।

†**श्री दी० चं० शर्मा** : इस दल ने कौन से उत्पादन केन्द्रों का दौरा किया है ?

†**श्री कानूनगो** : उनके दौरे का कार्यक्रम भारत की राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद् द्वारा तैयार किया गया था। स्थानों की सूची मेरे पास नहीं है। जहां तक उन के भारतीय दौरे के कार्यक्रम का सम्बन्ध है, भारत की राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद् उनकी आतिथेयी थी। उनका प्रतिवेदन जापान में उनकी उत्पादकता परिषद् को दिया जाएगा।

---

†मूल अंग्रेजी में।

†**श्री दी० चं० शर्मा** : क्या जापानी उत्पादकता परिषद् अनिवार्य रूप से हमारी अपनी उत्पादकता परिषद् जैसी ही है । अथवा दोनों में कुछ प्रमुख अन्तर है ? जापानी उत्पादकता परिषद् द्वारा इस दल को दिया गया निर्देश-क्षेत्र क्या है ?

†**श्री कानूनगो** : जापानी उत्पादकता परिषद् के उद्देश्य न्यूनाधिक वहीं हैं जो भारतीय परिषद् के । दोनों परिषदें एशियाई उत्पादकता संघ की सदस्य हैं । यह दल जापानी उत्पादकता परिषद् द्वारा भेजा गया था और जो अवलोकन उन्होंने किये है उनका प्रतिवेदन उन्हें परिषद् को देना है । उन्हें क्या अवलोकन करने को कहा गया था, यह उन के तथा उनकी परिषद् के बीच की बात है ।

†**श्री बड़े** : वे मुख्य बातें कौन सी हैं जिन पर जापानी उत्पादकता दल से चर्चा की गई थी ? वास्तविक चर्चा क्या हुई थी और कौन सी विशेष बातें हैं जिन पर उन के साथ चर्चा की गई थी ?

†**श्री कानूनगो** : चर्चा की कोई बातें नहीं है। दल यहां आये । एक दल यहां ११ से १६ तारीख तक रहा, कवल पांच दिन; दूसरा दल २१ से २६ तक, पांच दिन । आतिथेयी समिति ने उनको भ्रमण-सूची उन्हें दी । ऐसी कोई चर्चा नहीं हुई थी। जिन संयंत्रों और उद्योगों में वे गये वहां अनौपचारिक चर्चा अवश्य हुई होगी ।

†**श्री बड़े** : क्या मैं जान सकता हूं कि उन के साथ किन उद्योगों पर चर्चा हुई थी ?

†**श्री कानूनगो** : उन्होंने कारखानों के लोगों से बातचीत की थी ।

†**श्री दाजी** : मैं जानना चाहता हूं कि क्या इस दल ने अपने आप ही सर्वेक्षण किया था अथवा जिन विशेष औद्योगिक परियोजनाओं या कारखानों का उन्होंने दौरा किया वह भारतीय दल के साथ मिल कर किया था ?

†**श्री कानूनगो** : उन्होंने सर्वेक्षण नहीं किया । उन्होंने भारत में औद्योगिक उपक्रमों का दौरा किया था ।

†**श्री दाजी** : किन-किन का उन्होंने दौरा किया ?

†**श्री कानूनगो** : वे यहां पांच दिन के लिये थे । मेरे पास उन उपक्रमों की सूची नहीं है जिनका उन्होंने दौरा किया । अधिकतर वे छोटे उपक्रम थे ।

श्री शिव नारायण : मैं यह जानना चाहता हूं कि इस टीम में कुल कितने मेम्बर आए थे, और क्या हिन्दुस्तान से भी कोई टीम वहां भेजी जाएगी एक्सपैरीमैंट करने के लिए ?

श्री कानूनगो : इसी तरह से नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल यहां से टीम्स भेजती है और उनकी रिपोर्ट हाउस में पेश की जाती है । ये जो दो टीम्स आयी थीं उनकी रिपोर्ट जापान में पेश होगी ।

†**अध्यक्ष महोदय** : श्री आजाद ।

†**श्री बड़े** : एक औचित्य प्रश्न के सम्बन्ध में, श्रीमान ।

†**अध्यक्ष महोदय** : पहले श्री आजाद ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री भागवत झा आजाद** : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या वह दल आमोद-प्रमोद और घूमने-फिरने के लिये आया था अथवा भारतीय उत्पादकता परिषद् ने इस दल को सलाह देने या बुलाने से पहले सरकार से परामर्श किया था और क्या हमारे देश में उत्पादन के लिये विशेष पहलुओं पर कोई बल दिया गया था ?

†**श्री कानूनगो** : भ्रमण-सूची उनकी अपनी अपेक्षाओं के अनुसार तैयार की गई थी। भारत सरकार के द्वारा इसे करने का प्रश्न ही नहीं था ।

†**श्री भागवत झा आजाद** : तो सरकार का इस दल से कोई वास्ता नहीं था, और उन्होंने इस देश में क्या किया ?

†**श्री कानूनगो** : वह उनकी आतिथेयी थी ।

†**श्री बड़े** : क्या विवरण में या उत्तरों में पूरी जानकारी देना सरकार के लिये अनिवार्य नहीं है ? प्रश्न यह है :

"(क) क्या इस देश के साथ जापान के आर्थिक सहयोग को बढ़ाने की संभावनाओं की जांच करने के लिये एक जापानी उत्पादकता दल ने मार्च १९६३ में भारत का दौरा किया था ; और

(ख) यदि हां, तो उनके दौरे का क्या परिणाम निकला है ?"

विवरण में उन्होंने कुछ भी नहीं बताया है। यह एक मामूली सा विवरण है और उन्होंने जिन उद्योगों का दौरा किया था जो बातचीत की उस पर इसमें कोई प्रकाश नहीं डाला गया है । श्री दाजी, मैंने तथा दूसरों ने तीन प्रश्न पूछे हैं परन्तु इस बारे में कुछ भी बताया नहीं गया है। जिन स्थानों का उन्होंने दौरा किया और जो बातचीत हुई क्या उसके बारे में पूरी जानकारी देना उनका कर्त्तव्य नहीं है ?

†**श्री कानूनगो** : मैं दोनों दलों का कार्यक्रम सभा-पटल पर रखने को तैयार हूं ।

†**अध्यक्ष महोदय** : सरकार के पास जो भी जानकारी है वह सभा-पटल पर रख दी जाये ।

†**श्री दाजी** : मंत्रियों को न्यूनतम अनुपूरकों के लिये तैयार हो कर आना चाहिये । यह कोई विस्तृत जानकारी वाला अनुपूरक नहीं है। हम उन उद्योगों के बारे में जानना चाहते हैं जहां वे गये। यह जानकारी भी उपलब्ध नहीं है।

†**अध्यक्ष महोदय** : मैं तो ज्यादा से ज्यादा यही कर सकता हूं । मैं उनसे सारी चीज सभा-पटल पर रखने के लिये कहूंगा ।

†**श्री दाजी** : आप उनसे यह भी कहिये कि अगली बार और अच्छी तरह से तैयार हों। हम यहां किस लिये हैं ?

†**श्री कानूनगो** : प्रश्न सहयोग के बारे में था । यहां सहयोग का कोई प्रश्न नहीं है ।

†**श्री बड़े** : उन्होंने किन स्थानों का दौरा किया ? इसका आपने कोई उत्तर नहीं दिया है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : डा० सिंघवी ;

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री बड़े : इस विषय पर आपने कोई विनिर्णय नहीं दिया है। क्या इसे बाद में लिया जायेगा ?

†अध्यक्ष महोदय : प्रश्न का उत्तर दे दिया गया है।

†श्री बड़े : कुछ भी नहीं बताया गया है।

†अध्यक्ष महोदय : उसी के लिये तो मैंने मंत्री महोदय को कहा है।

आभूषणों का निर्यात

†*१०५२. **डा० लक्ष्मी मल्ल सिंघवी** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सच्ची ज़री की बनी हुई वस्तुओं के निर्यात को प्रोत्साहन देने का निर्णय किया है, और यदि हां, तो उसका क्या ब्यौरा है ;

(ख) क्या आभूषणों के निर्यात को भी इसी प्रकार के प्रोत्साहन दिये जा रहे हैं; और

(ग) क्या सरकार इसी प्रकार अधिक शुद्धता वाले सोने पर मीने के काम वाले 'कुन्दन' आभूषणों के निर्यात को भी प्रोत्साहन तथा सुविधायें देने का विचार कर रही है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनु भाई शाह)** : (क) से (ग). जरी की वस्तुओं, सोने के आभूषणों और कुन्दन के जड़ाऊ आभूषणों आदि का निर्यात बढ़ाने के लिये प्रोत्साहन देने की योजनायें अभी विचाराधीन हैं।

सोने के अतिरिक्त हीरा, मूल्यवान तथा अर्ध मूल्यवान पत्थरों, मोतियों, आदि के आभूषणों के निर्यात की योजना पहिले से ही लागू है जैसी कि १९६३–६४ की 'रेड बुक आफ इण्डिया' के परिशिष्ट २३, पृष्ठ संख्या ४७९ से ४८१ पर उल्लेख है। यह पुस्तक मैंने पिछले सप्ताह सभा-पटल पर रखी थी।

†**डा० लक्ष्मी मल्ल सिंघवी** : क्या प्रति विक्रय, अर्थात् देश में दुकानों पर विदेशियों द्वारा देय विदेशी मुद्रा के बदले १४ कैरट से अधिक सोने के आभूषण बेचने का प्रस्ताव है और उसका रजिस्टर रखा जायेगा ?

†**श्री मनुभाई शाह** : हां, उद्देश्य यही है। हम डाक से जाने वाले पार्सलों की और नकद या यात्री चैक से आने वाली विदेशी मुद्रा की सीमाशुल्क अधिकारियों द्वारा जांच करायेंगे और उसके आधार पर निर्यात के लिए प्रोत्साहन दिया जायेगा।

†**डा० लक्ष्मी मल्ल सिंघवी** : योजना कब लागू होगी ?

†**श्री मनुभाई शाह** : आशा है कि एक सप्ताह में लागू हो जायगी। वास्तव में, हमने वास्तविक ज़री योजना कल ही निश्चित की है, और एक या दो दिन में योजना प्रकाशित हो जायेगी। १४ कैरट की योजना एक सप्ताह में विदित हो जायेगी। २२ कैरट की योजना के लिए बन्धक भाण्डागारों की आवश्यकता है जिन्हें सोना बोर्ड सावधानीपूर्वक चुनेगा। हम देश भर में १०० बन्धक भाण्डागार चुनेंगे।

†**डा० लक्ष्मी मल्ल सिंघवी** : मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया कि १४ कैरट से अधिक सोने के आभूषणों को देश में आने वाले विदेशियों को बेचे जाने की अनुमति दी जायेगी या नहीं ?

---

†मूल अंग्रेज़ी में

†**श्री मनुभाई शाह :** मैंने यही कहा था, परन्तु निर्यात तो वही है। ८० प्रतिशत निर्यात प्रत्यक्ष रूप में होता है। हमारा विचार काउन्टर पर कुछ लाइसेन्सधारी स्वर्णकारों द्वारा नकद या यात्री चैक द्वारा भुगतान किये जाने पर होने वाले विक्रय को निर्यात मानने का है।

†**श्री दाजी :** क्या सरकार निर्यात के लिए आभूषण बनाने के लिये अन्तर्राष्ट्रीय बाजार मूल्य पर २२ कैरट सोना बेचने का प्रबन्ध करेगी ?

†**श्री मनुभाई शाह :** सोने के आभूषणों के निर्यात के लिये अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य पर १२½ से १५ प्रतिशत सोना देने की व्यवस्था है।

†**श्री कपूर सिंह :** क्या सरकार ने इस संभावना पर विचार किया है कि उच्च श्रेणी के आभूषण का, जिसका अर्थ है भारतीय नागरिकों को उसके भोग की अनुमति नहीं देना, मुक्त निर्यात बढ़ाने से हमारे व्यक्तियों का सौन्दर्य भाव ही समाप्त हो जाये ? यदि हां, तो इस मामले में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

†**अध्यक्ष महोदय :** यह जानकारी मांगना नहीं अपितु मत-व्यक्त करना है।

†**श्री श्याम लाल सर्राफ :** क्या निर्माताओं और कुटीर उद्योग श्रमिकों को अपेक्षित किस्म का सोना देने की सुविधा दी गई है, क्या यह १४ कैरट का सोना है या २२ कैरट का ? क्या इसे आसानी से प्राप्त करने की कोई सुविधा है ?

†**श्री मनुभाई शाह :** जहां तक १४ कैरट से अधिक सोने के आभूषणों का प्रश्न है, उस पर पूर्णरूपेण प्रतिबन्ध है चाहे वह किसी भी रूप में हो। परन्तु निर्यात के लिये १४ कैरट से अधिक की भी बन्धक कारखानों में बन्धक दुकानों को डाक-पार्सलों या यात्री चैक द्वारा बेचने की अनुमति दी जायेगी जैसा डा० सिंघवी कह रहे थे। १४ कैरट या उससे कम के बारे में आन्तरिक प्रयोग तथा निर्यात के लिये बड़े पैमाने पर अनुमति दी जायगी।

बोकारो इस्पात संयंत्र

+

*†१०५३. **श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :**
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री महेश्वर नायक :
श्री हरिश्चन्द्र माथुर :
श्री यशपाल सिंह :
श्री सिद्धेश्वर प्रसाद :
डा० लक्ष्मी मल्ल सिंघवी :
श्रीमती सावित्री निगम :

क्या **इस्पात और भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विशेषज्ञों के जिस दल ने बोकारो इस्पात संयंत्र का प्रविधिक-आर्थिक सर्वेक्षण प्रारम्भ किया था क्या उसका प्रत्याशित प्रतिवेदन सरकार को उपलब्ध कर दिया गया है; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो प्रतिवेदन में किन-किन मुख्य बातों पर प्रकाश डाला गया है ?

†**इस्पात और भारी उद्योग मंत्रालय में उपमंत्री (श्री प्र० चं० सेठी)** : (क) और (ख). जी हां, क्यों कि रिपोर्ट अमरीका सरकार की अन्तर्राष्ट्रीय विकास एजेन्सी ने तैयार की थी, इस कारण यह शर्त थी कि उसकी बातें उनके परामर्श के बिना नहीं बताई जायेंगी। हम उनसे परामर्श कर रहे हैं और आशा करते हैं बहुत जल्द रिपोर्ट का संक्षेप प्रकाशित कर दिया जायेगा।

†**श्री प्र० रं० चक्रवर्ती** : क्या यह सच है कि इस दल की रिपोर्ट वाशिंगटन में अगले सप्ताह प्रकाशित होगी और, यदि हां, तो क्या यह यहां भी उसी समय प्रकाशित होगी ?

†**श्री प्र० चं० सेठी** : मैंने बताया कि हम उनसे वार्ता कर रहे हैं, और हम भी बहुत जल्द, प्रायः उसी समय पर रिपोर्ट का संक्षेप प्रकाशित करेंगे।

†**श्री प्र० रं० चक्रवर्ती** : क्या सरकार का ध्यान प्रो० गालब्रेथ के इस वक्तव्य की ओर गया है कि व्यावहारिक यह है कि कोई अमरीकी फर्म इसे चालू करे और कुछ समय तक चलायें और, यदि हां, तो सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

†**श्री प्र० चं० सेठी** : मैंने कहा कि रिपोर्ट की बातें बहुत जल्द प्रकाशित हो जायेंगी और इसके बाद ही हम यह बता सकेंगे कि मामले की क्या विशेषतायें हैं।

†**श्रीमती सावित्री निगम** : क्या यह सच है कि कुछ अमरीकी नेताओं में इस संयंत्र के बारे में मतभेद है ?

†**श्री प्र० चं० सेठी** : अमरीका में क्ले समिति की रिपोर्ट से मतभेद आरम्भ हुआ है, और यह मतभेद प्रेस में भी आ चुका है।

†**श्री सिद्धेश्वर प्रसाद** : श्रीमन्, इस कारखाने के बारे में अभी रिपोर्ट में ही काफी देर हो चुकी है। रिपोर्ट के बाद यह समय पर जल्दी से जल्दी चालू किया जा सके क्या इसके लिए सरकार ने पूरी तैयारी कर ली है ?

श्री प्र० चं० सेठी : जी, हां, हमारा तो प्रयत्न यही है कि इसको जल्दी से जल्दी चालू किया जा सके।

†**डा० लक्ष्मी मल्ल सिंघवी** : क्या बोकारो परियोजना रिपोर्ट सरकारी उद्योग क्षेत्र में दो बड़ी इस्पात परियोजनाओं के लिए रिपोर्टें उपलब्ध होने तथा उन पर निश्चित किये जाने के पश्चात सभा-पटल पर रखी जायेगी ? क्या दोनों किसी भी प्रकार एक दूसरे से सम्बन्धित हैं ?

†**श्री प्र० चं० सेठी** : हम रिपोर्ट का संक्षेप प्रकाशित करना चाहते हैं।

†**श्री स० मो० बनर्जी** : मंत्री महोदय ने सभा में कहा था। अमरीकी सहायता मिले या न मिले हम बोकारो संयंत्र बनायेंगे। क्या वे अपने निश्चय पर दृढ़ हैं कि यदि उन्होंने अमरीका से उचित सहायता न मिले, तो भी वे उसे पूरा करेंगे ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री प्र० चं० सेठी :** जहां तक सहायता का प्रश्न है जब तक कि रिपोर्ट के बारे में कोई निश्चित बात न विदित हो, तब तक कुछ नहीं कहा जा सकता। चौथी पंचवर्षीय योजना में १८० से १९० लाख टन इस्पात बनाने का हमारा विचार है। अतः केवल बोकारो ही नहीं अपितु हम निश्चय ही कुछ और इस्पात संयंत्र बनायेंगे।

श्री यशपाल सिंह : क्या मैं जान सकता हूं कि यू० एस० ए० के अलावा और किसी देश ने भी कोलेबरेट करने के लिये औफर किया है ?

श्री प्र० चं० सेठी : अभी बोकारो के लिये बातचीत हो रही है ?

श्री यशपाल सिंह : बोकारो के लिये यू० एस० ए० ने औफर किया है, तो मैं जानना चाहता हूं कि क्या किसी और मुल्क ने भी कोलबरेट करने के लिये औफर किया है ?

श्री प्र० चं० सेठी : अभी और किसी देश से बात नहीं हो रही है।

†**श्री अ० प्र० जैन :** मैं मंत्री महोदय की इस घोषणा का बहुत स्वागत करता हूं कि बोकारो संयंत्र, अमरीकी सहायता मिले या न मिले, बनाया ही जायेगा। क्या यह घोषणा करने से पहिले क्या संबंधित मंत्री महोदय ने विकल्पों की इस दृष्टि से जांच कर ली है कि यदि अमरीकी सहायता न मिले तो यह संयंत्र कैसे बनाया जायेगा ?

†**अध्यक्ष महोदय :** वह तर्क कर रहे हैं और जानकारी नहीं मांग रहे हैं।

श्री शिव नारायण: क्या यह सही है कि बहुत जल्द एक हफ्ते के अन्दर यह रिपोर्ट अमरीका और इंडिया दोनों जगह साथ साथ प्रकाशित होगी ?

श्री प्र० चं० सेठी : जी हां, समाचारपत्रों से मालूम हुआ है कि वह रिपोर्ट वहां प्रकाशित हो रही है। उन से हमारा सम्पर्क बना हुआ है और वहां अगर प्रकाशित होती है तो हम उसे यहां भी प्रकाशित कर देंगे।

इस्पात कारखानों का विस्तार

+

†*१०५४ **श्री ह० चं० सोय :**
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री महेश्वर नायक :
श्रीमती सावित्री निगम :
श्री सिद्धेश्वर प्रसाद :
श्रीमती शारदा मुकर्जी :
श्री कृ० चं० पंत :
श्री ओंकारलाल बेरवा :
श्री भागवत झा आजाद :
श्री भक्त दर्शन :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :
श्री गो० महन्ती :

क्या **इस्पात और भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार गैर-सरकारी इस्पात कारखानों के विस्तार की स्वीकृति देने के प्रश्न

---

†मूल अंग्रेजी में

की जांच कर रही है ; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या निर्णय किया गया है ?

†**इस्पात और भारी उद्योग मंत्रालय में उपमंत्री (श्री प्र० चं० सेठी)**: (क) और (ख). जी हां। सरकार ने चौथी पंचवर्षीय योजना में भी विद्यमान इस्पात कारखानों के विस्तार के प्रश्न पर विचार किया है और सिद्धांत रूप में मान लिया है कि गैर-सरकारी क्षेत्र में इस्पात के दो बड़े कारखानों का अधिकतम आर्थिक क्षमता तक विस्तार किया जा सकता है, यदि उपयुक्त टेक्निकल तथा वित्तीय प्रबन्ध हो जाये ।

श्री ह० च० सोय : मैं यह जानना चाहता हूं कि यह जो स्टील प्लांट्स का ऐक्सपैंशन हो रहा है तो इन प्लांटों की कितनी आर्थिक स्थिति है और उस के लिये कितने फारेन ऐक्सचेंज की जरूरत होगी ?

†**श्री प्र० चं० सेठी :** जब ऐक्सपैंशन की स्कीम पुट अप करेंगे तब उनकी आर्थिक स्थिति का पता लगेगा। फिलहाल कोई ३ लाख टन इनगौटस के ऐक्सपैंशन की इजाजत दी गई है।

श्री सिद्धेश्वर प्रसाद : क्या यह सही है कि कुछ प्राइवेट लोहे के कारखानों के बढ़ाने के संबंध में निर्णय ले लिया गया है यदि हां, तो किन किन कारखानों के बारे में निर्णय लिया गया है और किस किस मात्रा में उनको बढ़ाया गया है ?

†**श्री प्र० चं० सेठी :** गैर-सरकारी क्षेत्र में केवल दो संयंत्र हैं, अर्थात्, टिस्को और आइस्को। यह निश्चय हुआ है कि यदि वे उपयुक्त प्रस्ताव प्रस्तुत करें तो उन्हें उनकी आर्थिक क्षमतानुसार विस्तार करने की अनुमति दी जायेगी। वे कितना विस्तार कर सकेंगे यह बात केवल प्रस्ताव प्राप्त होने पर ज्ञात हो सकती है।

†**श्रीमती सावित्री निगम :** क्या विस्तार की अनुमति देते समय इस बारे में कोई विचार विमर्श हुआ था कि वे सरकार से विदेशी मुद्रा तथा अन्य वित्तीय सहायता के रूप में कितनी सहायता मांगेंगे?

†**श्री प्र० चं० सेठी :** ये ब्योरे की बातें हैं जिनका निश्चय बाद में होगा। केवल नीति का निश्चय किया गया है ।

†**श्री भागवत झा आजाद :** गैर-सरकारी क्षेत्र के कारखानों को विस्तार की अनुमति देते समय क्या सरकार ने बोकारो इस्पात कारखाने की प्रस्तावित क्षमता पर विचार किया है कि क्या इसका सरकारी क्षेत्र के संयंत्रों के उत्पादन पर बुरा असर पड़ेगा और यह कि सरकार कितनी वित्तीय गारन्टी दे सकती है ?

†**श्री प्र० चं० सेठी :** जी नहीं। इस विस्तार का सरकारी क्षेत्र के इस्पात कारखानों के उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसके विपरीत, हम भिलाई, दुर्गापुर और रूरकेला इस्पात कारखानों का भी विकास करने पर विचार कर रहे हैं। चौथी पंचवर्षीय योजना में हम भिलाई में ३२·५ लाख टन, दुर्गापुर में ३० लाख टन, और रूरकेला में २५ लाख टन का विस्तार कर रहे हैं। यदि बोकारो संयंत्र बन जाता है, तो भी उसका प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमारी आवश्यकता १८० से १९० लाख टन होगी।

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री भक्त दर्शन : मैं यह जानना चाहता हूं कि जबकि औद्योगिक नीति में यह निश्चय किया गया था कि इस्पात का उत्पादन केवल सार्वजनिक क्षेत्र में होगा तब प्राइवेट क्षेत्र में इस को बढ़ाने की क्या आवश्यकता पड़ गयी है ?

† **श्री प्र० चं० सेठी** : सन् १९५६ का जो इंडस्ट्रियल पालिसी रेजोलूशन है उस में इस बात को स्पष्ट कर दिया गया था कि वर्तमान प्राइवेटली और स्टील प्लांटस को बढ़ाने की आवश्यकता हुई तो उनको बढ़ाने की इजाजत दी जायेगी।

†**श्री त्यागी** : क्या यह सच है कि गैर-सरकारी क्षेत्र के इस्पात संयंत्रों के विस्तार के लिये सरकार उन्हें बड़े ऋण देगी और जो ऋण वे विदेशों से प्राप्त करेंगे उन को पुनः भुगतान की सरकार गारन्टी देगी, और यदि हां, तो सरकार कितना ऋण दे रही है, कितनी गारन्टी दे रही है और इसके कारण सरकार कुल कितना दायित्व अपने ऊपर लेगी ?

†**श्री प्र० चं० सेठी** : जैसाकि मैंने पहिले कहा था, ये ब्योरे की बातें हैं, जो प्रस्ताव आने पर ही निश्चित होंगी।

†**श्री दाजी** : क्या उत्पादन की मितव्ययता के लिये केवल सीमांत वृद्धि करने का विचार है या अतिरिक्त क्षमता स्थापित करने का भी विचार है ?

†**श्री प्र० चं० सेठी** : यह विस्तार आर्थिक क्षमतानुसार होगा, नये संयंत्र नहीं लगाये जायेंगे।

†**श्री त्यागी** : क्योंकि सरकार उन्हें बहुत बड़ी वित्तीय सहायता दे रही है, इस कारण मेरा प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। वह जानकारी मंत्री जी के पास न होने का क्या कारण है ?

†**अध्यक्ष महोदय** : वह कहते हैं कि ये बातें बाद में तय होंगी, अभी इनका समय नहीं आया है। उन्होंने इन पर अभी विचार नहीं किया है।

†**श्री जसवन्त महता** : क्या सरकार इस पर विचार कर रही है, और यदि हां, तो मामला किस अवस्था में अनिश्चित पड़ा है ?

†**श्री प्र० चं० सेठी** : केवल नीति-निश्चय किया गया है, और जब वह अपने प्रस्ताव दे देंगे उस समय सभी बातों का ध्यान रखकर अन्तिम निश्चय किया जायेगा।

†**श्री रामनाथन् चेट्टियार** : टिस्को और आइस्को का कितना विस्तार किया जायेगा ?

†**श्री प्र० चं० सेठी** : इसका अभी पता नहीं है।

भारतीय उद्योग में इंधन दक्षता

\+

†*१०५५. **श्री यशपाल सिंह** :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री कपूर सिंह :
श्री नरसिम्हा रेड्डी :
श्री रा० बरुआ :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार के निमंत्रण पर द्विसदस्यीय ब्रिटिश दल ने भारतीय उद्योग की

†मूल अंग्रेज़ी में

ईंधन दक्षता के स्तर के संबंध में एक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है ;

(ख) यदि हां, तो यह प्रतिवेदन कब प्रस्तुत किया गया था ; और

(ग) दल द्वारा की गई सिफारिशों पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो)**: (क) से (ग). एक विवरण पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

(क) जी, हां ।

(ख) अक्तूबर, १९६१ ।

(ग) विशेषज्ञों की रिपोर्ट पर खान और ईंधन मंत्रालय मुख्य खनन सलाहकार और प्रारम्भिक रूप में उन उद्योगों की अनेक विकास परिषदों के सभापतियों, जो पर्याप्त मात्रा में ईंधन प्रयोग करते हैं, के परामर्श से विचार किया गया था । बाद में, योजना आयोग में हुई दो बैठकों में रिपोर्ट पर विचार किया गया और निश्चय किया गया है कि राष्ट्रीय उत्पादिता परिषद को ईंधन कुशलता संगठन बनाने की योजना का ब्यौरा तैयार करना चाहिये ।

श्री यशपाल सिंह : क्या मैं जान सकता हूं कि इस टीम ने कोल के क्लासिफिकेशन के वास्ते भी कोई रैकमेंडेशन की है ?

†**श्री कानूनगो** : उन्होंने कोयला का वर्गीकरण नहीं किया । उन्होंने ईंधन उपभोग में कमी करने की सलाह दी, जो कि मुख्यकर विभिन्न औद्योगिक उपक्रमों में बिजली उत्पादन में कुशलता लाने के लिये है ।

श्री यशपाल सिंह : क्या मैं जान सकता हूं कि कोल के आलटरनेटिव के लिये भी इस में कोई सिफारिश की गई है ?

†**श्री कानूनगो** : यह कोयला का विकल्प जानने का प्रश्न नहीं है, परन्तु कोयला के बारे में है कि बचत करने के लिये विशेष प्रकार की भट्टियों में किस किस्म का कोयला प्रयोग किया जाये । उन्होंने तेल की भी बात कही है परन्तु यह बात विशेषकर कोयला और साधारणतया ईंधन के बारे में है ।

†**श्री हरि विष्णु कामत** : पटल पर रखे विवरण में जो उल्लेख है कि वह निलम्बन की रूढ़िगत प्रथा है ?

†**अध्यक्ष महोदय**: आप इसी को आक्षेप कहते हैं । इसके बिना भी प्रश्न पूछा जा सकता है ।

†**श्री हरि विष्णु कामत** : विवरण में उल्लेख की रिपोर्ट खान और ईंधन मन्त्रालय, मुख्य खनन सलाहकार और अनेक विकास परिषदों को दिये जाने के बाद यह अक्टूबर, १९६१ में पेश की गई—यह योजना को भी दी गई है—और अन्त में यह राष्ट्रीय उत्पादिता परिषद् को दी गई है । रिपोर्ट यह नहीं कहती कि राष्ट्रीय उत्पादिता परिषद् को दी गई । क्या राष्ट्रीय उत्पादिता परिषद् ने रिपोर्ट पर विचार करने में कोई प्रगति की है और निश्चय कब किया जायेगा ? क्या कोई सुशिक्षित भारतीय

---

†मूल अंग्रेजी में

ईंधन इंजीनियर ने संकटकाल में इस बारे में अपनी सेवाओं का प्रस्ताव किया था और सरकार ने उनकी सेवायें लेना अस्वीकार कर दिया ?

†**श्री कानूनगो**: राष्ट्रीय उत्पादिता परिषद् ने हमें बताया है कि उनका मत इस मासान्त तक प्राप्त होगा। माननीय सदस्य के अन्य प्रश्न के बारे में कि किसी इंजीनियर ने सेवा का प्रस्ताव किया था और वह अस्वीकार कर दी गई मुझे कोई जानकारी नहीं है।

†**श्री स०चं० सामन्त** : क्या यह सच नहीं है कि जे लगोरा में भारतीय ईंधन अनुसन्धान संस्था में ईंधन कुशलता के बारे में प्रयोग किये गये है ? क्या उत्पादिता परिषद् निश्चय देने से पहिले इससे परामर्श करेगा ?

†**श्री कानूनगो**: हां। एक ईंधन कुशलता समिति है जिसने इस मामले पर राष्ट्रीय उत्पादिता परिषद् से विचार विमर्श किया है। आने वाले दलों ने हमें बताया है कि ईंधन उपभोग में २५ प्रतिशत बचत हो सकती है। अतः हमारा अन्तिम विचार यह देखने का है कि यह काम हो। उपभोक्ता हितों से परामर्श किया जा रहा है और राष्ट्रीय उत्पादिता परिषद् अपना मत देगा। अन्त में, इसे ईंधन कार्यान्विति समिति को लागू करना होगा।

†**श्री बड़े** : विवरणानुसार, रिपोर्ट अक्टूबर, १९६१ में आई थी। यह भी उल्लेख है :

> "और यह निश्चय किया गया है कि राष्ट्रीय उत्पादिता परिषद् को एक ईंधन कुशलता संगठन की स्थापना की योजना का ब्यौरा तैयार करना चाहिये।"

यह अभी तक क्यों स्थापित नहीं हुआ है, हालांकि रिपोर्ट अक्टूबर, १९६१ में आ गई थी ?

†**श्री कानूनगो**: मैं पहिले ही कह चुका हूं कि राष्ट्रीय उत्पादिता परिषद का मत इस मासान्त तक प्राप्त होगा।

कोयला परिवहन समस्यायें

†***१०५७. श्री सिद्धेश्वर प्रसाद**: : क्या **आर्थिक और प्रतिरक्षा समन्वय** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कोयला परिवहन की समस्या पर उनका मन्त्रालय विचार कर रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में सुधार करने के लिये किन उपायों का सुझाव दिया गया है ?

†**आर्थिक और प्रतिरक्षा समन्वय मंत्रालय में संभरण मंत्री (श्री हाथी)** : (क) जी हां। अन्य सम्बन्धित मन्त्रालयों के परामर्श से।

(ख) ब्लाक रेक बना कर चलाने से तथा शीघ्र माल उतारने तथा लादने से वैगनों को शीघ्र चलाने के लिए रेलवे के अतिरिक्त सड़क जलमार्ग, तथा तटीय नौवहन से लदान मेंसुवधा के द्वारा वितरण अभिकरणों के नवीकरण के द्वारा कोयला क्षेत्रों में कोयला ढोने के कारखानों के द्वारा जिससे परिवहन वाले कोयले के ढेर को कम किया जा सके तथा कोयला खानों के निकट बिजलीघरों के द्वारा जिससे विद्युत् जनन के लिए परिवहन होने वाले कोयले को कम करके यह वह कार्यवाहियां हैं जिनका सुझाव विभिन्न प्राधिकारियों ने समय समय पर दिया है।

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री सिद्धेश्वर प्रसाद : जो कार्यक्रम अभी माननीय मन्त्री जी ने बताया है, क्या उसको लागू करने के पहले इस बात का अध्ययन किया गया है कि देश के किस हिस्से में कोयले की ज्यादा कमी है और इस कार्यक्रम को लागू करने के बाद उसको कहां तक राहत मिली है ?

श्री हाथी : उसके बारे में जांच की गई थी और जहां कोयले की कमी थी, वहां ज्यादा वैगन भेजने का इन्तजाम किया गया है ।

†**श्री रंगा** : क्या यह सुझाव एक वर्ष की कम अवधि में लागू किए जाने हैं अथवा अधिक अवधि में लागू किए जाने हैं ?

†**श्री हाथी** : कुछ हाल के हैं तथा कुछ पुराने हैं । उदाहरणतः कोयले के गढ़ों के निकट बिजली घर बनाने का सुझाव पुराना है परन्तु रेक के द्वारा कोयले के परिवहन के विवरण तथा नवीकरण का सुझाव नया है। अब यह किया जा रहा है कि उपभोक्ताओं को एक बड़ा रेक दिया जा रहा है जिससे बीच में उतराव चढ़ाव न हो ।

†**श्री दाजी** : इस समस्या के सर्वेक्षण के लिए हमारी सहायता करने को आ रहे विश्व बैंक के दल का प्रस्ताव था । उसका क्या हुआ ? क्या वह दल आ रहा है । यदि हां, तो कब ?

†**श्री हाथी** : मैं समझता हूं कि वह आ गया है । इस प्रश्न की जांच हो रही है ।

†**डा० क० ल० राव** : क्या दीर्घकालीन सुझाव जैसे नहर के द्वारा गंगा और दामोदर नदी को मिलाना आदि पर भी विचार किया जायेगा ?

†**श्री हाथी** : नदी परिवहन भी एक सुझाव है ।

श्री शिव नारायण: क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि नदियों के द्वारा और मोटरों के द्वारा कोयले का ट्रांसपोर्ट करने के बारे में सरकार कुछ सोच रही है ?

श्री हाथी : जी हां, नदियों और मोटरों के द्वारा ट्रांसपोर्ट के बारे में भी सोचा जा रहा है । माननीय सदस्य, डा० राव, ने भी यह प्रश्न पूछा था ।

†**श्री श्यामलाल सर्राफ** : क्या उत्पादन केन्द्र से उपभोक्ता केन्द्र को वैगनों का लदान करना भी उस योजना का एक अंग है जिसके द्वारा वैगनों को शीघ्रता से चलाया जायेगा ?

†**श्री हाथी** : जी हां ।

†**श्री भागवत झा आजाद** : उनके मन्त्रालय के निर्धारण के अनुसार सभा में प्रायः दोहराये गये सुझावों के द्वारा देश के विभिन्न भागों की कोयले की मांग को पूरा करने के लिए परिवर्तन में कितना सुधार किया गया है क्या अभी भी वह कितना मांग से कम है ?

†**श्री हाथी**: अन्तिम आंकड़ों के अनुसार विभिन्न स्थानों के लिए अपेक्षित कोयले का लदान करने से फरवरी में सफलता मिली है ।

†**श्रीमती सावित्री निगम** : क्या इस दल द्वारा दिए गए सुझावों में यह भी सुझाव था कि कोयले के ढेर लगाये जायें तथा इस सुझाव को कितना क्रियान्वित किया गया है ?

†**श्री हाथी** : इनमें से कुछ उत्तर प्रदेश में हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री जसवन्त मेहता : मुगल सराय जंकशन पर कोयले का लदान करने से कठिनाई को हटाने में क्या कार्यवाही की गई है ?

†**श्री हाथी** : मैंने अभी बताया कि मुख्य सुझाव यह है कि बिना किसी कठिनाई के पूरे रेक का लदान किया जाये ।

एशियाई आर्थिक विकास संस्था

†*१०६१. **श्री महेश्वर नायक :**
श्री राम हरख यादव :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एशिया तथा सुदूर पूर्व के लिये आर्थिक आयोग के तत्वावधान में एशियाई आर्थिक विकास संस्था स्थापित होगी ;

(ख) प्रस्तावित संस्था के ध्येय तथा उद्देश्य क्या हैं ; और

(ग) प्रस्ताव की क्रियान्विति पर कितना व्यय होगा तथा यह रकम किस प्रकार प्राप्त की जायेगी ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह)**: (क) जी हां ।

(ख) संस्था का मुख्य उद्देश्य यह है कि एशिया तथा सुदूरपूर्व के लिये आर्थिक आयोग के सदस्य तथा सह-सदस्य देशों के चुने हुए कर्मचारियों को प्रशिक्षण द जिससे राष्ट्रीय विकास कार्यक्रमों की क्रियान्विति तथा आयोजन में ऐसे कर्मचारियों की प्रविधिक क्षमता बढ़ा सके । एशिया के लिए आर्थिक विकास संस्था अनुसन्धान और सलाहकार सेवायें भी करेगा । इलाके के उन्नीसवें सम्मेलन (मार्च, १९६३ में मनीला में हुए) में सर्व सम्मति से पारित संकल्प जिसके द्वारा भाग (ख) के उपबन्धों के अनुसार एशिया आर्थिक विकास तथा आयोजना संस्था स्थापित होने की प्रति सभा पटल पर रखी जाती है । **[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये सख्या एल० टी०—१२१४/६३]**

(ग) पांच वर्ष (१९६४–६८) की अवधि के लिए परियोजना का व्यय, अर्द्ध निर्माण कार्य का ३३ लाख डालर का अनुमान है । संयुक्त राष्ट्र विशेष निधि ने कुल लागत का दो तिहाई (अर्थात् २२ लाख अमरीकी डालर) देना स्वीकार कर लिया है तथा शेष (११ लाख अमरीकी डालर) भारत सरकार समेत सभी सदस्य सरकारों द्वारा दी जायेगी ।

†**श्री भागवत झा आजाद** : इस संस्था की स्थापना में हमारी सरकार का क्या अंशदान है ? क्या उन्होंने हमको बताया है ?

†**श्री मनुभाई शाह** : ११ लाख डालर में से सदस्य देश जनसंख्या के आधार पर हमें हमारा अंश बतायेंगे ।

†**श्रीमती सावित्री निगम** : प्रत्येक वर्ष कितने व्यक्तियों का प्रशिक्षण होगा तथा उसमें भारतीयों की कितनी प्रतिशतता होगी ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री मनुभाई शाह** : अभी यह नहीं बताया जा सकता है । अब परियोजना तैयार है तथा उन्हें कितनी ही बातों पर विचार करना है । १०० विद्यार्थियों को छांटना है जिनको एशिया महाद्वीप में उपलब्ध विशेषज्ञों के आधार पर होगा तथा राष्ट्रवार आधार पर नहीं होगा ।

†**श्री दी० चं० शर्मा**: क्या इस संस्था का कोई आद्यरुप योरोप अथवा अमरीका में है तथा यदि हां, तो क्या इन दोनों महाद्वीपों से कुछ विशेषज्ञों को आमन्त्रित किया जायेगा ?

†**श्री मनुभाई शाह** : इस्पात समुदाय तथा योरोपीय भुगतान संघ ने शूमैन की मूल योजना जब आरम्भ की थी तब योरोपियन समुदाय ने संस्था बनाई थी । यहां भी उसी का अनुकरण किया जा रहा है । परन्तु एशिया की आवश्यकतायें बहुत कम हैं तथा योरोप से भिन्न प्रकार की हैं तथा कुछ सीमा तक आर्थिक, कृषि तथा आयोजित विकास पर योरोपीय समाज की तुलना में अधिक बल दिया जायेगा ।

†**डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी** : क्या वक्तव्य की मद ७ में उल्लिखित तदर्थ समिति की बैठक हो चुकी है तथा उसने योजना की क्रियान्विति को अन्तिम रूप दे दिया है, यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

†श्री मनुभाई शाह: मनीला सम्मेलन में चालन को ही स्वीकृति दी गई थी। तदर्थ समिति अभी गठित होनी है तथा परियोजना पर बैठक विचार करने के बाद स्वीकार करेगी ।

वस्त्र उद्योग के लिये फ्रांसीसी सूत नम्बर (काउन्ट) प्रणाली

\+

†*१०६२. **श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :**
श्री श्याम लाल सर्राफ :
श्री ओंकार लाल बेरवा :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत में वस्त्र उद्योग ने सूत की किस्म व्यक्त करने के लिये फ्रांसीसी सूत नम्बर (काउन्ट) प्रणाली अपना ली है ;

(ख) यदि हां, तो कब से ;

(ग) क्या निर्यात के लिये उत्पाद—सूत तथा कपड़ा दोनों—अब भी विदेशों के ग्राहकों द्वारा बताये गये विशिष्ट विवरणों के अनसार बनाये जाते हैं ; और

(घ) वस्त्र उद्योग ने फ्रांसीसी सूत नम्बर (काउन्ट) प्रणाली को किस हद तक पसन्द किया है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह)**: (क) जी हां ।

(ख) १ अप्रैल, १९६३ से ।

(ग) जी हां ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(घ) फ्रांसीसी मीट्रिक काउन्ट प्रणाली को स्वीकार करने का निर्णय वस्त्र मिल उद्योग, सूत व्यापार, वस्त्र अनुसन्धान संस्था, हथकरघा उद्योग, बिजली करघा उद्योग तथा प्रविधिज्ञों के प्रतिनिधियों के सम्मेलन में की गई सिफारिशों पर किया गया था।

†**श्री प्र० रं० चक्रवर्ती** : वर्तमान प्रणाली की तुलना में फ्रांसीसी काउन्ट प्रणाली लागू करने के परिणामस्वरूप कितना अन्तर आया है ?

†**श्री मनुभाई शाह** : वर्तमान प्रणाली फीट पाउन्ड प्रणाली है जो ८४० गज का एक पौंड होती है। दूसरी प्रणाली १००० मीटर है जो १ किलोग्राम अथवा आधा किलोग्राम बनती है। हमने मिश्रित प्रणाली जो फ्रांसीसी काउन्ट प्रणाली कहलाती है को अपनाया है।

†**श्री प्र० रं० चक्रवर्ती** : क्या वस्त्र उद्योग ने फ्रांसीसी काउन्ट प्रणाली को अन्तर्राष्ट्रीय रूप में तथा वर्तमान प्रणाली को देशी उपयोग में स्वीकार कर लिया है।

†**श्री मनुभाई शाह** : आन्तरिक तथा बाह्य दोनों उपयोग के लिए एक प्रणाली करने का है। यह एक प्रावस्था भाजित कार्यक्रम होगा। अन्ततः अन्तर्राष्ट्रीय प्रणाली जो टैक्स प्रणाली कहलाती है तथा जिस में मीट्रिक तथा फ्रांसीसी काउन्ट प्रणाली में बहुत अन्तर है, स्वीकार की जायेगी। हमने यह अन्तर्राष्ट्रीय रूप में स्वीकार कर लिया है कि हम टैक्स प्रणाली को स्वीकार करेंगे। परन्तु इस समय फ्रांसीसी काउन्ट प्रणाली लागू रहेगी।

†**श्री श्याम लाल सर्राफ** : यह कैसा काम करेगी। देश में उस समय प्रचलित प्रणाली से उसकी किस प्रकार तुलना की जा सकती है ?

†**श्री मनुभाई शाह** : योरोप में फ्रांसीसी काउन्ट प्रणाली बहुत प्रचलित है। अमरीका में मीट्रिक प्रणाली है। परन्तु अब विश्व के प्रत्येक देश में टैक्स प्रणाली आ जायेगी जो कि हथकरघा बुनकरों तथा लघु हथकरघा बुनकरों से उलझने वाली है। हम १ अप्रैल, १९६३ से फ्रांसीसी काउन्ट प्रणाली को ही अपनाये रहेंगे।

†**श्री दी० चं० शर्मा** : यह कहना बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारे बुनकरों की यह समझ में नहीं आयेगा। मैं जानना चाहता हूं कि क्या प्रयत्न किये जा रहे हैं जिससे हमारे देश में भी अन्य देशों में अपनाई गई प्रणाली को अपना लिया जाय ?

†**श्री मनुभाई शाह** : मैं यही तो कह रहा हूं। विश्व के बहुत से भागों में प्रचलित प्रणाली के आधार पर ही मीट्रिक प्रणाली अपनाने का निर्णय किया है। सभा को पूर्णतः जानकारी है कि मीट्रिक प्रणाली को अपनाने के लिए विभिन्न उद्योगों में विभिन्न कार्य किए गए हैं। यह हमारी नीति के अनुसार है।

मोटर गाड़ियों के पुर्जों का आयात

+

†*१०६३. {**डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी** :
श्री काशी राम गुप्त :

क्या **इस्पात और भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९६१-६२ तथा १९६२-६३ में स्कूटरों, मोटर साइकिलों तथा तीन पहियों वाली गाड़ियों के निर्माण के लिए पुर्जों का आयात करने के लिये कितने मूल्य की विदेशी मुद्रा दी गई ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) तीसरी पंचवर्षीय योजना के अन्त में स्कूटरों, मोटर साइकिलों तथा तीन पहियों वाली गाड़ियों के उत्पादन का लक्ष्य क्या है तथा वर्तमान उत्पादन क्या है ; और

(ग) स्कूटरों, मोटर साइकिलों तथा तीन पहियों वाली गाड़ियों के उत्पादन लक्ष्य प्राप्त करने के लिए सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है ?

†**इस्पात और भारी उद्योग मंत्रालय में उपमंत्री (श्री प्र० चं० सेठी)**: (क) विवरण संलग्न है ।

विवरण

(क) १९६१-६२ १९६२-६३ में स्कूटरों, मोटर साइकिलों तथा तीन पहियों वाली गाड़ियों के पुर्जों के लिए दी गई विदेशी मुद्रा नीचे दी जाती है :—

वर्ष	दी गयी विदेशी मुद्रा
१९६१-६२ . . .	१४५.३९ लाख रुपये
१९६२-६३	१९२.६२ लाख रुपये

(ख) तीसरी पंच वर्षीय योजना के अन्त तक स्कूटरों, मोटर साइकिलों, तथा तीन पहियों वाली गाड़ियों के उत्पादन लक्ष्य ६०,००० वार्षिक है । १९६२ में उत्पादन २५,००२ था ।

(ग) प्रावस्था भाजित निर्माण कार्यक्रम की शीघ्र क्रियान्विति के लिए वस्तुओं का आयात करने के लिए वर्तमान निर्माताओं को अपेक्षित विदेशी मुद्रा की सहायता दी गई है । इस बीच पुर्जों का आयात करने के लिए उद्योग को आवश्यक विदेशी मुद्रा दी जा रही है । इसके अतिरिक्त गत दो वर्षों में मोटर साइकिलों, स्कूटरों तथा मोटरों के निर्माण के लिए कुछ और फर्मों को लाइसेंस दिया गया है । यह आशा है कि १९६४ के मध्य तक जब वर्तमान यूनिटें अपना निर्माण कार्य पूरा कर लेंगी और नई यूनिटों में उत्पादन होने लगेगा तब उत्पादन बढ़ जायेगा ।

†**डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी** : देश में स्कूटरों मोटर साइकिलों, तथा तीन पहियों की गाड़ियों के निर्माण की स्थापित क्षमता क्या है तथा क्या तीसरी पंचवर्षीय योजना के लिए निश्चित लक्ष्यों से यह कम है ।

†**श्री प्र० चं० सेठी** : स्थापित क्षमता ५०,००० है । मैसर्स आइडियल (जावा) इण्डो लिमिटेड, मैसूर की क्षमता का अभी निर्धारण करना है । इसका निर्धारण तभी होगा जब वे एक वर्ष से अधिक की अवधि तक उत्पादन करते रहेंगे तथा तीसरी योजना के लक्ष्य ६०,००० है ।

†**डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी** : स्कूटरों, मोटर साइकिलों, तथा तीन पहियों वाली गाड़ियों के नये निर्माताओं को लाइसेंस देने के संबंध में सरकार की क्या नीति है तथा क्या यह सच है कि राजस्थान के बहुत से आवेदनपत्र अस्वीकार कर दिये गये हैं तथा यदि हां, तो किन कारणों से ?

†**श्री प्र० चं० सेठी** : वर्तमान नीति यह है कि स्कूटरों तथा तीन पहियों की गाड़ियों के लिये नये लाइसेंस न दिए जायें । परन्तु हमने मोटर बनाने के लिए लाइसेंस दिए हैं ।

†**श्री हरि विष्णु कामत** : विवरण में बताया गया है कि वर्तमान निर्माताओं के अतिरिक्त कुछ और फर्मों को मोटर साइकिलों, स्कूटरों आदि के निर्माण के लिए लाइसेंस दिए गए हैं । क्या मंत्री महोदय सभा को यह बतायेंगे कि किन फर्मों को लाइसेंस दिया गया है तथा यदि नहीं, तो क्या किसी वर्ग का पक्षपात किया गया है ? यदि संभव है तो नाम बता दिये जायें ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री प्र० चं० सेठी** : : किसी भी वर्ग का पक्षपात नहीं किया है । मैसर्स सौंद ज्वेरार यूनियन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, नई दिल्ली तथा मैसर्स भोपैड, इंडिया लिमिटेड, हैदराबाद को ७,५०० क्षमता के मोटरों का निर्माण करने का लाइसेंस दिया गया है ।

†**श्री हरि विष्णु कामत** : केवल दो फर्में ।

†**डा० सरोजिनी महिषी** : क्या १९६१-६२ में आयात किए गए मोटरों के पुर्जों को १९६२-६३ में बनाने का लाइसेंस दिया गया था ?

†**श्री प्र० चं० सेठी** : यह प्रश्न नहीं उठता है ।

श्री शिवनारायण : बुकिंग के लिए एडवांस के तौर पर इन कम्पनियों ने कुल कितना रुपया कस्टमर्स से जमा करवाया है ?

श्री प्र० चं० सेठी : यह प्रश्न भी नहीं उठता है ।

†**श्री मुहम्मद इलियास** : हमारे देश में सत प्रतिशत पुर्जे कब तक बनने लगेंगे । क्या हमारे देश की वर्तमान यूनिटों द्वारा और अधिक पुर्जों को बनाने के लिए विस्तार कार्यक्रम के लिए सरकार ने स्वीकृति दे दी है ?

†**श्री प्र० चं० सेठी** : इस समय देशी पुर्जे ५० से ७० प्रतिशत तक बनते हैं । हमें आशा है कि १९६४ तक देसी पुर्जे ९० प्रतिशत बनने लगेंगे ।

श्री काशीराम गुप्त : मैं जानना चाहता हूं कि सब पार्टस अपने देश में कब तक बनने लग जायेंगे और इन की प्राइसिस जो अब हैं उससे कितनी नीचे अगले दो सालों में आ जायेंगी ?

श्री प्र० चं० सेठी : इस समय ५० से ७० परसेंट इंडीजिनस कम्पोनेंट यहां बन रहे हैं और १९६४ तक ९० परसेंट बनने लगेंगे । जहां तक कीमत का सवाल है, उसके बारे में कई बार उत्तर दिये जा चुके हैं ।

†**श्री दाजी** : माननीय मंत्री ने क्षमता बता दी है मैं जानना चाहता हूं कि क्षमता की तुलना में उत्पादन कितना होगा ?

†**श्री प्र० चं० सेठी** : १९६२ में उत्पादन २५,००० था ।

†**श्री स० मो० बनर्जी** : क्या मोटरकारों और स्कूटरों के वर्तमान मूल्य कम करने के लिए मोटर गाड़ियों के निर्माताओं से कोई समझौता करने का सरकार ने कोई प्रयत्न किया है ?

†**अध्यक्ष महोदय** : इस प्रश्न का संबंध मोटर कारों से नहीं अपितु स्कूटरों से है ।

†**श्री प्र० चं० सेठी** : इस समय मूल्य कम करने का प्रश्न नहीं है । जब तक उनकी क्षमता ठीक नहीं हो जाती है तब तक वह ऐसा नहीं कर सकेंगे ।

†**श्री जसवन्त मेहता** : १९६२ में उत्पादन २५,००० था तीसरी योजना में कार्यक्रम ६०,००० था । आगामी वर्ष के उत्पादन के लिए सरकार का क्या निर्धारण है । उत्पादन का मूल्यों पर क्या प्रभाव होगा ?

†**श्री प्र० चं० सेठी** : मैंने बताया हम पुर्जों के लिए विदेशी मुद्रा दे रहे हैं और उत्पादन धीरे-धीरे बढ़ रहा है । मोपड़ो का लाइसेंस देने पर उन की संख्या बढ़ जायेगी । हमें आशा है कि १९६५-६६ तक निश्चित क्षमता ६०,००० हो जायेगी ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री इकबाल सिंह** : क्या यह सच है कि रजिस्टर कराने के बाद नया स्कूटर मिलने में दो वर्ष लग जाते हैं तथा क्या सरकार निर्माण क्षमता बढ़ाने पर विचार करेगी अथवा सरकार नई यूनिट स्थापित करने पर विचार करेगी ?

†**श्री प्र० चं० सेठी** : मैं बता चुका हुं कि तीसरी पंचवर्षीय योजना का हमारा लक्ष्य ६०००० है हमने ५०,००० की क्षमता के लाइसेंस दे दिए हैं यह डिजल जावा की क्षमता का निर्धारण कर लिया गया है । यह लगभग १५,००० है । यह लगभग ६०,००० है ।

†**श्री भगवत झा आजाद** : प्रत्येक वर्ष पुर्जों का, आयात करने के लिए विदेशी मुद्रा देते समय क्या सरकार ने पुर्जों का निर्माण धीरे-धीरे बढ़ाने की शर्त रखी है तथा यदि हां, तो निर्माता उसका कितना उपयोग कर रहे हैं ?

†**श्री प्र० च० सेठी** : संतोषजनक प्रगति है । हमें आशा है कि १९६४ तक ६० प्रतिशत बढ़ोत्तरी हो जायेगी ।

श्री शिव नारायण : जैसे मोटर वगैरह का रुपया बैंकों में जमा होता है, वैसे ही स्कूटर वाला रुपया बैंकों में जमा क्यों नहीं होता है, मालिकों के पास क्यों जमा होता है ? यह मैं एडवाँस के रुपये की बात कर रहा हूं ।

†**श्री प्र च० सेठी** : मामला विचाराधीन है ।

श्री शिव नारायण : अध्यक्ष महोदय, जवाब नहीं मिला है ।

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने कहा है कि इस पर भी गौर कर रहे हैं ।

श्री यशपाल सिंह : इन एमरजैंसी हालात का फायदा उठा कर जो पुर्जों की बीस बीस गुना कीमत कर दी गई हैं, इसको रोकने के लिए सरकार क्या कर रही है ?

श्री प्र० चं० सेठी : इस बात की मुझे जानकारी नहीं है ।

निर्यात व्यापार संबर्द्धन

*†१०६४. { **श्री सिद्धेश्वर प्रसाद** : +
श्री प्र० च० बरुआ :
श्रीमती रेणुका राय : }

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि व्यापार बोर्ड की मार्च, १९६३ में हुई बैठकों में निर्यात व्यापार को बढ़ाने के लिए क्या निर्णय किये गये ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मत्री (श्री मनुभाई शाह) : सदन की मेज़ पर एक विवरण रखा जाता है ।

विवरण

व्यापार बोर्ड की बठक ३० मार्च, १९६३ को हुई थी । इस बैठक में १९६२–६३ में निर्यात स्थिति का सामान्य पुनर्विलोकन करने के अतिरिक्त निम्नलिखित विषयों पर भी विचार किया गया था :—

(१) रिजर्व बैंक द्वारा निर्यात संवर्द्धन में सहायता ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(२) भारतीय निर्यातकों द्वारा विदेशों में कार्यालय खोलना तथा विदेशों की यात्रा के लिए विदेशी मुद्रा देना ।

(३) निर्यात संबंधी प्रचार के प्रयत्न ।

(४) वाणिज्यिक मध्यस्थता ।

(५) हथकरघे के वस्त्रों का निर्यात ।

बैठक में व्यक्त किये गये महत्वपूर्ण विचार तथा किये गये निर्णय निम्न प्रकार हैं :—

(१) खेती की उत्पादकता बढ़ाना निर्यात संवर्द्धन का मूलभूत आधार है; चीनी, तेलहन तथा रुई का उत्पादन बढ़ाने की इसलिये आवश्यकता है कि वे निर्यात के प्रयत्न में और अधिक अंशदान कर सके ।

(२) बाजार गवेषणा, वस्तु संबंधी गवेषणा तथा क्षेत्र सर्वेक्षण के लिए अधिक बड़े कार्यक्रम चलाये जाने की आवश्यकता है ।

(३) यद्यपि नये आय-व्ययक में निर्यात के लिए सहायता करने के बारे में अनेक उपाय दिये हुए हैं, फिर भी निर्यात वस्तुओं पर बढ़ते हुए बिक्री कर के भार को निष्प्रभाव करने की आवश्यकता है । इसके अनुसार बोर्ड ने एक समिति नियुक्त करने की सिफारिश की है जो बिक्री कर के प्रभाव की जाँच करेगी तथा सहायता के लिए उपयुक्त सिफारिश करेगी ।

(४) पूर्वी यूरोपीय देशों के साथ ऐसे अपेक्षाकृत दीर्घ-कालिक व्यापार प्रबन्ध करना लाभदायक होगा जिस में विक्रय सूचियों का समय-समय पर पुनर्विलोकन करने की व्यवस्था हो ।

(५) रिज़र्व बैंक आफ इण्डिया द्वारा विदेशों में किये गये गवेषणा सम्बन्धी अध्ययन बड़े लाभदायक सिद्ध हुए हैं । इस कारण इस कार्यक्रम को विस्तृत करके लगातार चलाते रहना वाँछनीय होगा ।

(६) भारतीय निर्यातकों को विदेशों में शाखा कार्यालय तथा सहायक कार्यालय खोलने के लिए जो सुविधायें दी गयी हैं उन्हें और बढ़ाना इस दृष्टि से आवश्यक है जिससे सम्पर्क बढ़ाने, आर्डर लेने के लिए प्रचार करने तथा बिक्री पश्चात् सेवा की स्थापना करने में सुविधा मिल सके ।

(७) निर्यात के लिए वर्तमान प्रचार प्रयत्न अपर्याप्त है इस कारण विभिन्न बाजारों में चुनी हुई वस्तुओं की बिक्री को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से भिन्न-भिन्न संगठनों द्वारा विस्तृत प्रचार कार्य-क्रम निर्धारित किया जाना चाहिए ।

(८) बोर्ड ने वाणिज्यिक मध्यस्थताके सम्पूण क्षेत्र का पुनर्विलोकन करने तथा निर्यात के दीर्घ-कालिक हित की दृष्टि से किये जाने वाले प्रशासनिक एवं विविध उपायों का सुझाव देने के लिए एक समिति नियुक्त करने की भी सिफारिश की ।

(९) हथकरघे के वस्त्रों के निर्यात का कार्य यदि पूर्ण रूप से देखा जाये तो संतोषजनक रहा है। उत्पादन के अतिरिक्त जिस अन्य उपाय की आवश्यकता है वह यथोचित विपणन तथा जोरदार प्रचार करना है ।

श्री सिद्धेश्वर प्रसाद : विवरण से मालूम पड़ता है कि बैठक में इस बात का निर्णय लिया गया कि प्रचार के लिए भी कदम उठाये जायेंगे । मैं जानना चाहता हूं कि अब तक प्रचार के लिए विदेशों में क्या कदम उठाये गये हैं ?

श्री मनुभाई शाह : प्रचार के लिए वैसे तो आज मिनिस्ट्री आफ एक्सटर्नल एफेर्यज़ में एक एक्सटर्नल एफेर्यज़ पब्लिसिटी डायरेक्टोरेट है और हमारी मिनिस्ट्री में भी एक डायरेक्टोरेट आफ कमर्शियल पब्लिसिटी है। लेकिन उनको और ज़रा स्ट्रैंगथन करने की जरूरत है । इसलिए जो तीन करोड़ अस्सी लाख एक नया मार्किटिंग डिवेलपमेंट फंड है, उस में से काफी रकम उस में अदा की जायेगी ।

श्री सिद्धेश्वर प्रसाद : इस सिलसिले में यह भी बताया गया है कि खेती चीजों के निर्यात को बढ़ाने के सम्बन्ध में कदम उठाये जा रहे हैं और उस के सम्बन्ध में विचार किया जा रहा है । मैं जानना चाहता हूं कि इस के सम्बन्ध में क्या निर्णय लिया गया है ?

श्री मनुभाई शाह : जो फिल्में बनें इस सम्बन्ध में कि हिन्दुस्तान के अन्दर क्या चीज मिल सकती हैं, उन को पब्लिसिटी के लिये बाहर भेजा जाय । जो एक्सपोर्ट प्रमोशन कौंसिल आफ स्पाइसेज है उस ने अभी ब्लैक पेपर पर एक बहुत बढ़िया फिल्म बनाई है, ऐसे ही हैंड लूम प्रोडक्ट्स के ऊपर भी बहुत बढ़िया फिल्म बनी है । इस के अलावा कामर्शल ऐडवर्टाइजमेंट्स हैं, उन को भी दे रहे हैं जिस में कि हिन्दुस्तान की प्रोडक्ट्स बाहर मशहूर हों ।

श्री प्रिय गुप्त : क्या मैं जान सकता हूं कि यह जो बोर्ड है उस के टर्म्स आफ रिफरेंस में यह भी आता है कि जो स्टैन्डर्ड स्पेसिफिकेशन्स सामान के बाहर के देशों में भेजे जाने के लिये ऐक्सेप्ट किये जाते हैं, हमारे मर्चेन्ट्स ऐक्चुअली उन के खिलाफ इंटैन्शली भेजते हैं और अपने देश को दूसरे देशों की नजरों में गिराते हैं और हमारा एक्स्पोर्ट विजिनेस खराब करते हैं ? इस पर यह बोर्ड ध्यान दे रहा है या नहीं ?

श्री मनुभाई शाह : उन्होंने इस के लिये सिफारिश की थी, और जैसा सदन को पता है इसी १ मई को वह बिल हमारे सामने आ रहा है जिसके द्वारा सरकार एक कारपोरेट बाडी स्थापित करने जा रही है । उस का नाम होगा एक्सपोर्ट कौंसिल । उस के मातहत हम ने १ जनवरी से ४९ प्रोडक्ट्स के क्वालिटी कंट्रोल को ला दिया है और हमारा इरादा है कि तीन साल के अन्दर हिन्दुस्तान ७० या ८० फी सदी चीज जो कि दुनिया के बाजारों में बिकती हैं उन का प्रीशिपमेंट इन्स्पेक्शन भी हो और क्वालिटी कंट्रोल भी हो ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

अनकामलि में ट्रांसफारमर का कारखाना

†*१०५६. **श्री कोया :** क्या **इस्पात और भारी उद्योग** मंत्री २५ जनवरी, १९६३ के अतारांकित प्रश्न संख्या ११०८ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनकामलि में विद्युत् ट्रान्सफ़ारमर कारखाने का पंजीयन हो गया है; और

(ख) क्या तीनों पार्टियों के बीच किये गये क़रार का अनुमोदन कर दिया गया है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**इस्पात और भारी उद्योग मंत्रालय में उपमंत्री (श्री प्र० चं० सेठी)**: (क) जी हाँ।

(ख) तीनों पार्टियों के बीच हुए क़रार को अन्तिम रूप से स्वीकार नहीं किया गया हैं क्योंकि सरकार द्वारा सुझाये गये परिवर्तनों पर सम्बन्धित पार्टियाँ विचार कर रही हैं।

सिलाई की मशीन के पुर्जे

†*१०५८. **श्री इन्द्रजीत गुप्त**: क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दक्षिण भारत की एक संस्था ने अमरीका की 'सिंगर सीविंग मशीन कम्पनी' के सहयोग से सिलाई की मशीन के पुर्जों का निर्माण करने के लिये लाइसेंस माँगा है; और

(ख) यदि हाँ, तो क्या सरकार आवेदन-पत्र पर विचार कर रही है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो)**: (क) जी हाँ।

(ख) आवेदनपत्र विचाराधीन है।

पुनर्वास उद्योग निगम द्वारा ऋण

†*१०५९. **श्री दीनेन भट्टाचार्य** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पुनर्वास उद्योग निगम द्वारा जिन भिन्न-भिन्न औद्योगिक संस्थाओं को ऋण दिया गया था उन के ऊपर अभी भी कितनी रक़म बकाया है ; और

(ख) क्या सरकार ने कोई जांच की है कि ऋण लेने वाली कम्पनियों ने किस सीमा तक विस्थापित व्यक्तियों को रोज़गार दिलाया है।

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो)**: (क) ३१-३-१९६३ को बकाया ऋण ६९,१५,८०२ रुपये ८९ नये पैसे है। ब्योरे का एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०—१२१५/६३]**

(ख) जी नहीं। निगम ने ऋण लेने वालों के लेखों को सांवधिक निरीक्षण के लिए तथा ऋण लेने वाले द्वारा नियुक्त विस्थापित व्यक्तियों की जांच के लिए उपयुक्त व्यवस्था कर दी है। निगम से समय-समय पर जानकारी ले कर विस्थापित व्यक्तियों की नियुक्ति पर सरकार लगातार ध्यान रख रही है।

उर्वरक कारखाना उपकरण की खरीद

†*१०६०. **श्री नि० रं० लास्कर** : क्या **इस्पात और भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत जापान के इंजीनियरिंग कारख़ानों से लगभग २४,३००,००० डालर का मूल्य का उर्वरक कारखाना उपकरण खरीद रहा है ;

(ख) क्या सौदा पक्का हो गया है ; और

---

†मूल अंग्रेज़ी में

(ग) यदि हां, तो उस का ब्यौरा क्या है ?

†**इस्पात तथा भारी उद्योग मंत्रालय में उपमंत्री (श्री प्र० चं० सेठी)**: (क) से (ग). भारत के उर्वरक निगम, जिस को उत्तर प्रदेश में गोरखपुर में उर्वरक कारखाना स्थापित करने का काम सौंपा गया है, ने परियोजना के लिए अमोनिया तथा यूरिया संयंत्रों को खरीदने के बारे में जापानी निर्माताओं के संघ को लिखा है। पार्टियां अन्तिम रूप से समझौते पर बातचीत कर रही हैं।

दुर्गापुर में विशेष इस्पात संयंत्र

†*१०६५. **श्री प्र० चं० बरुआ :**
श्री उलाका :
श्री धुलेश्वर मीना :
श्री ओंकारलाल बेरवा:
श्री राम सहाय पाण्डेय :

क्या **इस्पात और भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दुर्गापुर में एक विशेष इस्पात संयंत्र स्थापित करने के लिये जापानी मंत्रणा संस्था को क्रयादेश (आर्डर) दिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो दुर्गापुर में दूसरा इस्पात कारखाना स्थापित करने की योजना का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) जापानी संस्था के साथ हुए करार की शर्तें क्या है ?

†**इस्पात और भारी उद्योग मंत्रालय में उपमंत्री (श्री प्र० चं० सेठी)**: (क) जी नहीं।

(ख) और (ग). जापानी संघ तथा अन्य व्यक्तियों से बातचीत की जा रही है। अब तक कोई आदेश नहीं दिया गया है।

मशीनों का उत्पादन

†*१०६६. **श्री महेश्वर नायक :**
श्री हरिविष्णु कामत :
श्री राम हरख यादव :
श्री सिद्धेश्वर प्रसाद :
श्री सरजू पाण्डेय :

क्या **इस्पात और भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मशीनों—विशेषतया कपड़ा, कागज तथा लुगदी, सीमैंट, चीनी तथा भारी इंजीनियरिंग उद्योगों की मशीनों —का वास्तविक वार्षिक उत्पादन निर्धारित लक्ष्यों से बहुत कम रहा है ;

(ख) यदि हां, तो उपरोक्त प्रत्येक वर्ग में उत्पादन कितना कम रहा है तथा इस के क्या कारण है ;

(ग) क्या इन क्षेत्रों में पूर्ण अधिष्ठापित क्षमता बेकार पड़ी है ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(घ) स्थिति में सुधार करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

†**इस्पात और भारी उद्योग मंत्रालय में उपमंत्री (श्री प्र० चं० सेठी)**: (क) से (घ) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० १२१६/६३**]

घड़ियों का निर्माता

†२३६४. **श्री प्र० चं० देवभंज :**
श्री कृष्ण देव त्रिपाठी :

क्या **इस्पात और भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि एच० एम० टी० कारखाने ने आज तक कितनी घड़ियां बनाई गई हैं ?

†**इस्पात और भारी उद्योग मंत्रालय में उपमंत्री (श्री प्र० चं० सेठी)** : २३ अप्रैल, १९६३ तक हिन्दुस्तान मशीन टूल्स लिमिटेड द्वारा ६६,९४६ घड़ियां बनाई गई हैं।

उत्तर प्रदेश में औद्योगिक सहकारी समितियां

†१३६५. **श्री सरजू पाण्डेय** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश में इस समय कितनी औद्योगिक सहकारी समितियां हैं ; और

(ख) समितियां किस प्रकार की हैं तथा उन की उत्पादन क्षमता क्या है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो)** : (क) ३० जून, १९६२ को उत्तर प्रदेश में ४०६२ औद्योगिक सहकारी समितियां हैं ;

(ख) १९६१-६२ के सहकारी वर्ष में उद्योग वार तथा उत्पादन वार आंकड़े नीचे दिए जाते हैं :—

उद्योग	समितियों की संख्या	उत्पादन (००० रुपये में)
हथकरघा	१,५३३	
रेशम उद्योग	४	४,७२,६७
काफी	३३	
ग्रामोद्योग	१,९७३	
हस्तशिल्प	२२५	१,१०,०७
छोटे पैमाने के उद्योग तथा विविध	२९२	

उड़ीसा में हथकरघा बुनकरों के लिये मकान

†२३६६. **श्री उलाका**: क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या १९६२-६३ और १९६३-६४ में उड़ीसा में हथकरघा बुनकरों के लिये मकान बनाने का कोई प्रस्ताव है ;

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो उस का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इस अवधि में इस काम के लिये कितना धन सरकार द्वारा मंजूर किया गया है या मंजूर करने का विचार है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) से (ग) एक ऐसा कोई नहीं है। १९६२-६३ से पहले आरम्भ किया गया निर्माण कार्य १९६२-६३ में १३,८०० रुपये के ऋण तथा ५२,००० के अनुदान से पूरा किया जा रहा है और १९६३-६४ में १३०,००० रुपये के ऋण तथा १०५,००० रुपये के अनुदान से ।

उड़ीसा में कुटीर उद्योग

†२३६७. **श्री उलाका :**
श्री धुलेश्वर मीना :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या १९६१-६२ और १९६२-६३ में उड़ीसा की पिछड़ी जातियों के लोगों के लाभार्थ कोई कुटीर उद्योग संगठित किये गये है ; और

(ख) यदि हां, तो इस का ब्यौरा क्या है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो)**: (क) जी हां ।

(ख) मुख्यतया पिछड़ी श्रेणियों के लोगों के लाभार्थ निम्न कुटीर उद्योग संगठित किये गये है :—

हथकरघा	पत्थर का काम
रेशम कृमि पालन	गांव का तेल
विद्युत् करघा	मिट्टी का बर्तन
बेंत और बांस	चमड़ा
घंटी की धातु	साबुन
अल्मोनियम	हाथ से मुटाई
	ताड़ गुड़

उड़ीसा में दस्तकारी पण्यशालाएं[1]

†२३६८. **श्री उलाका** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९६१-६२ और १९६२-६३ में उड़ीसा में सरकारी हस्तकला एम्पोरियम के द्वारा दस्तकारियों की बिक्री से कितनी राशि प्राप्त हुई है ; और

(ख) १९६१-६२ और १९६२-६३ में इन एम्पोरियमों को चलाने के लिये कितना व्यय किया गया है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो)**: (क) और (ख) इस अवधि में उड़ीसा में सरकारी ऐम्पोरियम के द्वारा दस्तकारी की बिक्री तथा उन पर किया गया व्यय

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Handicrafts Emporia

नीचे दिखाये जाते है :

वर्ष	बिक्री	व्यय
१९६१–६२ .	४५,७१५ रु०	१९,४७५ रु०
१९६२–६३	४९,९९१ रु०	१७,१०८ रु०

लघु अविष्कार विकास बोर्ड

†२३६९. { **श्री घुलेश्वर मीना :**
श्री उलाका :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या १९६२-६३ में छोटे पैमाने की ईजाद विकास बोर्ड द्वारा कोई पारितोषिक दिये गये थे ; और

(ख) यदि हां, तो उन का ब्योरा क्या है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो)** : (क) जी हां ।

(ख) १९६२-६३ के लिये पारितोषिक प्राप्त करने वाले लोगों के नाम, उन की ईजादें तथा प्रत्येक को दी गई राशि दर्शाने वाला विवरण संलग्न है । **[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी०—१२१७/६३]**

कारतूसों की कीमत

२३७०. **श्री प्रकाशवीर शास्त्री** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में कारतूसों की कीमत बहुत बढ़ गयी है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि विदेशी कारतूसों को चोरबाजार में भी बेचा जाता है ;

(ग) कारतूस उचित दामों पर और अच्छी मात्रा में मिल सकें इस सम्बन्ध में सरकार क्या कुछ व्यवस्था कर रही है ; और

(घ) यदि हां, तो इस पर कब तक अंतिम निर्णय कर लिया जायेगा ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह): (क) और (ख) . जी, नहीं ।

(ग) और (घ) . युद्ध-सामग्री बनाने वाले भारतीय कारखानों द्वारा निर्मित कारतूसों को विक्रेताओं द्वारा निर्धारित मूल्यों पर बेचने का प्रबन्ध किया जा चुका है । आयात किये गये कारतूसों के मूल्यों पर कोई नियन्त्रण नहीं है किन्तु अप्रैल, १९६२ से पुराने आयातकों द्वारा कारतूसों का आयात किये जाने पर रोक लगा दी गयी है । इंडियन रायफल एसोसियेशन, रायफल क्लब्स एण्ड सिटी रायफल एसोसियेशन्स की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये राज्य व्यापार निगम को रुपये वाले क्षेत्रों से केवल उन्हीं कारतूसों का आयात करने के लिए लाइसेंस दिये जाते हैं जो देश में नहीं बनते हैं । रायफल एसोसियेशनों और क्लबों को भी

†मूल अंग्रेजी में

केवल उन्हीं किस्मों के कारतूस आयात करने के लाइसेंस दिये जायेंगे जो देश में नहीं बनते तथा जो राज्य व्यापार निगम द्वारा आयात किये गये स्टाक से नहीं मिल सकते हैं।

इस्पात की ट्यूबों का उत्पादन और वितरण

२३७१. **श्री राम सेवक यादव :**
श्री रामेश्वरानन्द :
श्री बागड़ी :

क्या **इस्पात और भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश के समस्त इस्पात के ट्यूब बनाने वालों को यह हिदायत जारी कर दी है कि वे अपने उत्पादों का वितरण केवल मान्यताप्राप्त व्यापारी संघों और यह काम करने वाले अन्य व्यापारियों के द्वारा ही करायें ;

(ख) यदि हां, तो क्या उनके मंत्रालय को इस प्रकार की शिकायतें प्राप्त हुई हैं कि उपरोक्त हिदायतों का उल्लंघन किया जा रहा है ; और

(ग) यदि हां, तो किन संगठनों ने इन हिदायतों का उल्लंघन किया है और उनके विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है ?

इस्पात और भारी उद्योग मंत्रालय में उपमंत्री (श्री प्र० चं० सेठी): (क) इस्पात के पाइपों और ट्यूबों के वितरण पर कोई नियंत्रण नहीं है और उत्पादकों को अपने उत्पादों का वितरण व्यापारी संघों इत्यादि द्वारा करने के बारे में कोई हिदायतें जारी नहीं की गई हैं। फिर भी उन्हें परामर्श दिया गया कि वे सुनिश्चित करें कि पाइप उचित दामों पर बेचे जाएं और वे अपने व्यापारियों को आदेश दें कि वे विभिन्न माप के पाइपों और ट्यूबों के मूल्य अच्छी तरह प्रदर्शित करें।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठते।

चमड़े के कारखाने

२३७२. **श्री रामेश्वरानन्द :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में चर्म उद्योग के कितने कारखाने हैं ;

(ख) इन कारखानों में किन-किन जीवों, पशुओं आदि के चर्म का प्रयोग होता है ;

(ग) वर्ष भर में किन-किन देशों को किन-किन पशुओं का चर्म बाहर भेजा जाता है और उनसे कितने रुपये की प्राप्ति होती है ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो): (क) इस उद्योग के १५ बड़े और ७५३ छोटे कारखाने हैं।

(ख) भैंस, पशु, बकरियां, भेड़ें, छिपकली, सांप, अन्य रेंगने वाले जन्तु तथा मगर।

(ग) उपर्युक्त भाग (ख) में उल्लिखित सभी पशुओं के चर्म और खालों का निर्यात मुख्यतः इंग्लैण्ड, अमरीका, पश्चिमी यूरोपीय देशों, सोवियत रूस, चेकोस्लोवाकिया, यूगोस्लाविया, जापान और आस्ट्रेलिया को किया जाता है तथा इस निर्यात का मूल्य प्रति वर्ष ३३ और ३४ करोड़ रु० के बीच रहता है।

---

†मूल अंग्रेजी में

औद्योगिक खतरे

†२३७३. **डा० उ० मिश्र : क्यावाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इस समय भारत में, भारतीय बुआयलर अधिनियम, १९२३, फैक्टरी अधिनियम १९४८ तथा भारतीय विस्फोटक पदार्थ अधिनियम, १८८४ के अन्तर्गत न आने वाले स्थिर एवं इकट्ठे किये जा सकने वाले दबाव-सह पात्रों का डिजाइन बनाने, उनका निर्यात करने, उसको टैस्ट एवं निरीक्षण करने, लाइसेंस देने तथा चलाने के संबंध में कोई संविहित विनियम, मानक विशिष्टताएं या संचालन नियम इस समय विद्यमान नहीं है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार इस काम के लिये व्यापक विधान बनाने के लिये कोई कार्रवाई करने का विचार करती है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो)** : (क) और (ख) यह सच है कि कुछ किस्मों के दबाव-सह पात्र पर वर्तमान अधिनियमों के अन्तर्गत किसी विनियम के अन्दर नहीं आते । पहले कदम के तौर पर भारतीय मानक संस्था ने व्यापकार दबाव-सह पात्र नियम बनाने का काम आरंभ किया है । इस के पूरा हो जाने पर सरकार सोचेगी कि क्या और विधान बनाने की आवश्यकता है ।

नारियल जटा की वस्तुएं

†२३७४. **श्री वासुदेवन नायर :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि भारत सरकार के मंत्रालयों और विभागों ने १९६०-६१ तथा १९६१-६२ में इस प्रार्थना पर कि उन की कुछ प्रतिशत आवश्यकताएं नारियल जटा भी होनी चाहियें ; कितना माल खरीदा है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : भारत सरकार के मंत्रालयों तथा विभागों द्वारा संभरण तथा उत्सर्जन महानिदेशक के द्वारा और नारियल जटा बोर्ड के प्रदर्शन गृहों और बिक्री डिपुओं से खरीदी गई नारियल जटा वस्तुओं का मूल्य इस प्रकार है :

१९६०–६१ . . .	४,४७,५५८ रु०
१९६१–६२	८,६३,४८२ रु०

औद्योगिक संयंत्र तथा मशीनरी

†२३७५. **श्री सुबोध हंसदा :** क्या **इस्पात और भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सरकारी और गैर-सरकारी दोनों क्षेत्रों में औद्योगिक संयंत्र तथा मशीनरी के निर्माण के प्रगति संबंधी प्रगति का अनुमान लगा लिया है ;

(ख) यदि हां, तो वर्तमान उत्पादन गति की दृष्टि से तीसरी योजना के लक्ष्य को प्राप्त करने का सरकार का अनुमान क्या है ;

(ग) क्या वर्तमान उत्पादन दर में कमी हुई है ; और

(घ) यदि हां, तो कितनी ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**इस्पात और भारी उद्योग मंत्रालय में उपमंत्री (श्री प्र० चं० सेठी)**: (क) से (घ) . तीसरी योजना के लक्ष्य योजना के अन्तिम वर्ष १९६३–६४ में पूरे करने के लिये निर्धारित हैं । (तीसरी योजना अवधि में बीच के वर्षों में इन लक्ष्यों का वार्षिक प्रक्रयन नहीं किया गया) गैर-सरकारी एवं सरकारी दोनों क्षेत्रों में औद्योगिक संयंत्रों और मशीनरी के निर्माण की प्रगति की समय समय पर समीक्षा की जाती है। आशा है कि तीसरी योजना के लक्ष्य अधिकांश उद्योगों में अधिकतर पूरे हो जायेंगे । अधिकांश मशीनरी निर्माण उद्योगों के उत्पादन में वृद्धि हुई है । तथापि कुछ मशीन निर्माण उद्योगों के उत्पादन में १९६१ की तुलना में १९६२ में कमी हुई है । १९६१ और १९६२ में कुछ प्रमुख उद्योगों के उत्पादन को दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है ।

[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० १२१८ / ६३]

भट्टी का तेल

†२३७६. **श्री सुबोध हंसदा** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अधिकतर उद्योगों ने भट्टी तेल का प्रयोग शुरू कर दिया है ;

(ख) यदि हां, इस तेल की वर्तमान खपत क्या है ;

(ग) क्या औद्योगीक एकांश चलाने की लागत में कोई कमी हुई है ; और

(घ) यदि हां, तो कोयला जलाने वाले उद्योगों की तुलना में कितनी कमी है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो)** : (क) जी हां ।

(ख) सुरक्षा कारणों से यह सूचना देना उचित नहीं होगा ।

(ग) और (घ) . अनुमान किया जाता है कि भट्टी तेल का प्रयोग करने से उद्योग को अधिक व्यय करना पड़ेगा, जो प्रति टन प्रयुक्त तेल में १० से १५ रुपये तक होगा, जो उद्योग की किस्म पर निर्भर करेगा । तथापि ये लाभ होंगे :

(१) ईंधन संभरण जारी रहता है ।

(२) सरल ढंग से काम चल सकता है ।

(३) मानक ईंधन गुप प्रकार :

(४) बुआयलर को चलाने में कुशलता बढ़ेगी ।

(५) बुआयलरों के चलने का औसत जीवन बढ़ेगा और मरम्मत आदि का खर्च कम होगा ।

मैंगनीज का निर्यात

†२३७७. **श्री प्र० रं० चक्रवर्ती** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गुजरात की मैंगनिज खानों के १७०० कर्मचारी स्टाक जमा होने के कारण बेकार हो गये हैं ;

(ख) क्या राज्य सरकारों ने माल को निर्यात करने में सहायता देने के लिये केन्द्रीय सरकार से तथा राजकीय व्यापार निगम से प्रार्थना की है ; और

(ग) सरकार ने इस मामले में क्या कदम उठाये हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शह)**: (क) हमें कोई सूचना नहीं ।

(ख) जी नहीं ।

(ग). मैसर्स शिवराजपुर सिंडिकेट सीमित ने जिनकी गुजरात में मैंगनीज की खानें हैं, राजकीय व्यापार निगम को बताया है कि कुछ स्टाक जमा है ।

राजकीय व्यापार निगम ४६२०० टन मगनीज को वस्तु विनिमय पर बेच पाया है ।

मद्रास राज्य में लघु और कुटीर उद्योग

†२३७८. **श्री इलयापेरुमाल** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या १९६२–६३ में मद्रास राज्य के छोटे पैमाने के और कुटीर उद्योगों की विकास की कोई योजनायें मंजूर की गई हैं ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर कितना व्यय करने का विचार है ; और

(ग) योजनाओं का स्वरूप क्या है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो)**: (क) से (ग). सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाती है ।

मद्रास में भारी उद्योग

†२३७९. **श्री इलयापेरूमाल** : क्या **इस्पात और भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मद्रास राज्य में अब तक केन्द्रीय सरकार ने कौन कौन से भारी उद्योग स्थापित किये हैं ; और

(ख) तीसरी योजना की शेष अवधि में कौन से उद्योगों के स्थापित किये जाने की संभावना है ?

†**इस्पात और भारी उद्योग मंत्रालय में उप मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी)** : इस्पात और भारी उद्योग मंत्रालय का जहां तक संबंध है, सूचना इस प्रकार है :

(क) शून्य ।

(ख) भारी दबाव सह बायलर संयंत्र, तिरुचिरापल्ली ।

औद्योगिक आर्थिक सर्वेक्षण

†२३८०. **श्री रिशांग किशिंग** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि व्यवहारिक आर्थिक अनुसंधान की राष्ट्रीय परिषद ने मुख्य राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों का सर्वेक्षण पूरा कर लिया है ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो उन राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के नाम क्या हैं ; और

(ग) क्या औद्योगिक आर्थिक सर्वेक्षण प्रतिवेदन राज्यों को तथा संघ राज्य क्षेत्रों को दिये गये हैं, और वे उनका सदुपयोग करते हैं ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो)**: (क) से (ग). व्यवहारिक आर्थिक अनुसंधान की राष्ट्रीय परिषद ने जम्मू तथा काश्मीर को छोड़ कर सभी राज्यों का औद्योगिक आर्थिक सर्वेक्षण कर लिया है। मनीपुर, त्रिपुरा, तथा हिमाचल प्रदेश के संघ राज्य क्षेत्रों का भी सर्वेक्षण किया गया है, तथा अन्दमान और निकोबार और गोआ, दमन, दीव का सर्वेक्षण जारी है ॥

पूर्ण प्रकाशित हुये औद्योगिक आर्थिक सर्वेक्षणों की सूची संलग्न है। **[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये सख्या एल० टी० १२१९/६३।]**

प्रकाशित रिपोर्टों की प्रतियां संबद्ध सरकारों को दे दी गई हैं।

पंजाब के पिछड़े क्षेत्रों का कल्याण

†२३८१. **श्री दलजीत सिंह** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दूसरी योजना अवधि में पिछड़े पहाडी क्षेत्रों के कल्याण के लिये केन्द्रीय सरकार ने दिये गये २२ करोड़ रुपये में से पंजाब सरकार ने कितनी राशि खर्च की है ; और

(ख) औद्योगिक विकास के लिये कितनी राशि खर्च की गई है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो)**: (क) और (ख). १९६०-६१ में ही दूसरी योजना में पंजाब के पहाड़ी क्षेत्रों के विशेष विकास कार्यक्रम की योजनाओं के लिये पृथक आवंटन किया गया था। १९६०–६१ में पहाड़ी क्षेत्रों की योजनाओं पर हुये व्यय को दर्शाने वाला व्यय संलग्न है। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० १२२०/६३।]**

चाय मशीनरी की किराया खरीद योजना

†२३८२. **श्री दलजीत सिंह** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चाय मशीनरी की किराया खरीद योजना के अधीन इस उद्योग से अब तक कितनी अर्जियां अभी तक चाय बोर्ड के पास आई हैं ; और

(ख) उन पर क्या निर्णय किया गया है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मत्रालय में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) ४·५० करोड़ रुपये की लागत की मशीनरी के संभरण के लिये ३१६ प्रार्थना पत्र।

(ख) चाय बोर्ड ने १३७ प्रार्थना पत्र स्वीकार किये हैं और ५२ अर्जियों की छानबीन हो रही है, ये सब क्रमशः १·९६ करोड़ रुपये और १·१० करोड़ रुपये के मूल्य की मशीनरी और सिंचाई सामान के संबंध में है। १.४४ करोड़ रुपये की लागत की मशीनरी आदि के संभरण के १२७

†मूल अंग्रेजी में

प्रार्थनापत्र या तो वापिस ले लिये गये हैं या अस्वीकार कर दिये गये हैं, क्योंकि ये योजना में निर्धारित शर्तों को पूरा नहीं करते । स्वीकृत अर्जियों में से ६८ लाख रुपये की मशीनरी दी जा चुकी है । शेष का या तो क्रयादेश दिया जा चुका है किन्तु अभी प्राप्त नहीं हुई या क्रयादेश दिये जाने की आशा है ।

बिहार में काइनाइट की खानें

†२३८३. **श्री ह० चं० सौय :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बिहार में निकाला गया अधिकांश काइनाइट निर्यात किया जाता है यद्यपि इस की देशी खपत बढ़ रही है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार देश में ही काइनाइट का तैयार माल तैयार करने का इरादा करती है ताकि इसकी देश में बढ़ती हुई मांग को पूरा किया जा सके ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह) :** (क) और (ख). देशी खपत के लिये काइनाइट की मांग कुल उत्पादन का बहुत ही छोटा अंश है अतः बिहार के अधिकांश काइनाइट का निर्यात किया जा सकता है । सरकार ने भारत में ताप-सह पदार्थों के निर्माण को प्रोत्साहन दिया है जिसके लिये काइनाइट एक कच्चा माल है । तथापि सामान्य तथा निर्माताओं के ताप-सह पदार्थ बनाने के लिये काइनाइट के स्थान पर सिल्लिमानाइट के प्रयोग को अधिमान दिया है ।

धातु मिश्रित इस्पात संयंत्र

†२३८४. **श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :**
श्री वी० चं० शर्मा :
श्री यशपाल सिंह :
श्री बिशनचन्द्र सेठ :

क्या **इस्पात और भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसर्स महिन्द्रा एंड महिन्द्रा लि० को इस विशिष्ट आश्वासन पर, एक मिश्र धातु इस्पात संयंत्र का लाइसेंस दिया गया है कि यह मद्रास राज्य में स्थापित किया जायेगा;

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार ने उनको अनुमति दे दी है कि वे बम्बई राज्य में उस संयंत्र को लगा सकते हैं ;

(ग) यदि हां, तो इस परिवर्तन की मंजूरी केन्द्रीय सरकार ने किन कारणों से दी है ; और

(घ) क्या मद्रास सरकार ने अपनी प्रतिक्रिया अभिव्यक्त की है ?

†**इस्पात और भारी उद्योग मंत्रालय में उपमंत्री (श्री प्र० च० सेठी):** (क) जी, हां । फर्म को मद्रास राज्य में विशेष इस्पात संयंत्र की स्थापना करने के लिये, जैसा कि उन्होंने प्रार्थना की थी, लाइसेंस दिया गया था ।

(ख) से (ग). मद्रास सरकार प्रस्तावित परिवर्तन के पक्ष में नहीं थी, किन्तु भारत सरकार ने योजना को शीघ्र कार्यान्वित होने देने के लिये परिवर्तन की अनुमति दे दी, जिस में अन्यथा विलम्ब हो गया होता ।

---

†मूल अंग्रेजी में

आयात तथा निर्यात विनियमों का उल्लंघन

†२३८५. **श्री महेश्वर नायक :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि चालू वर्ष में अब तक सरकार को आयात तथा निर्यात विनियमों के उल्लंघन के कितने मामलों की सूचना मिली है ; और उन मामलों का निपटारा किस प्रकार किया गया है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह):** अभी तक १९६३ के प्रारम्भ से २६३ मामलों की सूचना मिली है। उनमें विभागीय जांच की गई है और अपराधी को दोष सिद्ध होने पर निम्न कारवाई की जाती है :—

(क) आयात (नियंत्रण) आदेश, १९५५ तथा निर्यात (नियंत्रण) आदेश, १९५८ के उपबन्धों के अनुसार निश्चित अवधि के लिये लाइसेंस देने से निलम्बित कर दिया जाता है या अनर्ह कर दिया जाता है।

(ख) आयात और निर्यात (नियंत्रण) अधिनियम, १९४७ की धारा ५ के अधीन अभियोग चलाया जाता है।

१८ मामले समाप्त कर दिये गये क्योंकि कोई अपराध सिद्ध नहीं हुआ और १० मामलों में लाइसेंस निलम्बित किये गये हैं। शेष २३५ मामलों में जाँच की जा रही है।

वस्त्र सामग्री की कमी

†२३८६. **श्री बाल गोविन्द वर्मा :**
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :

क्या **आर्थिक और प्रतिरक्षा समन्वय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि प्रतिरक्षा प्रयोजनों के लिये वस्त्र सामग्री का संभरण कम है ; और

(ख) यदि हां, तो इस कमी को पूरा करने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ?

†**आर्थिक और प्रतिरक्षा समन्वय मंत्रालय में संभरण मंत्री (श्री हाथी) :** (क) और (ख). आपात काल के पश्चात्, वस्त्र सामग्री के संभरण के लिये प्रतिरक्षा सेवाओं द्वारा बहुत बड़ी मांग रखी गई थी जो कि सितम्बर, १९६३ तक पूरी की जानी थी। बहुत सी आवश्यकताओं के लिये उद्योग को डेके दे दिये गये हैं। उत्पादन बढ़ाने के लिये, जो कि कई मामलों में दस से लेकर बीस गुना तक बढ़ाया जाना है, कुछ समय की आवश्यकता है जिससे कि उद्योग विशेष प्रतिरक्षा आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये उत्पादन कर सके। जो क्षमता अब बढ़ा कर बनाई गई है वह बहुत कुछ आवश्यकताओं से मिलती है। विद्यमान सम्भरणकर्त्ताओं से होने वाले संभरणों की दरों को बढ़ाकर तथा संभरण के नये साधन बनाकर यह संभव किया जा सका है।

मुस्लिम विधियों के सम्बन्ध में जांच समिति

†२३८७. **श्री राम हरख यादव :**
श्री यशपाल सिंह :

क्या **विधि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत के मुसलमानों की स्वीय विधियों[1] में परिवर्तन करने का सरकार का विचार है;

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Personal laws.

(ख) क्या विद्यमान स्वीय विधियों का अध्ययन करने के लिये एक समिति नियुक्त करने का सरकार का प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो क्या स्थिति में गैर-मुस्लिम व्यक्ति भी होंगे ?

†**विधि मंत्री (श्री अ० कु० सेन)** : (क) और (ख). जो देश प्रधानतः मुस्लिम देश हैं उन में मुसलमानों की स्वीय विधियों में किये गये परिवर्तनों की जांच करने तथा जैसा वह उचित समझें वैसी सिफ़ारिशें करने के लिये एक छोटी समिति स्थापित करने का सरकार का विचार है।

(ग) समिति के गठन तथा उसके निर्देश-पद आदि को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है। इसलिये इतने समय पूर्व यह नहीं कहा जा सकता कि समिति में गैर-मुस्लिम सदस्य भी होंगे अथवा नहीं।

पानी के मीटर

†२३८८. **श्रीमती रेणुका बड़कटकी** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पानी के मीटरों के ऊंचे मूल्यों को कम करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है; और

(ख) भारत में वह फ़र्में कितनी हैं तथा उन के क्या क्या नाम हैं जहां कि पानी के मीटरों का निर्माण किया जाता है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो)** : (क) इस सम्बन्ध में निम्नलिखित कार्यवाही की गई है :

१. देश में बड़े पैमाने के मीटरों के उत्पादन को बढ़ा कर १ लाख ७१ हजार प्रति वर्ष करने की अनुमति दे दी गई है।

२. बड़े पैमाने के क्षेत्र में १५ नये कारखानों को लाइसेंस दे दिये गये हैं जिनकी अतिरिक्त क्षमता लगभग ५ लाख २० हजार मीटर प्रति वर्ष होगी।

३. अविलम्बनीय आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिये, वास्तविक उपभोक्ताओं को रुपयों में भुगतान लेने वाले देशों से सम्भरण तथा उत्सर्जन महानिदेशक के द्वारा आयात करने की अनुमति भी दी जा रही है।

(ख) बड़े पैमाने के क्षेत्र में पानी के मीटरों का निर्माण करने वाली फ़र्मों के नाम :

१. मैसर्स गवर्नमेन्ट प्रेसीज़न इन्स्ट्रूमेन्टस फैक्टरी, लखनऊ।
२. मैसर्स रेडियो एण्ड इलेक्ट्रिकल मैन्यूफक्चरिंग कम्पनी लिमिटेड, बंगलौर।
३. मैसर्स लीड्स मीटर मन्यूफैक्चरिंग कम्पनी लिमिटेड, बम्बई।

छोटे पैमाने के क्षेत्र में पानी के मीटरों का निर्माण करने वाली फर्मों के नाम :—

१. मैसर्स एन० बी० इन्डस्ट्रीज़, इन्दौर।
२. मैसर्स अलाइड इन्डस्ट्रीज़, हैदराबाद।
३. मैसर्स कसूला इन्डस्ट्रीज़, हैदराबाद।

---

†मूल अंग्रेजी में

बुनकर सेवा केन्द्र

†२३८९. **श्री रेड्डियार** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ऐसे नगरों की संख्या क्या है जहां बुनकर सेवा केन्द्र चल रहे हैं तथा क्या उन में गांवों के बुनकरों को प्रतिनिधित्व प्राप्त है; और

(ख) क्या किसी सेवा केन्द्र ने १९६१–६२ में एक अधिकारी तथा एक गैर-अधिकारी को यात्रा भत्ते के रूप में ८६,००० रुपये दिये थे ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) अखिल भारतीय हथकरघा बोर्ड ने बम्बई, कलकत्ता, मद्रास, वाराणसी छावनी, कांचीपुरम्, नई देहली, सूरत, इन्दौर और बंगलौर में नौ बुनकर सेवा केन्द्र गठित किये हैं। वे मुख्यत: ऐसे सूत्र होंगे जिनके द्वारा शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों में हथकरघा एकक करघे से पूर्व, करघे पर और करघे के बाद की उत्पादन प्रक्रियाओं के लिये डिजाइन, प्रविधिक परामर्श तथा सहायता प्राप्त करते हैं ।

(ख) जी नहीं ।

व्यापार अन्तर

†२३९०. **श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९६२ की प्रत्येक तिमाही तथा १९६३ की पहली तिमाही में व्यापार अन्तर की स्थिति क्या थी?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : एक विवरण संलग्न है ।

विवरण

भारत का व्यापार अन्तर

(रुपये लाखों में)

	आयात	निर्यात	पुनः निर्यात	कुल निर्यात	व्यापार अन्तर
जनवरी–मार्च, १९६२	२३०,५८	१६०,९५	१,९३	१६२,८८	–६७,७०
अप्रैल–जून, १९६२	२४७,९३	१४६,९३	३,१८	१५०,११	–९७,८२
जुलाई–सितम्बर, १९६२	२७४,८९	१७४,५१	१,२५	१७५,७६	–९९,१३
अक्तूबर–दिसम्बर, १९६२	२८०,३३	१८३,२३	१,१९	१८४,४२	–९५,९१
जनवरी-फरवरी, १९६३*	१६३,३८	११७,२८	१,०१	११८,२९	–४५,०९
जनवरी-फरवरी, १९६२*	१६१,४९	१०२,७६	१,१७	१०३,९३	–५७,५६

आंकड़े अस्थायी हैं और इनका पुनरीक्षण हो सकता है ।

*अप्रैल–फरवरी आंकड़ों से अप्रैल–दिसम्बर घटा कर ।

---

†मूल अंग्रेजी में ।

मैंगनीज और लौह अयस्क का निर्यात

२३९१. { **श्री ओंकार लाल बेरवा :**
श्री कछवाय :
श्री यशपाल सिंह :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५७–५८ की तुलना में १९६२–६३ में मैंगनीज और लौह अयस्क के निर्यात में कितनी कमी रही;

(ख) इस कमी के क्या कारण हैं; और

(ग) मैंगनीज तथा लौह अयस्क के निर्यात को बढ़ाने के लिए क्या उपाय किये गये हैं ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) लौह अयस्क के निर्यात में कोई कमी नहीं हुई। दूसरी ओर १९६२–६३ में भारत का निर्यात (गोआ को छोड़ कर) किसी भी पिछले वर्ष की तुलना में जिस में १९५७–५८ भी शामिल है जब कि वह २२ लाख मीट्रिक टन (१२ करोड़ रु०) था, बढ़कर ३५ लाख मीट्रिक टन (१९ करोड़ रु०) का हो गया था ।

मैंगनीज अयस्क का निर्यात १९५७–५८ की तुलना में १९६२–६३ में घट कर लगभग ९ लाख मीट्रिक टन रह गया जब कि उस वर्ष इसका १७ लाख मीट्रिक टन निर्यात हुआ था । ये आंकड़े असामान्य थे । किन्तु पिछले ५ वर्षों १९५८–५९ से १९६२–६३ में इसका निर्यात १० लाख मीट्रिक टन के आस-पास रहा ।

(ख) मैंगनीज अयस्क के निर्यात में कमी के मुख्य कारण ये हैं :—

(१) समुद्रपार के क्षेत्रों के खरीदारों द्वारा अपनी नई खानों का इस्तेमाल किया जाना जिनका विकास उन्होंने हाल ही में उपभोक्ता केन्द्रों के अपेक्षाकृत निकट स्थानों में कर लिया है तथा अतिरिक्त संभरण स्रोतों का उपयोग किया जाना ।

(२) ऐसी प्रौद्योगिकीय प्रगति का हो जाना जिसके कारण इस्पात निर्माता मैंगनीज अयस्क कम निर्भर रहने लगे हैं ।

(३) समुद्रपार के देशों के इस्पात उद्योग में मंदी आ जाना ।

(ग) (१) वस्तु-विनिमय तथा सम्बद्धीकरण के अधीन मैंगनीज अयस्क के निर्यात को प्रोत्साहित किया जाता है तथा कुछ वस्तुओं के बदले में मैंगनीज अयस्क के सौदे भी किये गये हैं ।

(२) मैंगनीज अयस्क के निर्यातकों को निर्यात से होने वाली आय के कुछ अंश को खान खोदने की मशीनों का आयात करने में इस्तेमाल करने की अनुमति दे बी दी गयी है जिससे खनिज निकालने की लागत में कमी की जा सके और कार्य-कुशलता बढ़ाई जा सके ।

---

†मूल अंग्रेजी में

ग्रामीण कारीगरों के लिये 'क्लस्टर' संस्था[1] योजना

†२३९२. **श्री जसवन्त मेहता** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ग्रामीण कारीगरों के लिये "कलस्टर" संस्थाओं की स्थापना की योजना शुरू कर दी गई है; और

(ख) यदि हां, तो कितने गांवों में तथा कितने राज्यों में यह योजना शुरू हो गई है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो)** : (क) और (ख). मद्रास, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के सिवाय सभी राज्यों ने 'क्लस्टर' प्रशिक्षण केन्द्रों की योजना स्वीकार कर ली है । जिन गांवों में 'समूह' केन्द्र शुरू कर दिये गये हैं उनकी संख्या के बारे में जानकारी केन्द्रीय सरकार के पास उपलब्ध नहीं है । इसे एकत्रित करके सभा-पटल पर रख दिया जायेगा ।

व्यापार प्रतिनिधिमंडल

†२३९३. **श्री दलजीत सिंह** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन महीनों में कितने विदेशी व्यापार प्रतिनिधिमंडल भारत आये और कितने भारतीय व्यापार प्रतिनिधिमंडल विदेशों में गये; और

(ख) ऐसे देशों के नाम क्या हैं जिन के साथ १९६२–६३ में व्यापार करार किये गये हैं ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह)**: (क) दो विदेशी व्यापार प्रतिनिधिमंडल भारत आये और एक भारतीय व्यापार प्रतिनिधिमंडल विदेश गया ।

(ख) मेक्सिको, चिली, संयुक्त अरब गणराज्य, फ्रांस, इटली, यूनान, जार्डन, इराक, मोरक्को, बर्मा, ईरान, लंका, अफगानिस्तान, रुमानिया, यूगोस्लाविया, पोलैंड और बल्गेरिया ।

पंजाब में छोटे पैमाने के उद्योग

†२३९४. **श्री दलजीत सिंह**: क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पंजाब में छोटे पैमाने के ऐसे उद्योगों की संख्या (जिलेवार) क्या है जो लघु उद्योग सेवा संस्था से सहायता पा रहे हैं; और

(ख) कारखाने की संख्या क्या है तथा दी जाने वाली सहायता का स्वरूप क्या है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो)**: (क) ७० उद्योग (संलग्न सूची के अनुसार) लघु उद्योग सेवा संस्था से सहायता पा रहे हैं । **[सूची पुस्तकालय में रखी गई । देखिये सख्या एल० टी० १२२१/६३]** । जिलेवार जानकारी उपलब्ध नहीं है तथा इसे एकत्रित करने में लगने वाला समय और परिश्रम प्राप्त होने वाले परिणामों के अनुरूप नहीं होगा ।

(ख) एक विवरण संलग्न है । **[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० १२२१/६३]** ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Cluster-type Institution.

पंजाब में चाय का उत्पादन

†२३९५. **श्री दलजीत सिंह :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९६१-६२ में पंजाब के पहाड़ी क्षेत्रों में कितनी मात्रा तथा कितने मुल्य की चाय का उत्पादन किया गया ;

(ख) १९६१ तथा १९६२ में पंजाब में कितनी चाय का निर्यात किया गया ; और

(ग) निर्माताओं के पास कितना भांडार पड़ा है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह) :** (क) १९६१ तथा १९६२ में कांगड़ा में चाय का उत्पादन १०·७ लाख किलोग्राम उत्पादन उठाया। उत्पादित चाय के मूल्य के सम्बन्ध में जानकारी उपलब्ध नहीं है।

(ख) केवल पंजाब से निर्यात की गई चाय के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

(ग) १९६१ में हरी तथा काली चाय का निर्यात १९६१ से अधिक था। इस के अतिरिक्त ऐसी कोई चाय नहीं है जो बिना बिकी पड़ी हो। परन्तु पूरी जानकारी उपलब्ध नहीं है।

बरेली में औजारों का कारखाना

†२३९६. **श्री ओंकार लाल बेरवा : क्या इस्पात तथा भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बरेली में एक टूल्स फैक्टरी बनाई जा रही है ?

(ख) यदि हां, तो उस के कब तक तैयार हो जाने की संभावना है ; और

(ग) उस की सालाना उत्पादन क्षमता क्या होगी ?

इस्पात तथा भारी उद्योग मंत्रालय मे उपमंत्री (श्री प्र० च० सेठी) : (क) जी, हां।

(ख) १९६४ के मध्य तक।

(ग) २५ लाख रुपये।

जम्मू तथा काश्मीर में दिये गये आयात लाइसेंस

†२३९७. **श्री बूटा सिंह :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९६१-६२ तथा १९६२-६३ में जम्मू तथा काश्मीर राज्य में किन फर्मों तथा व्यक्तियों को आयात लाइसेंस दिए गए थे तथा उन में से कितने राज्य विषय से संबंधित हैं ;

(ख) प्रत्येक लाइसेंस के अधीन कितनी तथा कितने मूल्य की वस्तुओं का आयात किया गया था ; और

(ग) राज्य के उद्योगों द्वारा आयात की गई कितनी वस्तुओं का उपयोग कर लिया गया है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह) :** (क) से (ग) : आयात तथा निर्यात मुख्य निदेशक के साप्ताहिक बुलेटिन में प्रत्येक सप्ताह दिए गए आयात लाइसेंसों का सारांश प्रकाशित किया जाता है। जारी किए गए लाइसेंसों के आंकड़े तथा उनके अधीन किए गए आयात के आंकड़े राज्यवार अथवा वस्तुवार नहीं रखे जाते हैं। यदि माननीय सदस्य किसी विशेष लाइसेंस के ब्योरे जानना चाहते हों तो मैं बताने को तैयार हूं।

---

†मूल अंग्रेजी में

खादी का निर्यात

२३९८. **श्री ओंकार लाल बेरवा : क्या वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत से खादी विदेशों को भेजी जाती है ;

(ख) यदि हां, तो किन-किन देशों को ;

(ग) इस पंचवर्षीय योजना में लगभग कितने रुपये की खादी भेजने की संभावना है ; और

(घ) इस साल में अब तक कितने मूल्य की खादी भेजी जा चुकी है ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो) : (क) जी, हां ।

(ख) अमरीका तथा ब्रिटेन ।

(ग) लगभग १ करोड़ रु० ।

(घ) ७७ हज़ार रु० ।

दिल्ली में लघु उद्योगों को ऋण

२३९९. **श्री नवल प्रभाकर : क्या वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली प्रशासन की ओर से लघु उद्योगों को १९६२-६३ में कितना ऋण दिया गया ; और

(ख) इस में जूता उद्योग के लिये कितना दिया गया ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो) : (क) १२ लाख रु० ।

(ख) ८०,५०० रु० ।

आयरलैंड को चाय का निर्यात

†२४००. **श्री प्र० च० बरुआ : क्या वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५९, १९६०, १९६१ तथा १९६२ में आयरलैंड को आयात किए गए भारत तथा लंका के तुलनात्मक आंकड़े क्या हैं ; और

(ख) आयरलैंड को भारत से चाय के कम निर्यात के क्या कारण हैं ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) और (ख). १९५९ से १९६१ तक के आयरलैंड को भारतीय तथा लंका को निर्यात के आंकड़े नीचे दिये जाते हैं :—

	ग्रन्डर किलोग्राम में आंकड़े	
वर्ष	भारत	लंका
१९५९	७,४६३	१,३५३
१९६०	६,२४१	१,९४०
१९६१	६,४७१	२,४११
१९६२	७,२४३	१,९७२

उपरोक्त आंकड़ों से मालूम हो जाता है कि यद्यपि १९६० में कम उत्पादन के कारण निर्यात कम हो गए परन्तु निर्यात बढ़ रहा है । १९६२ में यह १९५९ की स्थिति में आ गया था ।

---

†मूल अंग्रेजी में

औद्योगिक कार्यों के लिए इस्पात का आयात

†२४०१. **श्री राम हरख यादव :**
श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री प्र० चं० बरुआ :

क्या इस्पात और भारी उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश को उत्पादित न होने वाले विशेष इस्पात का आयात औद्योगिक कार्यों के लिए करने की अनुमति देने का है ; और

(ख) यदि हां, तो प्रस्ताव का ब्योरा क्या है ?

†**इस्पात और भारी उद्योग मंत्रालय में उपमंत्री (श्री प्र० चं० सेठी)** : (क) जी, हां। वर्तमान नीति के अनुसार ऐसे आयात की अनुमति है ।

(ख) अप्रैल-सितम्बर, १९६३ के लिए आयात लाइसेंस नीति सम्बन्धी सार्वजनिक सूचना में ब्योरे दिए गए हैं जिन की प्रति सभा पटल पर रखी जाती है । **[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० १२२२/६३]**

सांभर में "वाशरी" व सोडियम सल्फेट निकालने का संयंत्र

†२४०२. **श्री अ० व० राघवन :**
श्री पोट्टेकाट्ट :

क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सांभर में उपयुक्त वाशरी व सोडियम सल्फेट निकालने के संयंत्र को स्थापित करने का विचार है ;

(ख) क्या पश्चिम जर्मनी की संस्था से ब्योरेवार परियोजना प्रतिवेदन तथा मूल्य मिल गये थे ; और

(ग) प्रत्येक वर्ष नष्ट होने वाली बिटर्न की बड़ी मात्रा का विदोहन करने के लिए क्या कार्यवाही की है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो)**: (क) और (ख). जी हां ।

(ग) पश्चिम जर्मन योजना की क्रियान्विति के लिये प्राथमिकता देना संभव नहीं है । इस बीच अन्य वैकल्पिक साधनों से संयंत्र तथा मशीन को लेने की संभावना की कठिनाई दूर करने के लिए अपेक्षित विदेशी मुद्रा का प्रबन्ध किया जा रहा है । हिन्दुस्तान साल्ट्स लिमिटेड में संयंत्र तथा मशीन लगने तक सांभर बिटर्न से बार्किट (सोडियम सेल्फट तथा सोडियम कार्बोनेट का ७०:३० प्रतिशत का मिश्रण) निकाला जाता है । यही कम्पनी सांभर नमक झील पर काम करती है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

नमक की टिकियों का निर्माण

†२४०३. **श्री अ० व० राघवन :**
श्री पोट्टेकाट्ट :

क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सांभर पर नमक के इंजैक्शन तथा मुंह से खाने के लिए नमक की टिकिया बनाने की कोई विस्तृत योजना है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या योजना को अन्तिम रूप दे दिया गया है और कारखाना कब से चालू हो जायेगा ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो)** : (क) जी हां ।

(ख) हिन्दुस्तान साल्ट्स लिमिटेड, जो सांभर की नमक झील पर काम करता है, योजना के लिये संयंत्र तथा उपकरण का संभरण करने के लिये दो फर्मों से प्राप्त प्रस्तावों पर विचार कर रहा है ।

चाय बागानों को ऋण

†२४०४. **श्री हेम राज** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कछार, त्रिपुरा, कांगड़ा तथा मंडी में चाय की मशीनों की मरम्मत तथा नई मशीनें लगाने के लिए केन्द्रीय सरकार के योजना के अधीन चाय बागानों में कितना ऋण लिया है ;

(ख) किस सूद पर ऋण दिया गया है ; और

(ग) ऋण देने की क्या शर्तें हैं ।

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) चाय बोर्ड ने चाय बागान को कछार में मरम्मत, नई मशीन लगाने तथा चाय का कारखाना बनाने के लिये वित्तीय सहायता की योजना के अधीन ३७·२५४ रुपये दिए हैं । त्रिपुरा, कांगड़ा, तथा मंडी के चाय बागानों को कोई ऋण नहीं दिया गया है ।

(ख) और (ग) योजना के ब्योरे नीचे दिए जाते हैं :—

(१) योजना ३०० एकड़ तक के चाय बागानों पर लागू है ।

(२) प्रत्येक बाग को ऋण ७०,००० रुपये से अधिक नहीं दिया जायेगा ।

(३) ऋण रकम जमानती अथवा व्यक्ति प्रतिभूति अथवा बैंक की वार्षिक गारंटी पर दिया जायेगा ।

(४) ऋण पर ४ १/२ प्रतिशत सूद होगा तथा मरम्मत तथा/अथवा कारखाने के निर्माण अथवा मशीन लगाने की २ वार्षिक तिथि से १० बराबर की किश्तों पर अदा किया जायेगा ।

---

†मूल अंग्रेजी में

वस्त्र आयुक्त के कार्यालय म गजेटड अफसर

†२४०५. **श्री निरंजन लाल :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री वस्त्र आयुक्त के कार्यालय में गजेटड अफसरों की संख्या बताने वाला तथा अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के गजेटेड अफसरों की संख्या तथा स्थाई अनुसूचित जाति के अफसरों की संख्या बताने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह) :** एक विवरण संबद्ध है ।

विवरण

श्रेणी तथा वर्ग	१-१-६३ को संख्या	अनुसूचित जातियों की संख्या	अनुसूचित आदिम जातियों की संख्या	स्थाई अनुसूचित जाति/ अनुसूचित आदिम जातियों की संख्या
१	२	३	४	५
वर्ग १				
वस्त्र आयुक्त . .	१	कोई नहीं	कोई नहीं	कोई नहीं
औद्योगिक सलाहकार .	१	,,	,,	,,
सलाहकार (कपास) . .	१	,,	,,	,,
निदेशक . . .	७	,,	,,	,,
निरीक्षण अधिकारी . .	१	,,	,,	,,
उप-निदेशक . . .	२०	१	,,	,,
प्रिंसपल . .	२	कोई नहीं	,,	,,
वस्त्र रसायन में परि-लेक्चरार .	१	,,	,,	,,
सभा निदेशक (ग्रेड १)	३०	,,	,,	,,
प्रदर्शनी अधिकारी . .	१	,,	,,	,,
वर्ग २				
संघ निदेशक (ग्रेड २) .	२३	,,	,,	,,
रिसर्च अफसर .	१	,,	,,	,,
एकाउन्ट्स अफसर	१	,,	,,	,,
एक्सपर्ट डिज़ायनर . .	१	,,	,,	,,

†मूल अंग्रेजी में

पंजाब के लघु उद्योग

२४०६. **श्री सिद्धेश्वर प्रसाद :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि ऊनी धागे की कमी के कारण पंजाब के छोटे उद्योगों को बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है; और

(ख) यदि हां, तो इस कमी को दूर करने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) और (ख) इस समय ऊनी वस्त्र उद्योग प्रतिरक्षा संबंधी ऊनी वस्तुओं की आवश्यकताओं को पूरा करने में लगा दिया गया है और सरकार द्वारा विभिन्न कारखानों को दिये गये आर्डरों के अनुसार ही उन्हें ऊनी धागे का संभरण किया जाता है। पंजाब के शक्तिचालित छोटे करघों वाले जो कारखाने प्रतिरक्षा कार्यों के लिए स्वीकार किये जाने योग्य जो नमूने प्रस्तुत कर सके हैं उन्हें उस प्रकार का माल तैयार करने के लिए ४ लाख मीटर के आर्डर दिये जा चुके हैं तथा कच्चा माल देने की व्यवस्था भी कर दी गई है। सम्भव है कि कुछ कारखानों को जितने ऊनी धागे की आवश्यकता हो उतना धागा न मिल सका हो। यदि शक्ति चालित करघे वाले कारखाने अन्य जिन किस्मों के माल की आवश्यकता होती है उसके स्वीकार किये जाने योग्य नमूने भी प्रस्तुत कर सकेंगे तो उन्हें वह माल संभरण करने के लिए आर्डर देने तथा उन आर्डरों को कार्यान्वित करने के लिए धागा आवंटित करने के प्रश्न पर भी विचार किया जा सकेगा।

जापान के व्यापार शिष्टमंडल

†२४०७. **श्री प्र० चं० बरुआ :**
श्री ओंकारलाल बेरवा :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जापान को एक सरकारी व्यापार शिष्टमंडल भेजने का विचार है जो उस देश से जापानी इस्पात का आयात और लौह अयस्क का निर्यात करने की शर्तों के बारे में बातचीत करेगा ;

(ख) यदि हां, तो कब ; और

(ग) शिष्टमंडल में कौन कौन हैं ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह):** (क) जी हां।

(ख) आगामी महीने के आरम्भ में शिष्टमंडल भेजने का विचार है।

(ग) राज्य व्यापार निगम के मैनेजिंग डायरैक्टर के नेतृत्व में क्या लोहा तथा इस्पात नियंत्रक समेत चार वरिष्ठ अधिकारियों का एक शिष्टमंडल होगा।

---

†मूल अंग्रेजी में

रेशम का आयात

†२४०८. श्री उलाका :
श्री धुलेश्वर मीना :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९६२–६३ में भारत में कितनी मात्रा में तथा कितने मूल्य के रेशम का आयात किया गया था ; और

(ख) इसी अवधि में कितना शुल्क लिया गया था ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो)** : एक विवरण संबद्ध है ।

विवरण

आयात की गई मात्रा .	१·१३ लाख किलोग्राम
लागत बीमा भाड़ा मूल्य . . .	६४·७१ लाख रुपये
संग्रहित सीमा शुल्क	२४·९२ लाख रुपये*

मैक्सिको का व्यापारिक प्रतिनिधि मंडल

२४०९. **श्री सिद्धेश्वर प्रसाद** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हाल ही में मैक्सिको से कोई व्यापारिक प्रतिनिधि मंडल व्यापार संबंधी बातचीत के लिए भारत आया था ;

(ख) यदि हां, तो बातचीत का क्या परिणाम निकला ; और

(ग) क्या दक्षिण अमेरिका के अन्य देशों से भी इसी प्रकार व्यापार बढ़ाने का प्रयत्न किया जा रहा है ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) जी, हां ।

(ख) दोनों देशों के बीच व्यापार बढ़ाने की सम्भावनाओं का पता लगाया गया है । मैक्सिको के पसन्द की कुछ उन महत्वपूर्ण वस्तुओं की सूचियां बनाकर प्रतिनिधिमण्डल को दे दी गयी हैं जिन्हें भारत मैक्सिको को भेज सकता है ।

(ग) अन्य देशों के साथ अपना व्यापार बढ़ाने के लिए लगातार प्रयत्न किये जा रहे हैं । इनमें दक्षिण अमरीका के देश भी शामिल हैं ।

उड़ीसा में मशीनी औजार कारखाना

*२४१०. **श्री उलाका** : क्या **इस्पात और भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार तीसरी योजनावधि में उड़ीसा में चिपलीमा परियोजना के निकट नया मशीनी औजार कारखाना स्थापित करने का है ।

---

*१ अप्रैल, १९६२ से २८ फरवरी, १९६३ के ११ महीनों में लिया गया शुल्क ये शामिल है । मार्च १९६३ के आंकड़े सीमाशुल्क चौकियों से नहीं मिले हैं ।

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो परियोजना की अनुमानित लागत क्या है ; और

(ग) परियोजना के कब तक पूरा हो जाने की आशा है ।

†**इस्पात और भारी उद्योग मंत्रालय में उपमंत्री (श्री प्र० चं० सेठी)** : (क) जी नहीं ।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

औद्योगिक बस्तियां

†२४११. **श्री याज्ञिक** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जिनके लिए भूमि का अर्जन कर लिया गया है ऐसे कितनी औद्योगिक बस्तियों को केन्द्र सरकार द्वारा सहायता दी गई है ;

(ख) ऐसी कितनी बस्तियों ने भवन बना लिये हैं तथा मशीन लगा ली हैं परन्तु उत्पादन आरंभ नहीं किया है; और

(ग) ऐसी कितनी बस्तियां हैं जिन्होंने धन की कमी के कारण अथवा अन्य कारणों से अभी काम आरंभ नहीं किया है जिनको सामग्री लेने के लिए आयात लाइसेंस दे दिए गए हैं ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो)** : (क) से (ग) अपेक्षित जानकारी इकट्ठा की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

राज्य व्यापार निगम

†२४१२. **श्री ई० मधुसूदन राव** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या हैदराबाद में राज्य व्यापार निगम का एक शाखा कार्यालय खोलने का कोई प्रस्ताव है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : जी नहीं ।

विदेशी मुद्रा की बर्बादी

†२४१३. **डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी** : क्या **आर्थिक और प्रतिरक्षा समन्वय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उनके मंत्रालय ने सरकारी आयात की कुछ मदों में विदेशी मुद्रा की बरबादी के मामलों की जांच की है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या ऐसे मामले तथा उनके मंत्रालय द्वारा बरबादी को दूर करने के लिए बताये गये उपाय दिखाने का एक विवरण सभा पटल पर रखा जायेगा ?

†**आर्थिक और प्रतिरक्षा समन्वय मंत्रालय में संभरण मंत्री (श्री हाथी)** : (क) और (ख) आर्थिक तथा प्रतिरक्षा समन्वय मंत्रालय के तकनीकी विकास निदेशालय का एक काम यह है कि वह अन्य मंत्रालयों का ध्यान ऐसे मामलों की ओर दिलाए जिनमें देसी वस्तुओं का उपयोग करके विदेशी मुद्रा बचाई जा सकती थी तथा इस कार्य के लिए महानिदेशालय तथा विभाग के बीच शीघ्र परामर्श करने की व्यवस्था कर दी गई है । मंत्रालयों में आपसी परामर्श के मामलों की सूची बनाना संभव नहीं है तथा लोकहित में भी नहीं है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

सभा पटल पर रखे गये पत्र

कहवा अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचनायें

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : मैं कॉफी अधिनियम, १९४२ की धारा ४८ की उपधारा (३) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :

(एक) दिनांक १३ अप्रैल, १९६३ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ६३० में प्रकाशित कहवा (दूसरा संशोधन) नियम, १९६३ ।

(दो) दिनांक १३ अप्रैल, १९६३ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ६३२ में प्रकाशित कहवा (तीसरा संशोधन) नियम, १९६३ ।

[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी० १२०९ / ६३]

समवाय अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचनाएं

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो)** : मैं निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :—

(एक) समवाय अधिनियम, १९५६ की धारा ६४२ की उप-धारा (३) के अन्तर्गत दिनांक १३ अप्रैल, १९६३ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ६२८ में प्रकाशित कम्पनीज़ (केन्द्रीय सरकार की) सामान्य नियम तथा प्रपत्र (दूसरा संशोधन) नियम, १९६३ । **[पुस्तकालय में रखी गई । देखिय संख्या एल० टी० १२१०/१९६३]**

(दो) समवाय अधिनियम, १९५६ की धारा ६४१ की उप-धारा (३) के अन्तर्गत उक्त अधिनियम की अनुसूची १० में कुछ और परिवर्तन करने वाली दिनांक १३ अप्रैल, १९६३ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ६२९ । **[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी० १२११ / ६३]**

प्राक्कलन समिति

कार्यवाही सारांश

†**श्री दासप्पा (बंगलौर)** : मैं निम्नलिखित प्रतिवेदनों से संबंधित प्राक्कलन समिति की बैठकों के कार्यवाही-सारांश को एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :—

(एक) परिवहन तथा संचार मंत्रालय (संचार तथा असैनिक उड्डयन विभाग)—असैनिक उड्डयन विभाग के बारे में उन्तीसवां प्रतिवेदन ।

(दो) सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय (विद्युत्)—केन्द्रीय जल तथा विद्युत् आयोग (विद्युत् विभाग); केन्द्रीय विद्युत् प्राधिकार ; केन्द्रीय विद्युत् बोर्ड ; केन्द्रीय सिंचाई तथा विद्युत् बोर्ड (विद्युत्)—विद्युत् अनुसंधान संस्था के बारे में तीसवां प्रतिवेदन ।

---

†मूल अंग्रेजी में

राज्य सभा से सन्देश

†**सचिव** : मुझे सभा को बताना है कि मुझे राज्य सभा के सचिव से निम्नलिखित सन्देश प्राप्त हुआ है :—

"कि राज्य सभा को विनियोग (संख्या ५) विधेयक १९६३ के बारे में, जो लोक-सभा द्वारा १९ अप्रैल, १९६३ को पारित किया गया था, कोई सिफारिश नहीं करनी है ।"

१९६३-६४ की फसल में चावल और गेहूं के मूल्य संधारण के बारेमें वक्तव्य

†**अध्यक्ष महोदय** : खाद्य तथा कृषि मंत्री ।

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री स० का० पाटिल)** : मैं एक वक्तव्य देना चाहता हूं ।

सभा को विदित है कि सरकार कृषि की विभिन्न वस्तुओं और मुख्य अनाजों के मूल्य संधारण के लिये सहायता की नीति को अपनाती रही है । इस नीति का यह उद्देश्य है कि कृषकों को यह आश्वासन देकर कि उनके उत्पादन का मूल्य कतिपय निम्नतम स्तर से गिरने नहीं दिया जायगा, उन्हें प्रोत्साहन दिया जाये जिसकी अत्यधिक आवश्यकता है । ऐसे प्रोत्साहन से कृषक ऐसे उपाय करेंगे जिन से उत्पादन में वृद्धि हो और उन्हें यह विश्वास रहेगा कि उत्पादन बढ़ाने से मूल्य नहीं गिरेंगे । हमने इस नीति का प्रारम्भ गत वर्ष मार्च १९६३ में किया था जब सफेद किस्म के गेहूं के के लिये ३४.८३ रुपये प्रति क्विंटल (या १३ रुपये प्रतिमन) निम्नतम मूल्य घोषित किया गया था और अन्य किस्म के गेहूं के लिये कुछ अन्तर से विभिन्न मूल्य निर्धारित किये गये थे । बाद में दिसम्बर १९६२ में समाहार द्वारा चावल के मूल्य को सहायता दी गई जिससे एक ओर उत्पादक को आश्वासन मिल गया कि मूल्य नहीं गिरेंगे और दूसरी ओर सरकार को देशी उत्पादन से भंडार बनाने में सहायता मिल गई ।

अब सरकार ने तीसरी योजना की शेष अवधि में मूल्य सहायता की इस नीति को जारी रखने का निश्चय किया है । मूल्यों के स्तर का पुनर्विलोकन किया गया है और कुछ मूल्य बढ़ा कर समायोजन कर दिया गया है । उत्पादन क्षेत्रों की चुनी हुई मंडियों में सरकार जिस मूल्य पर गेहूं खरीदने के लिये तैयार होगी वह सफेद किस्म के गेहूं के लिये ३७.५१ प्रति क्विंटल (अथवा १४ रुपये प्रति मन) होगा । चावल के लिये समाहार का मूल्य अधिकांश प्रदेशों के लिये बढ़ा दिया गया है । यह वृद्धि विभिन्न किस्म के चावल के लिये ६७ नये पैसे प्रति क्विंटल से लेकर २.६८ प्रति क्विंटल (या २५ नये पैसे से १ रुपया प्रति मन) तक होगी । इस समायोजन के साथ समाहार का मूल्य १९६३-६४ के लिये और बाद की फसलों के लिये आंध्र प्रदेश और मद्रास की विभिन्न किस्मों के चावल के लिये १६ रुपये से २२.५० रुपये प्रति मन होगा, मैसूर के लिये १६ रुपये से १६.५० रुपये तक, मध्य प्रदेश में १५.५० से २३.५० रुपये तक, पंजाब में १७ रुपये से २९.२५ रुपये, उत्तर प्रदेश में १६ से २५.५० रुपये तक और उड़ीसा में १६.७० में १९.७० रुपये प्रति मन तक होगा ।

---

†मूल अंग्रेजी में

इन निर्णयों को कार्यान्वित करने का अन्य ब्योरा तैयार किया जा रहा है। आवश्यक प्रबन्ध किये जायेंगे ताकि मूल्य संधारण के लिये सहायता का लाभ धान के मूल्य में लक्षित हो और जहां संभव हो वहां सहकारी उपायों को उपभोग में लाया जाये।

†**श्री रंगा** (चित्तूर) : क्या सरकार बैंकों द्वारा पेशगी धन देने के प्रतिबन्धों को ढील करेगी क्योंकि इन प्रतिबन्धों क कारण गत दो वर्ष मैं बैंकों द्वारा संबंधित लोगों पर मिल मालिकों को पेशगी न देने के कारण वास्तव में निर्धारित मूल्य नहीं दिया गया।

†**श्री स० का० पाटिल** : इस प्रबन्ध में समायोजन किया जा सकता है। हम माननीय सदस्य के संकेत के अनुसार काम करेंगे।

†**श्री स० मो० बनर्जी** (कानपुर) : इस संबंध में क्या कार्यवाही की जा रही है। समाहार के मूल्य और बिक्री मूल्य के अन्तर का व्यापारी दुरुपयोग न कर सकें। वास्तव में पश्चिम बंगाल जैसे विभिन्न राज्यों में चावल का मूल्य नहीं बढ़ता।

†**श्री स० का० पाटिल** : लाभ आदि कम समायोजन करना होता है जैसाकि हमने गत चार वर्ष में किया है। हम इस पर विचार कर रहे है।

श्री यशपाल सिंह (कैराना) : जिस किसान ने आज तक २० रु० मन तक गेहूं लेकर बोया है और खाया है, और छः महीने उस को खरीदते खरीदते हो गये है, आज फसल तैयार होने पर उस के लिये प्रोक्योरमेंट स्कीम लागू करना क्या न्यायसंगत है ?

श्री स०का० पाटिल : यह प्रोक्योरमेंट नहीं है, यह प्राइस सपोर्ट है।

†**श्री पुत्तू गोडा** (तिरुपत्तूर) : यहां के चावल की तुलना में बर्मा और अमरीका से आयात किये गये चावल का मूल्य क्या है ?

†**अध्यक्ष महोदय** : अब प्रश्न का संबंध उससे नहीं है।

†**डा० पं० शा० देशमुख** (अमरावती) : क्या सरकार मूल्य सहायता को प्रभारी बनाने के लिये निम्नतम मूल्य होने पर तुरन्त चावल खरीदना आरम्भ कर देगी ?

†**श्री स० का० पाटिल** : बड़ी विस्तृत व्यवस्था की जा रही है। अब तक चावल रेलवे स्टेशन तक लाना पड़ता था जो किसानों के लिये कठिन होता था। अतः हम कई केन्द्र स्थापित कर रहे हैं जहां अनाज लाना होगा। निम्नतम मूल्य पहुंचते ही सरकार सारा अनाज खरीद लेगी।

†**श्री दे० शि० पाटिल** (यवतमाल) : क्या सरकार जवार की मूल्य सहायता करने का विचार कर रही है ?

†**श्री स० का० पाटिल** : आली वस्तु जवार ही होगी।

†**श्री त्यागी** (देहरादून) : क्या देहरादून की बासमती जैसे बढ़िया चावल का भी मूल्य नियंत्रण किया जायगा ? यह तो पहले ही बहुत अधिक भाव पर बिक रहा है ?

†**अध्यक्ष महोदय** : हमारा संबंध मूल्य संधारण में सहायता से है।

†**श्री स० का० पाटिल** : हम बासमती जैसी किस्म को अपवाद रख सकते हैं। हमारे राज्य में इसका निम्नतम मूल्य २९ या ३० रुपये प्रति मन है किन्तु वहां तक कभी मूल्य आता नहीं।

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री शिव नारायण : अध्यक्ष महोदय, मेरा बड़ा आवश्यक सवाल है।

अध्यक्ष महोदय : बिल्कुल है, लेकिन यह डिस्कशन तो नहीं है। मैंने यहां पर इतने सवालों की इजाजत दे दी।

सभा का कार्य

†**श्री स० मो० बनर्जी** (कानपुर) : मैं जानना चाहता हूं कि क्या विवियन बोस आयोग के हम महा न्यायवादी के प्रतिवेदन पर चर्चा करेंगे ?

श्री बागड़ी : अध्यक्ष महोदय मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है।

†**अध्यक्ष महोदय** : हम उस पर चर्चा करेंगे।

†**श्री स० मो० बनर्जी** : क्या हमें प्रतिवेदन मिलेगा ?

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य सदा इस प्रकार प्रश्न ले आते हैं जो उचित नहीं। मुझे सूचना भेजनी चाहिये ताकि मुझे दूसरे पक्ष का विचार पता लग जाये।

श्री बागड़ी : अध्यक्ष महोदय, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है।

अध्यक्ष महोदय : अब इस वक्त व्यवस्था किस बात की है। एक काम खत्म हुआ है और दूसरा शुरू नहीं हुआ। इस दरम्यान में किस चीज की आप व्यवस्था चाहते हैं।

श्री बागड़ी : मैं आपका निर्णय चाहता हूं, मेरी अर्ज सुन लें। आज से तीन दिन पहले पानी के संकट के बारे में मैंने एक कालिंग अटेंशन नोटिस दिया था, अभी तक उसके ऊपर कोई फैसला नहीं हुआ। में जानना चाहता हूं कि मिनिस्ट्री के जबाब का इन्तिजार कब तक किया जायेगा। यह पानी के संकट का सवाल है, इस पर जल्द निर्णय होना चाहिये।

अध्यक्ष महोदय : आप मेरे पास आ जायें, मैं आपको बुलाऊंगा। आपने जो नोटिस दिया है उसको निकाल कर देखूंगा और आपको बतलाऊंगा।

श्री बागड़ी : पानी का संकट एक बड़ा संकट है।

अध्यक्ष महोदय : मैंने समझ लिया। लेकिन उसको तो म्युनिसिपल कमेटी दूर करेगी, हम तो उससे डील नहीं कर सकते।

†**श्री प्रभातकार** (हुगली) : अनिवार्य जल योजना विधेयक के बारे में महान्यायवादी को बुलाने के बारे में क्या निर्णय किया गया है ?

†**अध्यक्ष महोदय** : मैं इस सम्बंध में इस समय क्या कह सकता हूं।

---

†मूल अंग्रेजी में

राजभाषायें विधेयक—जारी

खंड—२ (जारी)

अध्यक्ष महोदय : खंड २ विचाराधीन है।

श्री बनर्जी :—

मेम्बर साहिबान से मैं कहूंगा कि अब सब बोल चुके हैं, इस लिये जो कुछ कहना हो बहुत मुख्तसिर में प्वाइंट्स की शक्ल में कहें। नये सिरे से स्पीच नहीं होनी चाहिये।

†**श्री स० मो० बनर्जी** (कानपुर) : आपने कहा था कि जिसने प्रथम वाचन में भाग नहीं लिया उन्हें अवसर दिया जायेगा और मैं एक दल से संबंधित भी हूं।

†**अध्यक्ष महोदय :** मेरी कठिनाई यह है कि वे अनेक दलों से संबंध रखते हैं।

श्री स० मो० बनर्जी : अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि इस बिल के जितने भी संशोधन हैं वे सब नामंजूर होने वाले हैं। लेकिन मैं सिर्फ एक चीज कहना चाहता हूं कि अगर हमेशा के लिये अंग्रेजी जबान रहेगी तो हिन्दी या कोई दूसरी भारतीय भाषा, चाहे वह तमिल हो, या बंगला हो या उरदू हो या और कोई भाषा हो, कभी तरक्की नहीं कर सकेगी। अभी इसी सदन में "मे" और "शैल" को लेकर काफी झगड़ा हुआ और प्रधान मंत्री तथा गृह मंत्री के समझाने के बाद भी लोगों का दिमाग साफ नहीं हुआ है।

आज कोई इस चीज का झगड़ा नहीं है कि अंग्रेजी हो या हिन्दी हो। लेकिन एक बात को हमारे देश के हर निवासी को मान लेना चाहिये कि जो जबान हमारे देश में रहे उन लोगों की जबान न हो जिन्होंने इस देश को चूसा है, इस देश को बांटा है और काटा है। मैं समझता हूं कि उस जबान को यहां रखना हमारी भूल होगी। मैं अंग्रेजी जबान के खिलाफ नहीं हूं। मैं जानता हूं कि उसमें बहुत अच्छी कवितायें और नाटक हैं और मैं उनकी तारीफ करता हूं। कुछ लोगों के दिमाग में यह शक है कि अगर हिन्दी या और कोई भारतीय भाषा राजभाषा हो जायेगी तो उन लोगों का क्या होगा जो अंग्रेजी जानते हैं। मैं समझता हूं कि उन लोगों को अपने दिमाग से यह शक निकाल देना चाहिये। यह शक गलत है। अगर अंग्रेजी के लिये दस बीस साल की अवधि रखी गयी होती तो मैं समझ सकता था कि उसके बाद इसको खत्म कर दिया जायेगा और वह राजभाषा नहीं रहेगी जो लोग उसको शौकिया पढ़ना चाहें पढ़ेंगे। लेकिन यह तो नहीं होगा कि हमारे बच्चे अंग्रेजी जबान सीखने के लिये मजबूर हों। लेकिन अगर अंग्रेजी को रखने की कोई मियाद नहीं रहेगी तो मैं अपने बच्चे को चाहे मैं उसको सरकारी कर्मचारी बनाना चाहूं या अपनी तरह चुनाव लड़ कर यहां आने के लायक बनाऊं, मैं उसको हिन्दी नहीं सिखाऊंगा।

दूसरी बात यह है कि हम जनता के जज्बात को अंग्रेजी की सहायता से नहीं उभार सकते। कल प्रधान मंत्री जी ने भी कहा था कि आंदोलन में जनता तक पहुंचने के लिये उनको हिन्दी का सहारा लेना पड़ा था। मैं कहना चाहता हूं कि भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु जिन तरानों को गाते गाते फांसी पर झूले थे वे अंग्रेजी के गाने नहीं थे। जब वे सिर पर कफन बांध कर निकले थे तो उनका यही तराना था :

---

†मूल अंग्रेजी में

सर फरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है ।

जब चन्द्र शेखर आज़ाद से कहा गया कि यह जो कदम तुमने आगे बढ़ा दिया है इसको हटाना होगा तो उसने कहा था :

मैंने जब वादिए गुरबत पै कदम रखा था,
दूर तक याद वतन आयी थी समझाने को ।

तो हमारे राष्ट्रीय आंदोलन में...

अध्यक्ष महोदय : मैंने यह ज़रूर कहा था कि जिनको पहले मौका नहीं मिला है उनको मौका दूंगा लेकिन क्लाज़ पर बोलने के बजाये वह कुछ और बोल रहे हैं । यह तो डेफीनीशन का क्लाज़ है । कुछ तो ऐसा बोलिये कि पढ़ने वाला यह समझे कि जो भी कुर्सी पर बैठा था वह कुछ तो देख रहा था कि क्या होना चाहिये । अंग्रेज़ी पर आपको कहना है तो क्लाज़ ३ पर कहें ।

श्री स० मो० बनर्जी : मेरा कहना सिर्फ यह है कि हिन्दी को सब आसानी से सीख सकते हैं । कल कुछ लोगों ने वाक आउट किया । इस पर मुझे दुःख हुआ । वे लोग कहते हैं कि हम हिन्दी इम्पीरियलिज्म उन पर लादना चाहते हैं । लेकिन यह अजीब इम्पीरियलिज्म है कि जिससे देश की एकता को चोट पहुंच रही है । मुझे तो ऐसा लगता है कि इस बिल से देश में एकता बढ़ने के बजाये उसको ठेस लगी है । मेरा निवेदन है कि इस बिल को अभी न लाकर सन् १९६४ या १९६५ में लाया जा सकता था । आज तो इससे देश का एका नहीं बढ़ रहा है । मेरे ख्याल से इसका इस वक्त लाना गलत है । साथ ही मैं यह भी कहना चाहूंगा कि जो लोग इसके विरोध में हवन कर रहे हैं या जो इसके विरोध में वाक आउट कर गये वह भी गलत है ।

मैं इस बिल का विरोध करता हूं । मेरा निवेदन है कि अब भी सोचा जाये और सरकार लोगों की सलाह को मान ले और कह दे कि हिन्दी ज़बान इतने समय के बाद आने वाली है । हम हिन्दुस्तानी हैं और हमारी ज़बान हिन्दी ही हो सकती है या कोई भारतीय भाषा हो सकती है, अंग्रेज़ी नहीं । हम देखते हैं कि जब बच्चा पैदा होता है तो वह मम्मी डैडी नहीं कहता वह मां कहता है ।

श्री बड़े (खारगोन) : मैं संशोधन संख्या ८१ प्रस्तुत करता हूं ।

अध्यक्ष महोदय, मैंने कल भी इसके बारे में कहा था । इसमें यह उल्लेख नहीं है कि आथारिटेटिव टैक्स्ट कौन सा होगा । इसमें तो सिर्फ अनुवाद की बात लिखी है । इसलिये मैं चाहता हूं कि इसमें यह कर दिया जाय कि हिन्दी का टैक्स्ट आथारिटेटिव होगा । मैं यह नहीं कहता कि आप किस भाषा को राष्ट्र भाषा बनायें, आप चाहे तमिल को बनायें या मराठी को बनायें या किसी अन्य भारतीय भाषा को बनायें, लेकिन अंग्रेज़ी को कायम रखने की बात ठीक नहीं है ।

अध्यक्ष महोदय : आप तो इस पर कल भी बोल चुके हैं ?

श्री बड़े : आज फिर यह निकला तो मैं फिर इस पर बोलना चाहता हूं ।

अध्यक्ष महोदय : दूसरी दफा नहीं बोल सकते । मैंने आपको बुलाया यह मेरी गलती हुई ।

श्री त्यागी (देहरादून) : अधिनियमों पर उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में विचार किया जायेगा और हम जो उपबन्ध कर रहे हैं उसके अनुसार प्रमाणित पाठ तीन होंगे अर्थात् अंग्रेजी, हिन्दी और यदि राज्य विधान मंडल ऐसा पारित कर दे तो प्रादेशिक भाषा में भी प्रमाणित पाठ होगा । अतः, हम प्रमाणित शब्द को किसी एक भाषा तक सीमित नहीं कर सकते ।

†**श्री राधेलाल व्यास** : अनुमान कीजिये कि अनुवाद की व्याख्या भिन्न हो तब ?

†**श्री हजरनवीस** : एक ही भाषा के पाठ की ओर निर्देश किया जायेगा । यदि तीन पाठों में भिन्नता हो तो व्याख्या पाठ नहीं होती वरन् विधि प्रभावी होती है ।

अध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या ८१ मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ ।

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :—

"कि खंड २ विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड २ विधेयक में जोड़ दिया गया ।

खण्ड ३—(संघ के सरकारी कार्यों तथा संसद् की कार्यवाही के लिए अंग्रेजी का जारी रखा जाना)

†**श्री फ्रैन्क एन्थनी** (नाम-निर्देशित आंग्ल-भारतीय) : मैं संशोधन संख्या ३५, ३६, १४५ तथा १४६ प्रस्तुत करता हूं ।

†**श्री बड़े** : मैं संशोधन संख्या ५८ प्रस्तुत करता हूं ।

†**श्री राधेलाल व्यास** : मैं संशोधन संख्या १२६ प्रस्तुत करता हूं ।

†**श्री काशीराम गुप्त** : मैं संशोधन संख्या ६० प्रस्तुत करता हूं ।

†**श्री बाल्मीकी** (खुर्जा) : मैं संशोधन संख्या १४७, १४९ प्रस्तुत करता हूं ।

श्री बागड़ी (हिसार) : अध्यक्ष महोदय, मेरा भी एक अमैंडमैंट है ।

अध्यक्ष महोदय : क्या ८२ नम्बर का अमैंडमैंट माननीय सदस्य का है ?

श्री बागड़ी : जी नहीं । अमैंडमैंट तो श्री रामसेवक यादव के नाम पर है लेकिन उन्होंने मुझे चिट्ठी लिख कर उसे मूव करने के लिये ऐथोराइज़ कर दिया है ।

अध्यक्ष महोदय : चिट्ठी पर यह नहीं किया जा सकता है । किसी का अमैंडमैंट दूसरा आदमी मूव नहीं कर सकता है ।

श्री बागड़ी : अध्यक्ष महोदय, क्लाज ३ पर मेरा भी एक अमैंडमैंट है । राष्ट्रपति जी की स्वीकृति की चिट्ठी भी आ गयी है हालांकि मेरे पास अभी उसकी इत्तिला नहीं आई है ।

अध्यक्ष महोदय : क्या वह कोई दूसरा अमैंडमैंट है ?

श्री बागड़ी : जी हां वह मेरे नाम से है । मैंने राष्ट्रपति जी को....

अध्यक्ष महोदय : बागड़ी साहब का कौन-सा अमैंडमैंट है ?

एक माननीय सदस्य : अभी वह तलाश करने बाहर चले गये हैं ।

अध्यक्ष महोदय : १५२ नम्बर का अमैंडमैंट उन के नाम से है । अगर वह उसे मूव करना चाहें तो मुझे बतला दें ।

बागड़ी साहब का कौन-सा अमेंडमेंट है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री बागड़ी : मेरा अमैंडमैंट नम्बर १५२ है जो कि मैं मूव करता हूं ।

अध्यक्ष महोदय : बहुत अच्छा, बागड़ी साहब का १५२ नम्बर का अमेंडमेंट मूव्ड है ।

†**श्री शिवमूर्ति स्वामी** (कोपल) : मैं संशोधन संख्या १२७ प्रस्तुत करता हूं ।

†**श्री बागड़ी** : मैं संशोधन संख्या १५२ प्रस्तुत करता हूं ।

†**श्री वासुदेवन नायर** (अम्बलपुजा) : मैं संशोधन संख्या ५७ और ६२ प्रस्तुत करना चाहता हूं ।

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य ऐसा नहीं कर सकते । संशोधन संख्या ५७ संख्या ३६ के समान ही है अतः अग्राह्य है और संशोधन संख्या ६२ उनके नाम से नहीं है ।

†**श्री फ्रैंक एन्थनी** (नाम-निर्देशित—आंग्ल-भारतीय) : मैंने चार संशोधन प्रस्तुत किये हैं । मैं आशा कर रहा था कि प्रधान मंत्री के भाषण से मुझे कुछ प्रकाश मिलेगा । वह तो अपने भाषण में तत्व ज्ञान की बातें अधिक कर गये हैं और विधेयक के बारे में उन्होंने कम प्रकाश डाला है । मेरा प्रश्न तो खंड ३ से ही संबंधित है । वह यह है कि क्या प्रधान मंत्री के आश्वासनों को कार्यान्वित किया जायेगा अथवा नहीं । परन्तु आश्चर्य यह है कि कांग्रेस दल का प्रत्येक सदस्य यह कह कर प्रसन्न हो रहा है कि यह विधेयक दोनों पक्षों का सुन्दर समन्वय है । प्रश्न समन्वय का नहीं, आश्वासन का है । मुझे तो गृह कार्य मंत्री से एक ही शिकायत है कि आश्वासन को कार्यान्वित नहीं किया गया है । खैर यह अच्छी बात है कि प्रधान मंत्री ने अपने आश्वासन को पुनः दोहरा दिया है ।

मेरा निवेदन यह है कि इस प्रकार की व्यवस्था की जाय कि अंग्रजी आने वाले १५ वर्ष तक सहकारी भाषा के रूप में चालू रहे। केन्द्रीय सरकार का कार्य और संसद् का कार्य इस भाषा में होता रहना चाहिए । यह व्यवस्था तब तक चलती रहनी चाहिए जब तक कि अहिन्दी भाषी क्षेत्रों के विधान मंडलों में इसके विपरीत निर्णय न हो जाय अथवा लोक-सभा तथा राज्य सभा तीन चौथाई बहुमत से इस बारे में निर्णय न कर दे । मैंने जो संशोधन प्रस्तुत किए हैं यदि वे स्वीकार कर लिये गये तो प्रधान मंत्री द्वारा दिये गये आश्वासन को ठोस रूप प्राप्त हो जायेगा । संविधान के अनुच्छेद ३६८ में इसकी व्यवस्था हो जायेगी ।

†**श्री रंगा** (चित्तूर) : इस प्रश्न से सारे सदन में एक हलचल पैदा हो गई है । कांग्रेस दल में भी इस पर मतभेद है और उन्हें यह संतोष है कि दोनों पक्षों के समन्वय का मार्ग निकाल लिया गया है । मुझे तो इस प्रश्न को राष्ट्रीय दृष्टिकोण से देखना है । अपने हिन्दी प्रेमी मित्रों से मुझे सहानुभूति है । लगता ऐसा है कि सारे देश में ही हिन्दी बोली जाती है परन्तु ऐसी बात है नहीं । जो लोग अहिन्दी भाषी क्षेत्रों में रहते हैं उनका दृष्टिकोण यह है कि उन्हें कुछ संरक्षण मिल जाने चाहिएं । इससे उत्तर में रहने वाले लोगों को कुछ भयभीत नहीं होना चाहिए । हिन्दी प्रेमियों को एक बात समझ लेनी चाहिए कि सारे का सारा देश हिन्दी भाषी नहीं है । यह ठीक है कि दक्षिण भारत के लोग उत्तर भारत के तीर्थ स्थानों को पवित्र मान वहां की चरणरज अपने माथे पर लगाते हैं । कह नहीं सकता उत्तर भारत के लोगों के ये विचार हैं कि नहीं । पर ये सब लोग भाषा की दृष्टि से अहिन्दी भाषी हैं । हिन्दी प्रेमियों का यह कर्तव्य भी है और उत्तरदायित्व भी कि अहिन्दी भाषी लोगों को मना लें । परन्तु मनाने

---

†मूल अंग्रेजी में

के लिए ज़बरदस्ती का नहीं स्नेह और प्रेम का सहारा लिया जाना चाहिए । इस प्रकार देश में एकता के सूत्र भी मज़बूत होंगे । उन्हें सहिष्णुता का परिचय देना चाहिए । उन्हें चाहिए कि वे अहिन्दी भाषी लोगों को यह विश्वास करा दें कि उनके हितों की सदैव रक्षा होती रहेगी और उनके हित उनके हाथों ऐसे ही सुरक्षित हैं जिस प्रकार उनके अपने हाथों में है ।

देश की ऐतहासिक परम्पराओं के अनुसार प्रधान मंत्री ने आश्वासन दिया है । हमें पता है कुछ राजनीतिक क्रांतियों के कारण हमारा देश आगे ही विभाजित हो चुका है । इस प्रकार का विभाजन का संकट अब हम देखना नहीं चाहते । अतः हमें भावनाओं को उभारने का यत्न नहीं करना चाहिए । इससे हमारे राष्ट्रीय जीवन के नष्ट प्रायः हो जाने का खतरा है । इस बात को हम सब स्वीकार करते हैं कि संविधान सभा ने हिन्दी को राजभाषा स्वीकार किया है । परन्तु हिन्दी प्रेमिमों को इस दिशा में अधीर नहीं हो उठना चाहिए । उन्हें अहिन्दी भाषी लोगों को हिन्दी का पूर्ण ज्ञान प्राप्त करने के लिए समय अवश्य देना चाहिए ।

इस प्रकार की व्यवस्था कर देनी चाहिए जिससे प्रधान मंत्री द्वारा दिये गये आश्वासन को ठीक ढंग से कार्यान्वित करने की गुंजाइश हो । सरकार को भी प्रधान मंत्री द्वारा दिये गये आश्वासनों का पूरा ध्यान रखना है । उनके पास दो ही मार्ग हैं । एक यह कि प्रधान मंत्री के आश्वासन का पूरा ध्यान रखा जाय और दूसरा यह कि त्याग पत्र दे दिया जाय, इस बात को तो स्वीकार किया ही जाना चाहिए कि दक्षिण में हिन्दी प्रचार करने के लिए सरकार ने बहुत कुछ किया है । हिन्दी वहां लोकप्रिय हुई है और हो रही है । हिंदी प्रशिक्षण को काफी प्रोत्साहन दिया जा रहा है । मेरा विचार तो यह है कि इसे विश्वविद्यालय स्तर पर स्कूलों और कालिजों में अनिवार्य किया जाना चाहिए । दक्षिण भारत के लोग हिन्दी सीखने के मामले में किसी से पीछे नहीं हैं ।

मेरा यह अनुरोध है कि राज्य विधान मंडलों को इस बारे में अपना मत व्यक्त करने का अवसर मिलना चाहिए । उनसे पूछा जाना चाहिए कि कब वे अग्रेज़ी के स्थान पर हिन्दी को राजभाषा बनाने में सुविधा अनुभव करेंगे । यह व्यवस्था चाहे तीन चौथाई बहुमत से हो अथवा साधारण बहुमत से इस का निर्णय कर लेना चाहिए । हिन्दी प्रेमियों को मैं यह आश्वासन देना चाहता हूं कि दक्षिण वाले अवश्य हिन्दी सीखेंगे परन्तु उन्हें अधीरता से काम नहीं लेना चाहिए । भावना में बहने से बात बनती बनती बिगड़ जायेगी ।

†**श्री राधेलाल व्यास** (उज्जैन) : मुझे श्री रंगा की कई एक बातों पर बड़ा आश्चर्य हुआ है । वह प्रधान मंत्री के वक्तव्य के बारे में बड़ी मजेदार बातें करते रहे हैं । मेरा निवेदन यह है कि हमें प्रधान मंत्री के आश्वासन का सही निर्वचन करना चाहिए । कम से कम उन्हें वे बातें नहीं करनी चाहिएं जो कि संविधान की भावना के विरुद्ध हो । मेरा मत यह है कि खंड ३ में जो वर्तमान व्यवस्था है वह ठीक ही है । खंड ३ अथवा ४ में कोई ऐसी व्यवस्था नहीं की जानी चाहिए जिससे संविधान के उपबंधों का उल्लंघन होता हो । यह बात स्पष्ट कर दी जानी चाहिए, संविधान के उपबन्धों का पूरी तरह पालन किया जाना चाहिए ।

एक बात बिल्कुल स्पष्ट है कि इस विशाल देश में ८० प्रतिशत लोग हिन्दी जानते और बोलते हैं । इसे केवल हिन्दी भाषी क्षेत्रों की भाषा कहना गलत है । यह सारे भारत की भाषा है और इसे राजभाषा का पद मिलना ही चाहिए । अंग्रेजी का निरन्तर प्रयोग किया जाना राष्ट्रीय भावनाओं का भारी अनादर है । जिन अहिन्दी भाषी लोगों ने विशेष रूप से श्री ही० ना० मकर्जी के प्रति आभार प्रदर्शित करता हू जिन्होंने हिन्दी का समर्थन किया है । महाराष्ट्र के श्री अणे ने हिन्दी का जोरदार

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री राधेलाल व्यास]

समर्थन किया है। गुजरात के मित्रों ने भी समर्थन किया है। आज देश भर में कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं जहां पर हिन्दी बोली और समझी न जाती हो।

[**उपाध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए]

दक्षिण के चार राज्य ऐसे हैं जहां हिन्दी नहीं बोली जाती। परन्तु वहां भी ऐसे लोगों की संख्या काफी है जो हिन्दी समझ सकते हैं। मेरा निवेदन है कि मेरा संशोधन स्वीकार कर लिया जाय, यह सरकार की नीति के बिल्कुल विपरीत नहीं होगा।

श्री काशीराम गुप्त (अलवर) : उपाध्यक्ष महोदय, एक कहावत है कि सोते हुए को कोई तो जगा दिया जाये, लेकिन जागते हुए को नहीं जगा सकता। जागते हुओं को जगाने के लिए मैंने यह अमेंडमेंट रखा है कि पेज २ लाइन ४ पर शब्द "हिन्दी" के बाद ये शब्द बढ़ा दिये जायें "फ़ार ए पीरियड आफ़ टेन ईअर्ज़" (दस वर्ष की अवधि के लिये) और इस प्रकार अंग्रेजी के प्रयोग की अवधि दस वर्ष निश्चित कर दी जाये। इन शब्दों को जोड़ने की जरूरत दो कारणों से है। पहला यह है कि इस क्लाज का संबंध अगली क्लाज़ से है और अगर इन शब्दों को नहीं जोड़ा जायेगा तो अगली क्लाज़ से इसका संबंध नहीं जुड़ेगा और दूसरा यह है कि इन शब्दों को जोड़े बगैर हमारा यह मंशा पूरा नहीं होगा कि सरकार पर यह दबाव डाला जाये कि वह इस संबंध में तेज़ी से काम करे।

मैंने बहुत स्पष्ट तरीके से देखा है कि डी० एम० के० के साथियों का मन्शा केवल यह है कि हिन्दी के मामले को लेकर एक फ़साद पैदा किया जाये। वे तो ईमानदारी से यह नहीं चाहते हैं कि भारतवर्ष एक रहे और उनका मन्शा यह है कि भारतवर्ष का विभाजन हो जाये। मैंने बहुत नज़दीक से उन को देखा है और उनसे बातचीत की है। मैंने उनसे सीधा प्रश्न किया कि अगर वे समझते हैं कि हिन्दी न रहे तो कौन सी भाषा रहे। उनका कहना है कि अंग्रेजी रहे। जब मैंने उनसे कहा कि अंग्रेजी सबकी जवान नहीं है और वह फ़ारेन लैंग्वेज है तो उन्होंने कहा कि तब इस देश की चौदह पन्द्रह सब भाषायें रहें। इससे साफ़ मालूम होता है कि उनका मंशा केवल यह है कि यह मसला किसी भी प्रकार से हल न हो और इस आधार पर वे अपना राजनीतिक उल्लू सीधा करते रहें। मुझे यह देखकर बहुत आश्चर्य हुआ कि माननीय सदस्य श्री फ्रैंक एन्थनी जो बहुत तजुर्बेकार हैं इन दिनों उनके साथ बैठ कर बार-बार यह चर्चा करते रहे कि अंग्रेजी को कैसे आगे बढ़ाया जाय। मैं समझ नहीं पाया कि क्या वह हिन्दुस्तान के विभाजन की नीति का भी समर्थन करते हैं और क्या उन का मंशा यह है कि उनके ज़रिये से अंग्रेजी हमेशा के लिए हम पर थोपी जाती रहे।

इस समय यह स्थिति बन गई है कि जैसे पहले ज़माने में विभाजन से पहले कांग्रेस हिन्दुओं की संस्था कहलाती थी और मुस्लिम लीग मुसलमानों की, उसी तरह आज जब हिन्दी-स्पीकिंग एरियाज़ का कोई आदमी यह कहे कि संविधान का पालन करो और यह शिकायत करे कि यह सरकार संविधान का पालन करने में असमर्थ रही है, फ़ेल हुई है, उत्तीर्ण नहीं हुई है, तो उसका मंशा यह लगाया जाता है कि हिन्दी-स्पीकिंग एरियाज़ वाले अपनी बात को दूसरों पर थोपना चाहते हैं। इस से अधिक शोचनीय बात कोई नहीं हो सकती है। कोई हिन्दी-स्पीकिंग एरिया वाला हिन्दी को थोपने की बात कैसे कर सकता है ? आज हिन्दी-स्पीकिंग एरियाज़ के लोग केवल यह कर सकते हैं कि वे संविधान के पालन के लिए जी-जान से जुट जायें और सरकार को मजबूर कर दें कि वह तेज़ी से संविधान की व्यवस्थाओं को अमल में लाये।

आज हम देखते हैं कि लोग बार-बार हिन्दी-स्पीकिंग एरियाज़ वालों को उपदेश देते हैं, गृह मंत्री भी हमें उपदेश देते हैं, जैसे हमने कोई बहुत बड़ा पाप किया है। अगर किसी ने पाप किया है, तो संविधान बनाने वालों ने किया होगा, जिन्होंने हिन्दी को संविधान में रखा। जिन्होंने

संविधान को बनाया, उन्हीं की आज हुकूमत भी है और वही लोग आज सरकार में बैठे हुए हैं। अगर वे अपने पाप को छिपाने के लिए नान-हिन्दी-स्पीकिंग एरियाज़ की आड़ लेकर चलते हैं, तो इससे अधिक शर्म की कोई बात नहीं हो सकती है।

मैं तो यह कहने के लिए तैयार हूं कि अगर नान-हिन्दी-स्पीकिंग एरियाज़ में हिम्मत है, तो वे इकट्ठे हो कर एक कांफ्रेंस करें और यह तय करें कि वे किसी एक जुबान को स्वीकार करने के लिए तैयार हैं। हम संविधान में दो जुबानें रखने के लिए तैयार हैं, इस देश में दो जुबानें चलाने के लिए तैयार हैं। नान-हिन्दी-स्पीकिंग एरियाज़ में जितने भी प्रदेश हैं, उन के नेता इकट्ठे हो कर इस बारे में फ़ैसला करें। लेकिन अगर वे फ़ैसला कर सकते, तो यह स्थिति पैदा न होती। संविधान के बनाने के समय भी ये सब बातें सामने आई थीं।

डी० एम० के० का तरीका तो दूसरा है, लेकिन बाकी साथी दबी जुबान से यह कहते हैं कि हम हिन्दी चाहते हैं, किन्तु जब लिमिट, अवधि, बांधने का सवाल आता है, तो वे क्यों घबराते हैं ? बिना अवधि बांधे काम नहीं चलेगा। अगर सरकार पर अवधि बांधने का डंडा नहीं रहेगा, तो जब अवधि बांधने पर भी यह दशा हो गई, तो अवधि के बग़ैर तो दशा और भी बिगड़ेगी। इस बारे में मैं इस समय अधिक नहीं कहूंगा, क्योंकि अगली अमेंडमेंट्स पर विस्तार से यह कहने का मौका मिलेगा कि किस प्रकार से हिन्दी बढ़े और किस प्रकार से उसका काम हो। इस वक्त मैं केवल यह निवेदन करूंगा कि अगर दस साल की अवधि की बात इस क्लाज़ में न जोड़ी जायेगी, तो न वह अगली क्लाज़ से जड़ेगी और न हमारा यह मंशा पूरा होगा कि सरकार पर दबाव डाला जाये कि वह तेज़ी से काम करे।

इसलिए मेरा निवेदन है कि गृह मंत्री कृपा कर के इस बात पर ध्यान दें और हिन्दी-स्पीकिंग एरियाज़ वालों को उपदेश न दे कर नान-हिन्दी-स्पीकिंग एरियाज़ वालों के साथ अवधि के बारे में चर्चा करें कि वे कितनी अवधि रखने के लिए तैयार हैं, उनकी क्या रुकावटें और कठिनाइयां हैं और उनको देख कर अवधि की व्यवस्था इस क्लाज़ में रखें।

†**श्री प्रभातकार** (हुगली) : मैं संशोधन संख्या ५७ पर बोलना चाहता हूं जिस में कहा गया है कि 'मे' के स्थान पर "शेल" रख दिया जाये। यह बात सब मानते हैं कि हिन्दी का स्थान अंग्रेजी लेगी। फिर भी हम चाहते हैं कि 'मे' के स्थान पर 'शेल' रखा जाये, क्योंकि बे अहिन्दी-भाषी लोगों के मन में शंका है कि सरकार उन पर हिन्दी थोपना चाहती है। हम चाहते हैं कि वह शंका दूर की जाये। यह स्पष्ट किया जाना चाहिये कि सरकार या संसद् अहिन्दी-भाषी लोगों की इच्छाओं के विरुद्ध हिन्दी लादना नहीं चाहती।

हम यह कह रहे हैं कि अंग्रेजी जारी रहेगी, किन्तु यह निर्णय कौन करेगा कि यह जारी रहेगी या नहीं। हम हिन्दी भाषा की कठिनाइयों को जानते हैं और समझ सकते हैं कि जब हिन्दी में कानून बनने लगेंगे तो इन के निर्वचन में कितनी कठिनाइयां होंगी। मैं श्री एन्थनी से सहमत नहीं हूं कि जो कुछ गृह मंत्री ने कहा, वह प्रधान मंत्री के भाषण के उलट था। मैं यह समझता हूं कि दोनों यह चाहते थे कि अंग्रेजी जारी रहे और अंग्रेजी का दर्जा राजभाषा के रूप में ही रहेगा जो अब है। यदि ऐसा है तो वह शंका दूर करने में क्या हर्ज है जो अहिन्दी-भाषी लोगों के मन में है। यह शंका भी दूर होनी चाहिये कि यदि कोई व्यक्ति हिन्दी अच्छी तरह नहीं जानता, तो वह अखिल-भारतीय सेवाओं में प्रवेश नहीं कर सकेगा। मैं गृह-कार्य मंत्री से निवेदन करूंगा कि यदि सरकार ने यह संशोधन स्वीकार न किया, तो इससे यह भावना पैदा होगी कि अहिन्दी भाषी लोगों पर हिन्दी थोपी जा रही है।

श्री बाल्मीकी (खुर्जा) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरें दो अमेंडमेंट्स हैं १४७ और १४९ । हिन्दी या अंग्रेज़ी के बारे में राजभाषा के रूप में अगर देश में व्यापक मत लिया जाये, तो मैं समझता हूं कि देश का व्यापक मत हिन्दी के पक्ष में आयेगा । हिन्दी भाषी तो इसके पक्ष में मत देंगे ही लेकिन जो अहिन्दी भाषी हैं, वे भी अधिकतर इसके पक्ष में मत देंगे । यहां सदन में अनेक अहिन्दी-भाषी सदस्यों ने हिन्दी के पक्ष का समर्थन किया है ।

उपाध्यक्ष महोदय, संविधान निर्मात्री परिषद् ने हिन्दी को तथा दूसरी जो प्रादेशिक भाषायें हैं, उनको जो स्थान प्रदान किया है, वह स्थान उनको जो प्राप्त नहीं हो रहा है, वह मैं समझता हूं कि एक प्रकार से संविधान की आत्मा का उल्लंघन है, आत्मा का हनन है । अभी जो विधेयक हमारे सामने है उस में चूंकि किसी भी प्रकार की अवधि निर्धारित नहीं है, इसलिए उसका सीधासा अर्थ यह निकलता है कि अंग्रेज़ी को स्थायी स्थान दिया जा रहा है, उसको स्थायित्व प्रदान किया जा रहा है । यह कहा जाता है कि हिन्दी और अंग्रेजी के बीच यह एक समझौता है और दोनों को समान स्थान इस में प्राप्त होगा । इस से मैं सहमत नहीं हूं । यदि जिस प्रकार का यह विधेयक है, इस को इसी प्रकार से, इसी शकल में पारित किया जाता है और अंग्रेजी को बिना अवधि निर्धारित किये रखा जाता है तो अंग्रेज़ी को जो प्रमुख स्थान इस समय प्राप्त है, वह उस को आगे भी प्राप्त रहेगा और प्रमुख स्थान हिन्दी को नहीं मिल सकेगा ।

आप देखें कि हमारे राष्ट्र में हिन्दी का क्या स्थान है । वह बहुमत की भाषा ही नहीं है बल्कि जिस तरह से दूसरी भाषायें संस्कृत से निकली हैं, उसी तरह से हिन्दी भी संस्कृत से निकली है । हिन्दी का संस्कृत से भगिनी का नाता है । जहां तक लिपि का सम्बन्ध है, हिन्दी और संस्कृत देवनागरी की लिपि से निकली अन्य भाषाओं के साथ समान है और इस नाते दूसरी भाषाओं में भी उसका समावश हो जाता है । हिन्दी में संस्कृत गर्भित शब्द होने से उसको एक विशेष स्थान प्राप्त हो जाता है । लेकिन आज यह कहना कि हमारे राष्ट्र हित में और भावात्मक एकता को रखने के लिये अंग्रेजी का एक विशेष स्थान हो सकता है, मैं इस विचार से समहत नहीं हो सकता क्योंकि मैं जानता हूं कि किसी भी देश के अन्दर एकता को देखते हुए, देश की शक्ति को देखते हुए, देश के अन्दर समान विचार तथा आत्म गौरव को देखते हुए वही भाषा उपयुक्त हो सकती है जो अधिकतर लोगों के द्वारा बोली जाती है और समझी जाती है तथा यह स्थान आज हिन्दी को ही प्राप्त हो सकता है । मुश्किल यह है कि २ फी सदी अंग्रेजी बोलने वालों के हित की रक्षा की जाती है और ९८ फी सदी जो भारतीय भाषाओं के बोलने वाले हैं और जिनके द्वारा हिन्दी अधिकतर समझी जाती है उनके हितों की उपेक्षा की जाती है । मैं यह कहने के लिये तैयार हूं कि प्रादेशिक भाषाओं का अपना एक स्थान है, उन का एक अपना साहित्य है, उनकी एक उच्चता है लेकिन हिन्दी का भी अपना एक साहित्य है, उसकी एक उच्चता है । साथ ही मैं यह भी कहने के लिये तैयार हूं कि प्रादेशिक भाषा तो एक प्रदेश के अन्दर सीमित रह जाती है, वह कुछ ही दूर तक जाती है, लेकिन जहां तक हिन्दी का सम्बन्ध है, वह सारे देश के अन्दर व्यापक रूप से समझी जाती है, इस प्रकार हिन्दी में ही राष्ट्र भाषा बनने की सारी योग्यताएं हैं ।

प्रोफेसर रंगा जब बोल रहे थे उनकी एक बात सुन कर मुझे बड़ ताज्जुब हुआ । उन्होंने एक धर्मान्धता व एक संकुचित मनोवृत्ति की बात यहां कही कि देश के अन्दर उत्तर भारत के लोग एक तरह से सोचते हैं और दक्षिण भारत के लोग अन्य तरह से सोचते हैं । मैं तो कहने के लिये तैयार हूं कि सारा देश आज एक है, वह आज एक इकाई के रूप में है, सारे देश के अन्दर आज भावात्मक एकता है और सारा देश एक तरह से सोचता है । जिस तरह से आज सारा देश एक तरह से हिमालय के लिये सोचता है, उसी तरह से एक एक नदी के बारे में, चाहे वह गंगा हो या गोदावरी, जो कि दक्षिण की गंगा है, समान प्यार, समान सद्भावना और समान आदर सारे देश के अन्दर है । उत्तर भारत में अवतार अवतरित हुए हैं और दक्षिण भारत से आचार्य आये हैं, लेकिन आचार्यों और

अवतारों में एक प्रकार से समान प्रेम है । भक्ति का भाव दक्षिण से आया है । हमारे अन्दर उन आचार्यों और उन महापुरुषों के लिये, विशेष रूप से जो शंकराचार्य हुए हैं, उन के लिए पूरा आदर है, जो हमारे दक्षिण के तीर्थ स्थान हैं, उन के लिये हमारे हृदय में विशेष आदर है ।

श्री मौर्य (अलीगढ़) : उन्होंने जाति पद्धति स्थापित की थी ।

श्री बाल्मीकी : अब उस से कास्ट सिस्टम को भी भूलना ही चाहिये । किन्तु उसकी उसी तरह से यह अंग्रेजी बोलने का मोह भी कास्ट सिस्टम बन कर रह जाता है क्योंकि उस का एक अलग एटिकेट और लहजा है ।

मेरे कहने का अर्थ यह है कि एक अवधि निर्धारित होनी चाहिये कि कब तक अंग्रेजी चलेगी । जब तक आप यह अवधि निर्धारित नहीं करते तब तक हिन्दी को उचित स्थान नहीं मिल सकता है । एक अवधि निर्धारित कर देना है और साथ में यह भी तय कर देना है कि इस अवधि के अन्दर, जिस को मैं ने १९८० तक रक्खा है, अंग्रेजी को हटना पड़ेगा । हिन्दी का जो विशेष स्थान है वह उस अवधि के बाद उस को मिलना चाहिये । यदि उस का उचित स्थान नहीं दिया जाता तो वह हमारे हित में नहीं होगा । मैं यहां पर 'मे' और 'शेल' के झगड़े में नहीं पड़ना चाहता । मैं यह जानता हूं कि 'शेल' जो है वह जरूरी नहीं है, 'मे' जरूरी है, लेकिन हिन्दी के हित के लिये अवधि देना आवश्यक है ।

जो मेरा दूसरा अमेंडमेंट है वह यह है कि सरकार की ओर से विशेषकर हिन्दी का जो अपना स्थान है, संवधानिक स्थान है, उस के प्रति उदासीनता रही है, उस में ढील रही है और अब भी वह ढील चल रही है । मेरा ऐसा विश्वास है कि आगे वह ढील नहीं चलेगी । गृह मंत्री जी से मेरा आग्रह है, विशेष रूप से, कि जो दूसरा मेरा संशोधन है उस पर वे विचार करें और स्वीकार करें । उस संशोधन के सम्बन्ध में मैं एक मिनट में निवेदन करना चाहूंगा । वह संशोधन यह है :

> "हिन्दी के प्रचार और विकास के लिए एक निश्चित और सुबद्ध योजना बनाई जायेगी, ताकि अंग्रेजी को १९८० से पहले बदला जा सके ।"

इस प्रकार से मेरी अर्ज यह है कि हिन्दी के प्रचार तथा प्रसार के लिये सरकार को विशेष कर एक ऐसी व्यापक स्कीम बनानी चाहिये और इस विचार को पक्के ढंग से ले कर बनानी चाहिये कि इस अवधि के अन्त तक अंग्रेजी मिनिमाइज होती चली जायेगी, घटती चली जायेगी और हिन्दी को अपना उचित स्थान धीरे धीरे मिल जायेगा ।

मैं तो समझता हूं कि हिन्दी ही नहीं, भारत की किसी भी भाषा को वह स्थान प्राप्त हो सकता है, लेकिन दूसरे देश की भाषा हमारे देश पर हमारी इच्छा के विरुद्ध नहीं लादी जा सकती । हमारी इच्छा है कि हमारे देश में हिन्दी को वह स्थान प्राप्त होना चाहिये और मुझे आशा है कि सरकार इस में अपना योगदान देगी ।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से दो एक सुझाव देना चाहता हूं ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : शान्ति, शान्ति । माननीय सदस्य बैठ जायें । श्री बड़े ।

श्री बाल्मीकी : सरकारी क्षेत्रों और सरकारी काम काज में हिन्दी का अधिकाधिक प्रसार किया जाय लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि जब तक आप प्रथम श्रेणी के कर्मचारियों और अधिकारियों को पूरे तरीके से बल लगा कर हिन्दी नहीं सिखायेंगे, जब तक उन के हृदय में हिन्दी के प्रति प्रेम पैदा नहीं करेंगे तब तक हिन्दी का हित नहीं हो सकता है । केवल छोटे कर्मचारियों को ही हिन्दी सिखाने से कोई फायदा नहीं है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**उपाध्यक्ष महोदय** : शान्ति, शान्ति। अब वे समाप्त कर दें। मैं ने एक और सदस्य को बुलाया है।

श्री बाल्मीकी : एक सुझाव तो मैं यह देना चाहता हूं। दूसरा सुझाव यह देना चाहता हूं कि देश के गौरव तथा सम्मान को दृष्टि में रखते हुए हमारे राजदूत जो परिचय पत्र अपने साथ ले जाते हैं वे हिन्दी में जाने चाहियें, तीसरा सुझाव मेरा यह है कि जो हमारे व्यापारिक समझौते होते हैं, वे हिन्दी में होने चाहियें।

श्री बड़े : उपाध्यक्ष महोदय, प्रथम तो मैं आप से और हाउस से यह बतलाना चाहता हूं कि मेरी मातृ भाषा मराठी है। मैं मध्य प्रदेश में रहता हूं और खान्देश के बार्डर का रहने वाला हूं। मैं ने कभी हिन्दी पढ़ी या सीखी नहीं है। लेकिन कोर्ट्स में जाने से हिन्दी सीख गया। वहां पर मेरे से जो हिन्दी बोली जाती है वह मराठी और हिन्दी मिक्स्ड होती है। इस प्रकार से वहां के कोर्ट्स में होता है। लेकिन श्री फ्रैंक ऐन्थनी ने जो अमेंडमेंट रक्खा है "मे" और "शैल" के बारे में, मैं उस का विरोध करता हूं।

श्री हरि विष्णु कामत : काम चलाओ हिन्दी है।

श्री बड़े : उस का कारण यह है कि उन्हों ने एक अमेंडमेंट दिया है, और रंगा साहब ने भी, कि प्राइम मिनिस्टर साहब की तस्वीर के साथ ऐडवर्टाइज़मेंट निकला कि इंग्लिश कायम रहेगी। लेकिन मैं इस हाउस में कहना चाहता हूं कि अगर प्राइम मिनिस्टर साहब ने हाउस में कोई ऐश्योरेन्स दिया है तो क्या वह हाउस के लिये बन्धनकारक होगा ? वह कोई मुगल बादशाहों का फरमान नहीं है या जिस तरह से पहले हमारे यहां एक श्री शंकर आर्डर निकलता था उस तरह का श्री शंकर आर्डर नहीं है, जिस को मानना ही चाहिये, कि अंग्रेज़ी रहनी चाहिये। श्री एन्थनी तो जबलपुर के रहने वाले हैं और कोर्ट में हिन्दी में काम करते हैं, क्रास एग्जामिनेशन हिन्दी में करते हैं और पक्षदार सारे जो आते हैं वे हिन्दी वाले आते हैं। मेरी समझ में नहीं आता कि क्यों उन का इस प्रकार का हठ है कि हिन्दी नहीं होनी चाहिये। मैं श्री ऐन्थनी साहब से कहना चाहता हूं कि यदि प्राइम मिनिस्टर साहब ने अपना आश्वासन छोड़ दिया तो जो ३४३ आर्टिकल है कांस्टिट्यूशन का कि :

"संघ की राजभाषा हिन्दी और लिपि देवनागरी होगी"

और जो यूनैनिमसली पास हुआ था तथा उस पर श्री फ्रैंक ऐन्थनी ने दस्तखत किया है, उस को वे कैसे भूल गये। जब समय बदल जाता है, जब परिस्थिति बदल जाती है, तब आदमी को भी बदलना पड़ता है। नीतियां जो हैं उन के लिये आदमी नहीं है, आदमियों के लिये नीतियां हैं। खुद ऐन्थनी साहब कांस्टीट्यूशन पर दस्तखत करने के १० या १५ साल बाद बदल जाते हैं और कहते हैं कि हिन्दू कम्युनलिज्म हो गया इसलिये वह ऐश्योरेन्स बदल गया, मैं यह कहता हूं कि हिन्दू कम्युनलिज्म यह कैसे हो गया हिन्दी भाषा से ? यदि ऐन्थनी साहब यह कहते कि यह यहां जो उर्दू है वह होनी चाहिये तब भी मैं मान सकता था कि वह भारतीय भाषा चाहते हैं। लेकिन वह उस को नहीं चाहते हैं। वह तो चाहते हैं कि यहां पर अंग्रेज़ी चले। मेरी समझ में यह नहीं आता कि उन को अंग्रेज़ी क्यों चाहिये। अगर वह भारतीय भाषा कहते हैं तो उस को समझ सकता हूं।

रंगा साहब के मन में बड़ा झगड़ा चल रहा है क्योंकि वे दो पार्टियों को ले कर बैठे हुए हैं। स्वतंत्र पार्टी को हिन्दी एरिया में भी काम करना पड़ता है और दक्षिण भारत में भी काम करना पड़ता है, उन को डी० एम० के० के विरोध में खड़े होना पड़ता है, इसलिये उन्हों ने कहा कि अंग्रेज़ी नहीं होनी चाहिये हिन्दी भाषा होनी चाहिये, लेकिन हिन्दी धीरे धीरे आगे बढनी चाहिये। पहले उन्हों ने हिन्दी का काफी विरोध किया, लेकिन आखीर में कहा कि यहां पर

---

†मूल अंग्रेज़ी में।

हिन्दी को धीरे धीरे लाने की बात मानी जाय । उन्हों ने एक कम्प्रोमाइज़ कर लिया । उन की पार्टी में भी कोई दो मत हैं । एक तो यशपाल सिंह जी बोले दूसरे एक मद्रासी सदस्य बोले उन के, शायद श्री रेड्डी साहब । दोनों बोले और उन का आपस में झगड़ा हुआ । अभी ला मिनिस्टर साहब ने कहा कि "मे" के माने "शैल" भी हो सकता है और "शैल" के माने "मे" भी हो सकता है । तो क्या केवल शब्द बदल देने से माननीय सदस्यों का समाधान हो जायेगा ? लेकिन उस के पीछे एक भावना है और मैं उस भावना का विरोध करता हूं मैं चाहता हूं कि यहां पर राष्ट्र भाषा होनी चाहिये, ऐसी कोई बात रक्खी जाय । यहां की राष्ट्र भाषा हिन्दी होनी चाहिये। कोई साधू कन्याकुमारीसे काश्मीर तक चला जाय, अगर वह हिन्दी जानता हो तो अपना काम चल सकता है । जितने माननीय सदस्य हैं, चाहे वे बंगाल के हों, या मद्रास के हों, या गुजरात के हों, जब वे बाजार जाते हैं तो उन का सारा व्यवहार हिन्दी में ही चलता है, अंग्रेज़ी में नहीं चलता । इसीलिए मैं चाहता हूं कि हिन्दी ही राष्ट्र भाषा हो ।

एक सदस्य ने डर दिलाया कि अगर हिन्दी राष्ट्र भाषा हो जायगी तो नार्थ और साउथ के दो हिस्से अलग अलग हो जायेंगे । देश का पार्टीशन हो जायगा । मैं देश का पार्टीशन नहीं चाहता । मैं इस सम्बन्ध में आप को एक उदाहरण देना चाहता हूं । एक बच्चे को दो स्त्रियां अपना बच्चा बतलाती थीं और उस के लिए झगड़ती थीं । वे मजिस्ट्रेट के सामने गयीं । तो मजिस्ट्रेट ने कहा कि इस बच्चे के दो टुकड़े कर के हर एक स्त्री को एक एक टुकड़ा दे दो । इस पर जो झूठी माता थी वह तो राजी हो गयी, पर जो सच्ची माता थी उस ने आंखों में आंसू भर कर कहा कि मेरा बच्चा जिन्दा रहे, मैं नहीं चाहता कि इस के टुकड़े किए जायें । आप यह बच्चा उस दूसरी औरत को ही दे दीजिये । वहीं जिन्दा रहे । तो यही मेरा उन लोगों से कहना है कि जो भाषा के प्रश्न पर देश का विभाजन करना चाहते हैं, कि यदि वे चाहें तो किसी भी भारतीय भाषा को राष्ट्र भाषा बना लें, मैं उन के साथ हूं, लेकिन देश का विभाजन न करें । लेकिन विधान के अनुसार हिन्दी ही राष्ट्र भाषा हो सकती है । इसलिये मैं ने कहा है कि १९६५ के बाद इसे हटा दिया जायेगा ।

हमारे संविधान की धारा ३४३ में साफ लिखा है :

"संघ की राजभाषा हिन्दी और लिपि देवनागरी होगी ।"

लेकिन मुझे यह देख कर ताज्जुब होता है कि दक्षिण के कुछ भाई अंग्रेज़ी को लाना चाहते हैं । मुझ को उन की लॉजिक समझ में नहीं आती । हम यह मान लें कि वे हिन्दी को नहीं चाहते, तो उस के स्थान पर कोई भारतीय भाषा लाने को कहें । वह बंगला, मराठी, तमिल जो भी भाषा हो चाहें उस के लिए कहें तो समझ में आ सकता है । लेकिन यह कहना कि अंग्रेज़ी होनी चाहिये, इस में कोई राष्ट्रीयता नहीं है । और अगर इस स्थिति में लोग उन की देश भक्ति पर सन्देह करें तो उन को बुरा न मानना चाहिये । श्री शंकराचार्य केरल के थे लेकिन हम ने उन को माना और उन्हों ने चारों दिशाओं में मठ स्थापित किए । नदियों के नाम हमारे सब संस्कृत में हैं । हमारे रंगा साहब कहते हैं कि हम रामेश्वरम् को नहीं मानते । यह बात सही नहीं है । हम रामेश्वरम् को उतना ही मानते हैं जैसाकि हरिद्वार को । इसीलिए मैं ने कहा है कि सन् १९६५ के बाद अंग्रेज़ी को डिसकंटीन्यू कर देना चाहिये । और यह जो "शैल" और "मे" का झगड़ा है इस को भी समाप्त किया जाना चाहिये । हमारे संविधान में धारा ३४३ में साफ लिखा है :

"संघ की राजभाषा हिन्दी और लिपि देवनागरी होगी"

मैं प्रधान मंत्री जी से कहता हूं कि अगर वे मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ने जायें तो उन को पता चले कि लोग हिन्दी को कितना पसन्द करते हैं । वह चाहते हैं कि हिन्दी जोकि एक बड़ी सरल भाषा है, हमारी राष्ट्रभाषा होनी चाहिये । इसलिए मैं चाहता हूं कि १९६५ के बाद से अंग्रेज़ी को समाप्त किया जाय ।

हमारे ला मिनिस्टर साहब ने जो कहा है कि :

'शैल' का निर्वचन 'मे' के रूप में और 'मे' का 'शैल' के रूप में किया जा सकता है

मैं इस का विरोध करता हूं । "मे" के स्थान पर "शैल" होना चाहिए और जैसा मैं ने कहा है सन् १९६५ के बाद अंग्रेज़ी को डिसकंटीन्यू करना चाहिये, यही मेरी विनती है ।

श्री बागड़ी (हिसार) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा अमेंडमेंट नंबर १५२ है । यह मेरी बदकिस्मती है कि इस समय न तो प्रधान मंत्री जी और न गृह मंत्री जी उपस्थित हैं । आज मैं उन से दो चार बातें भाषा के बारे में अर्ज करना चाहता था ।

सन् १९५० में जब हमारा विधान बना उस से कुछ ही समय पहले गांधी जी देश से अन्तर्धान हुए थे । उस समय गांधी जी की आत्मा का कुछ असर था और कुछ गांधी जी के विचारों और प्रचार का असर था । इसलिए सन् १९५० में हमारे विधान में यह चीज रख दी गयी कि सन् १९६५ के बाद हिन्दुस्तान में अंग्रेज़ी राजभाषा नहीं रहेगी बल्कि इस देश की राजभाषा हिन्दी होगी । अगर गांधी जी जिन्दा होते तो यह चीज उसी समय से लागू हो जाती । यही इसमें कमजोरी रही ।

और १५ साल के अरसे में हमारी कांग्रेस सरकार ने क्या किया ? मैं आप की मारफत अर्ज करता हूं कि अगर कोई गलूब सरकार होती, अपनी जबान की पाबन्द सरकार होती तो उस का यह धर्म और फर्ज था कि वह अपने वचन पर कायम रहती । लेकिन यह सरकार अपने वचन पर कायम नहीं रही, इस ने हिन्दुस्तान की जनता को धोखा दिया और विधान के साथ विश्वासघात किया । किसी सरकार को नापने का यही पैमाना होता है कि वह अपने वचन पर कायम रहे ।

आज यह कहा जा रहा है और यह आलोचना हो रही है कि अंग्रेज़ी रहे, अंग्रेज़ी आगे बढ़े, हिन्दी से नहीं चलेगा, दो तरीके हो जायेंगे, तीन तरीके हो जायेंगे । इसका कारण क्या है ? हमारी सरकार के नेता १५ साल तक राष्ट्रभाषा को बढ़ाने में नहीं रहे, वे १५ साल तक राष्ट्र भाषा को तोड़ने में रहे । और हिन्दी हिन्दुस्तान की अन्य प्रान्तीय भाषाओं से लड़ाया और राष्ट्र भाषा को बदनाम किया और उसी का आज यह नतीजा है कि आज हमारे लोग हिन्दी के मुकाबले में एक विदेशी भाषा की हिमायत कर रहे हैं, वे लोग जिन्होंने देश के अन्दर आदर पाया है, जिन लोगों ने देश की आजादी की लड़ाई में हिस्सा लिया, जिन्होंने कुरबानियां कीं, जो लोग गांधी जी को सर्वोत्तम समझते थे और उनके वचनों को वेद वाक्य मानते थे, आज वह लोग कहते हैं कि हमें हिन्दी की परवाह नहीं, चाहे हिन्दी डूब जाए लेकिन अंग्रेज़ी न डूबे । ऐसा लगता है जैसे कि चर्चिल बोल रहे हों और अंग्रेज़ी की नुमायन्दगी कर रहे हों । इसका कारण क्या है ? इसका कारण यह है कि पंजाब में हिन्दी और पंजाबी की लड़ाई चली, मराठी और गुजराती की लड़ाई चली । देश की अन्य भाषाओं से राष्ट्र भाषा को लड़ाया गया । जहां इस सरकार का यह फर्ज था कि राष्ट्र भाषा की तरक्की करती वहां इसने ऐसी परिस्थिति पैदा कर दी कि आज उसका विरोध हो रहा है । इसके लिए सरकार मुजरिम है । जहां आज लोगों की यह मांग होनी चाहिए थी कि हिन्दी राष्ट्र भाषा हो वहां आज हिन्दी का विरोध हो रहा है और इस पवित्र सदन में खड़े हो कर लोग कहते हैं कि अंग्रेज़ी रहे । यह कितनी लज्जा की बात है । आज वह अंग्रेज़ जो कि सौ पचास साल इस देश में रहा पूजा जा रहा है । आज वे विदेशी लोग अपनी भाषा को यहां पुजवा रहे हैं । लेकिन हम लोग जो बापू का आदर करते थे, हम ने यह नारा उठाया था कि हमको अंग्रेज़ों को देश से हटाना है और उससे

भी ज्यादा जरूरी यह है कि हम अंग्रेजी को देश से हटाएं । आज बापू चले गए । उनके एक नारे के लिए हमारे मासूम बच्चों ने अपने सीनों पर गोलियां खायीं, हमारी माताओं और बहिनों ने अपने सुहाग लुटवाए और उनका एक नारा पूरा हो गया, अंग्रेज यहां से चला गया । लेकिन जो दूसरा नारा था कि अंग्रेजी से भी ज्यादा यह जरूरी है कि अंग्रेजी भाषा को हटाया जाए वह पूरा नहीं हुआ । इसका सबसे बड़ा दोष इस सरकार को है जो कि बापू की नामलेवा सरकार है । इसके लिए मैं तो सब से ज्यादा प्रधान मंत्री को जिम्मेवार समझता हूं, जो कभी दक्षिण में जाकर लोगों को एक वचन दे देते हैं, कभी उत्तर में कुछ वचन दे देते हैं । कभी उरदू की बात करते हैं, कभी हिन्दी की बात करते हैं, कभी पंजाबी की बात करते हैं, कभी मराठी की बात करते हैं । हिन्दुस्तान की भाषाओं की सरकार की तरफ से तरक्की नहीं की गयी । यह उनके साथ अन्याय हुआ । अन्य भाषा भाषियों को यह बताया कि तुम्हारी लड़ाई तो राष्ट्र भाषा से है । प्रान्तीय भाषाओं के दिलों में यह शक किसने पैदा किया ? सरकार ने । इसके लिए सरकार जिम्मेवार है । सरकार का फर्ज था कि प्रान्तीय भाषाओं को उठाती और राष्ट्रभाषा को भी उठाती, तो प्रान्तीय भाषाओं में और राष्ट्र भाषा में संघर्ष न होता ।

मेरी जो तरमीम है वह यह है कि अंग्रेजी ऐडीशनल भाषा होगी । राज भाषा हिन्दी रहेगी । सन् १९६५ से पूरे तौर से इस देश की राज भाषा हिन्दी हो जायगी । लेकिन अगर कोई दक्षिण के भाई समझना चाहेंगे और अंग्रेजी में चाहेंगे तो सन् ६५ के बाद उन दस्तावेजों का तर्जुमा अंग्रेजी में कर दिया जायगा । वैसे इंडियन यूनियन की पूरे तौर पर राज भाषा हिन्दी बन जायेगी ।

आज अभाग्यवश यह जो हिन्दी अंग्रेजी के सवाल पर उत्तर और दक्षिण का मसला खड़ा किया जाता है दरअसल यह चीज कुछ और है । दरअसल यह उत्तर और दक्षिण का झगड़ा नहीं है । दक्षिण के राजे, उत्तर के राजे और यह सब पूंजीपति लोग एक ही हैं और उन सब की भाषा अंग्रेजी है । हिन्दुस्तान के ग़रीब दलित, दुखी किसान व मज़दूर चाहे वह उत्तर में रहते हों या दक्षिण में रहते हों, वे आज से नहीं बल्कि हजारों साल पहले से शोषित रहे हैं और शासक वर्ग द्वारा सदा उनका शोषण होता आया है और आज भी वही किया जा रहा है । जनता की शोषित वर्ग की भाषा, कभी भी राज भाषा नहीं रही है और आज भी वही चीज देखने में आ रही है । जब इस देश पर हिन्दुओं का राज्य था तो संस्कृत यहां की राज भाषा होती थी । यदि दलित व शोषित वर्ग वाले संस्कृत पढ़ते थे तो उन के कानों में सीसा डाल दिया जाता था जब इस देश में यवनों का राज्य आया तो अरबी व फ़ारसी इस देश की राज भाषा बनी और आम जनता की भाषा उस गौरव से वंचित रही । जब अंग्रेजों का इस देश पर राज्य क़ायम हुआ तो अंग्रेजी इस देश की राज भाषा बनी । जनता और शोषित वर्ग की भाषा कभी राज भाषा नहीं बन पायी । हालांकि अंग्रेज इस देश से चले गये, देश का शासन भारतवासियों के हाथ में आ गया तो भी हम देखते हैं कि काले रंग वाले अंग्रेजों के राज्य के अन्दर अभी भी अंग्रेजी चल रही है । उससे शासक वर्ग चिपटे बैठा है । अंग्रेजी के मुकाबले देश की जन भाषा आज भी नहीं बैठ पाती है ।

उपाध्यक्ष महोदय, आज देश की जो दुर्दशा हो रही है उस से मझे तो मालूम पड़ता है कि बापू ने जो शब्द कहे थे वे सच साबित हो सकते हैं । यह कांग्रेसी भाई, मुझे तो ऐसा जान पड़ता है कि वह दिन नज़दीक लाने वाले हैं जिस दिन के लिए गांधी जी ने कहा था कि वह समय दूर नहीं जब इस देश की जनता इन गांधी टोपी पहनने वाले कांग्रेसियों को चुन चुन

कर मारेगी। आज शासक वर्ग और जनता के बीच की खाई बजाय घटने के और अधिक गहरी होती जा रही है। आज जहां देखिये अंग्रेज़ी का बोलबाला दिखता है। अब प्रधान मंत्री जी क्यों न अंग्रेज़ी की हिमायत करें? उनके दोहते अंग्रेज़ी पढ़ रहे हैं और उन की तालीम पर ५०० रुपये महीना खर्च होता है लेकिन ग़रीब हरिजनों के बच्चे कैसे अंग्रेज़ी पढ़ सकते हैं? राजा जी अंग्रेजी की वकालत करते नहीं थकते क्योंकि जिनकी ओर से वे बोलते हैं, वे सब राजा, महाराजा, नवाब और देश के पूंजीपतियों के बच्चे अंग्रेज़ी ही तो पढ़ते हैं। इसी तरह श्री एन्थनी अंग्रेज़ी के लिए क्यों न कहें? वह तो ऐसा कह कर अपना कर्त्तव्य पूरा करते हैं। प्रधान मंत्री जो उनसे चाहते हैं वही वे कहत हैं। एन्थनी साहब पंडित नेहरू के बिलकुल रूप हैं। उन्होंने उनको नौमिनेट किया है तो वे उसका बदला चुका रहे हैं। दोनों एक ही रूप हैं। पंडित नेहरू जितना उनको कहते हैं वह यहां कहते हैं। आज भाषा के नाम पर हिन्दुस्तान की भोली भाली जनता को उकसाया जा रहा है और आपस में लड़ाया जा रहा है। आज अगर कोई देशवासी चाहे वह बंगाली हो, गुजराती हो या अन्य प्रांत का, अगर वह अपनी प्रादेशिक भाषा के सवाल को उठाये तो मैं उसकी क़द्र कर सकता हूं और मैं समझूंगा कि वह अपने प्रांत का भक्त है और प्रांत की ग़रीब जनता का भक्त है। मैं पूछना चाहूंगा कि आख़िर दक्षिण में जो गरीब लोग बसते हैं, भीख मांगते फिरते हैं क्या वह अंग्रेज़ी जानते हैं? कुछ थोड़े से लोग अपना स्वार्थ साधने के लिए, शोषित लोगों को लूटने के लिए उन की कमाई पर डाका डालने के लिए अंग्रेज़ी का सवाल बुलन्द करते हैं। जिस तरह अंग्रेज़ हिन्दुस्तान को गुलाम बनाये रखने के लिए अपनी भाषा का प्रचार करते थे उसी तरीक़े से हिन्दुस्तान के यह दो फ़ीसदी लुटेरे हिन्दुस्तान के लाखों, करोड़ों ग़रीबों की कमाई पर डाका डालने के लिए और उनको हमेशा अपने नीचे रखने के लिए अंग्रेज़ी का शासन चलाना चाहते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं अर्ज करूंगा कि अगर शासक वर्ग वाणी के बारे में भाषा के बारे में देश की नीति जानना चाहता है तो अभी उत्तर प्रदेश के अन्दर उपचुनाव हो रहे हैं, उनको भाषा के आधार पर लड़ कर देख लिया जाय कि जनता हिन्दी चाहती है या अंग्रेज़ी?

†**श्री च० का० भट्टाचार्य**: आप यही चाहते हैं। आप इसे उप चुनावों के लिए प्रयोग करना चाहते हैं, जो कि प्रयोजन नहीं है

श्री बागड़ी: यह विलायत में जाकर बोलिये।

उपाध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्य का अमेंडमेंट अंग्रज़ी में है।

श्री बागड़ी: मैं अपने अमेंडमेंट को हिन्दी में ही बतला रहा हूं और हिन्दी में ही भाषण दे रहा हूं .....

श्रीमती रेणुका राय (माल्दा): आप बंगला में बोलिये।

श्री बागड़ी: ठीक है आप बंगला में बोलिये लेकिन आप तो अंग्रेज़ी के लिए कमर कस कर बैठी हुई हैं।

श्रीमती रेणुका राय: बंगाल में बंगला आफियशएल लैंग्वेज हो गयी है।

उपाध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्य का समय समाप्त हो रहा है।

श्री बागड़ी: डिप्टी स्पीकर साहब, मैं केवल दो मिनट में अपनी बात समाप्त किये देता हूं।

मैं आप की मार्फत इस सदन की सेवा में निवेदन करना चाहता हूं कि हिन्दुस्तान आज घोर संकट के अन्दर है। हिन्दुस्तान की सरहदों पर ख़तरा है। इस अवसर पर हिन्दुस्तान में एकता की बहुत ज़रूरत है। हिन्दुस्तान को कोई एक नेहरू, एक लाल बहादुर शास्त्री या और कोई एक व्यक्ति नहीं बचा सकता है। हिन्दुस्तान को इस देश के ४५ करोड़ नर नारी ही बचा सकते हैं। वह तभी बचा सकते हैं जब भारत इकट्ठा हो। भारत इकट्ठा कब हो सकता है? जब भारत की कोई अपनी एक भाषा हो। भाषा के बग़ैर भविष्य नहीं हो सकता। आज हिन्दुस्तान की राष्ट्रभाषा के खिलाफ़ जो कहता है वह हिन्दुस्तान के भविष्य के खिलाफ़ जा रहा है और हिन्दुस्तान की एकता के खिलाफ़ जा रहा है। आने वाला युग और आने वाले गरीब लोग उनको नहीं बख्शेंगे।

चीन के मुक़ाबले में भारत की जो हार हुई, उसके लिए जहां कई कारण हैं वहां एक कारण यह भी था कि अंग्रेज़ी पढ़े लिखे लोगों को जनरल और करनल बना कर भेजा हुआ था और वे लोग अंग्रेज़ी में गिटपिट करते थे और हमारे जवानों को ठीक तरह से उनके डाइरक्शंस समझ में नहीं आते थे। वे बिल्कुल अंग्रेजियत में डूबे थे और कोट, पतलून और नकटाई पहन कर छूरी, कांटे से खाते थे और फौजी जवानों से बिल्कुल अलग अलग रहते थे, भाषा, खाना पीना और रहन-सहन सब कुछ अलग था और अफसर और जवान में फ्रंट पर जो एक बिलकुल नज़दीक का सम्बन्ध और सहयोग होना चाहिए था उसका वहां सर्वथा अभाव था। इसलिए मैं चाहूंगा कि जो फौजी जवान ठीक हों, रेकार्ड अच्छा हो उनको भी जनरल और करनल बनाया जाय और यह तरक्क़ी सिर्फ अंग्रेज़ी दां लोगों के लिए ही न रहे।

आप इस अंग्रेजी को पीछे डालिये और हिन्दी जो कि इस देश की राष्ट्र भाषा और राज भाषा है उसको उसकी उपयुक्त जगह पर बिठाइये। लेकिन बदकिस्मती की बात है कि आज ऐसा नहीं हो रहा है और अंग्रेजी से अभी तक चिपटे रहने की कोशिश हो रही है। अगर कोई व्यक्ति तेलगू को राज भाषा बनाने के लिए बोले तो मैं उस को समझ सकता हूं क्योंकि तेलगू भारतवर्ष की एक प्रदेश की मातृभाषा है लेकिन ऐसा न करके जब किन्हीं लोगों द्वारा अंग्रेजी के पक्ष की वकालत की जाती है तब मुझे उन पर तरस आता है। इस देश से अंग्रेज चले गये। भारत स्वाधीन हो गया तो यहां की भाषा भी कोई अपनी देशी भाषा होनी चाहिए। विदेशी भाषा का क्या काम? लेकिन पता नहीं क्या कारण है कि कुछ लोग पुराने संस्कारों के कारण अभी तक अंग्रेजी से प्यार और मोह करते हैं?

अपनी राज भाषा को अपनाने से इस देश का भविष्य बनेगा। आज इस देश के लाखों और करोड़ों गरीब लोग इस सरकार की ओर देख रहे हैं कि वह भाषा के संबंध में क्या नीति अपनाती है? मुझे दुःख के साथ कहना पड़ता है कि प्रधान मंत्री बिना बात देश के सामने उत्तर-दक्षिण की एकता टूटने का हव्वा खड़ा कर रहे हैं। उनका तो यह तरीका रहा है कि कभी एक को उकसा दिया तो दूसरे को बिठा दिया। कभी उत्तर वालों को उकसा दिया तो दक्षिण वालों को चुप करा दिया तो कभी दक्षिण वालों को भड़का दिया और उत्तर वालो को दबा दिया। अभी स्वांमी रामेश्वरानंद को उभार दिया तो कभी उनको दबा दिया। आज स्वामी रामेश्वरानंद या कोई भी व्यक्ति यदि इस देश में हिन्दी को राष्ट्रभाषा और राजभाषा बनाने के लिए कहता है तो वह गलत नहीं कहता है। देश की एकता मजबूत करने की बात कहता है और न्याय की ही बात कहता है। अगर हमारे प्रधान मंत्री भी राष्ट्र-भाषा के खिलाफ कुछ कहते हैं तो वह देश के और राष्ट्र के खिलाफ कहते हैं और उसके साथ बेवफाई करते हैं। बस मैं एक चीज कह कर बैठ जाता हूं :—

"हम तो समझे थे कि राहत से बसर हो जायगी, क्या खबर थी कि यह हुकूमत दर्दे सिर हो जायगी ?"

हमें क्या पता था कि यह प्रधान मंत्री जी और श्री लाल बहादुर शास्त्री हिन्दुस्तान की भाषा के लिए दर्दे सिर बन जायेंगे ?

†**श्री अ० चं० गुह** : खंड ३ प्रस्तावित विधि का मुख्य खंड है। मेरे विचार में यह कहना ठीक नहीं है कि यह विधेयक प्रधान मंत्री के आश्वासन और हिन्दी के समर्थकों के बीच एक समझौता है। पर दो विरोधी पक्षों के बीच एक समझौता है।

संविधान के अनुच्छेद ३४३ के खंड (१) और (२) के अनुसार हिन्दी २६ जनवरी, १९६५ से राजभाषा बन जायेगी। किन्तु खंड (३) के अनुसार संसद विधि द्वारा अंग्रेजी को किसी विशिष्ठ प्रयोजन के लिए जारी रखा जा सकता है। यह विधेयक यही उपबंध करता है। इस विधेयक के द्वारा अहिन्दी भाषी लोगों को जो कुछ वह चाहते हैं, मिल जाता है, अर्थात देश का प्रशासन अंग्रेजी भाषा में चलाया जायेगा। हिन्दी भाषी लोगों की इच्छा भी पूरी हो जायेगी, क्योंकि हिन्दी अब पहली भाषा बन जायेगी। 'मे' और शैल के बारे में बहुत कुछ कहा गया है और इन की व्याख्या से बहुत भ्रम पैदा हुआ है। मेरा अंग्रेजी का ज्ञान अधिक नहीं है, फिर भी मैं समझता हूं कि इस खंड में 'शैल' के स्थान पर 'मे' अधिक उचित होगा। यदि सरकार या प्रधान मंत्री किसी भी समय अंग्रेजी को छोड़ना चाहें, तो ऐसा करने में शेल का शब्द उन्हें रोक नहीं सकेगा। यह विधेयक संविधान का अंग नहीं है बल्कि एक राजनीतिक प्रलेख है और भविष्य में कोई सरकार या प्रधान मंत्री अहिन्दी भाषी लोगों की इच्छाओं की उपेक्षा नहीं कर सकता। विधेयक के पीछे वास्तविक भावना प्रधान मंत्री का वह आश्वासन है कि हिन्दी केवल अहिन्दी भाषी लोगों की मर्जी से लाई जा सकती है। "may" कर सकेगा

यद्यपि मैं यह समझता हूं कि "may" के स्थान पर "shall" ("करेगा") रखने से कोई लाभ नहीं होगा ; सरकार यदि अहिन्दी भाषी लोगों की शंकाओं को दूर करने के लिए ऐसा कर दे, तो इस कदम का स्वागत करना चाहिये। अन्यथा मैं खंड ३ के उपबंध का स्वागत करता हूं और मैं सामझता हूं कि यह स्वीकार हो जायेगा।

†**श्री हरि विष्णु कामत** (होशंगाबाद) : इस खंड पर दोनों विचारधाराओं के पक्षों ने आपत्ति की है। यदि सरकार इस विधेयक का पुरःस्थापन स्थगित कर देती, तो चीनी आक्रमण के कारण देश में जो एकता की भावना उत्पन्न हुई है, वह बनी रहती और उसको कोई हानि न पहुंचती। किन्तु सरकार ने इसे लाना उचित समझा है और हमें इस पर इसके गुणदोष के आधार पर विचार करना चाहिये। भाषा के विषय में मेरा दृष्टिकोण बहुत विशाल है। मैं सभी भाषाओं से प्रेम करता हूं और किसी से घृणा नहीं करता। मुझे अधिकाधिक भाषायें जान कर खुशी होती है।

हमारे देश में कुछ ऐसे लोग हैं जो जनमत का पूर्णरूप से प्रतिनिधित्व नहीं करते, केवल हिन्दी को रखना चाहते हैं। कुछ और ऐसे ही हैं जो हिन्दी के साथ साथ अंग्रेजी को भी चाहते हैं। मेरा निवेदन है कि यह कोई युक्तियुक्त दृष्टिकोण नहीं है। देश में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो राजभाषायें विधेयक की प्रतियां जलाने के लिये तैयार होंगे। किन्तु, आज ऐसा करने का समय नहीं है। इस समय आवश्यकता इस बात की है कि संकीर्ण दृष्टिकोण को हटाया जाये और देश की एकता बनाई रखी जाये, ताकि देश के ४४ करोड़ प्राणी एक ही आवाज से बोल सकें। यदि हम अपनी संस्कृति और इतिहास को देखें, तो मालूम होगा कि हमारे में यह गुण है कि हम हर विषय में संश्लेषण और आत्मसात कर सकते हैं। संसद् में भी, हमारे हिन्दी बोलने वाले मित्र, जिनकी मातृ भाषा हिन्दी है हिन्दी को बड़ी निपुणता और दक्षता से प्रयोग करते हैं। मेरे

---

†मूल अंग्रेजी में

पास इस सदन में प्रयोग की गई हिन्दी के कुछ अत्यधिक रुचिकर उदाहरण हैं और यदि ऐसी हिन्दी भविष्य में प्रयोग की जा सके, तो मैं ऐसा करना चाहूंगा। किन्तु मैं किसी भी भाषा को शुद्ध रूप में प्रयोग करना चाहता हूं और उसका उत्तम प्रयोग करना चाहता हूं। इसी लिये मैं संसद में अंग्रेजी में बोलता हूं और बाहर सार्वजनिक सभाओं में हिन्दी में।

मैं दो तीन उदाहरण देता हूं। कुछ समय पूर्व एक प्रश्न पूछा गया था:

"इस एमरजेंसी पीरियड में गवर्नमेंट की पालिसी बदलने वाली नहीं है क्या ?"

दूसरा उदाहरण यह था :

"इस कमेटी की रिपोर्ट आने में कितना टाइम लगेगा" ?

एक और हाल का है :

"माइनर इरिगेशन स्कीम्ज में जो स्टेट वाइज कमी हुई है....."

श्री भक्त दर्शन (गढ़वाल) : किस की हिन्दी है यह ?

श्री हरि विष्णु कामत : यहां की है। आपकी नहीं है। आप बहुत अच्छी हिन्दी बोलते हैं। शास्त्री जी और आप बहुत सुन्दर और मधुर हिन्दी बोलते हैं।

माइनर इरिगेशन स्कीम्ज में जो स्टेट-वाइज कमी की गई है, उसको फिर से आपका रेस्टोर करने का इरादा है क्या ?

श्री त्यागी : यह कौन सी जुबान में टाक रहे हैं आप ?

श्री हरि विष्णु कामत : यह वह जुबान है, जो यहां पर इस्तेमाल की गई है।

श्री बागड़ी : गांधी जी की जुबान में बोलिये।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : वे सदन की कार्यवाही से उद्धरण दे रहे हैं।

†**श्री हरि विष्णु कामत** : मैं इस संश्लेषण के गुण की सराहना करता हूं जो कि संविधान के उस अनुच्छेद के अनुकूल है कि हिन्दी एक मिश्रित भाषा हो।

श्री भक्त दर्शन : आप आदर्श हिन्दी बोल रहे हैं या अपनी हिन्दी बोल र हैं, यह मैं समझ नहीं पाया हूं ?

श्री हरि विष्णु कामत : जो होनी चाहिये। लेकिन आजकल जो इस्तेमाल की जा रही है। इस सदन में उसकी मिसालें पेश की हैं मैंने।

†**श्री हो० ना० मुकर्जी** : खिचड़ी।

†**श्री हरि विष्णु कामत** : मैं यह शब्द नहीं कहना चाहता था। मेरा यह अनुरोध है कि राष्ट्रीय एकता की कसौटी एक राष्ट्रभाषा नहीं है। सभी १४ भाषायें राष्ट्रभाषायें हैं। प्रश्न राज्य भाषा का है। इसलिये मैं दोनों पक्षों से कहूंगा। जो अंग्रेजी को सदा के लिये रखना चाहते हैं, उनसे कहूंगा कि यह दृष्टिकोण अपनाना ठीक नहीं है और उन्हें हिन्दी को राजभाषा बनाने में योग देना चाहिये। इसी तरह की अपील मैं हिन्दी के प्रेमियों से भी करूंगा कि वे भारत की एकता को और प्रगति को सब से ऊंचा स्थान दें।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री त्यागी** : मेरा निवेदन है कि हिन्दी भाषी लोगों के मन में जो शंका पैदा हुई है, वह बिलकुल गलत और निराधार है। वास्तव में संविधान में इस बात को माना गया है और अहिन्दी भाषी लोगों ने कभी इसको झुटलाया नहीं कि संघ की राजभाषा देवनागरी लिपि में हिन्दी होगी। और विधेयक में इसका कोई विरोध नहीं किया गया। यह केवल आसानी का प्रश्न है। इस खतरे के समय में हम चाहते हैं कि हम एक दूसरे को अच्छी तरह समझ सकें। इस लिये अंग्रेजी की अवधि बढ़ाई जा रही है। बढ़ाने का अर्थ यह नहीं है कि यह सदा के लिये रह जायेगी। मेरी राय है कि यदि इस खंड में हम "may" ("कर सकेगा") के स्थान पर " shall " ("करेगा") रख दें, तो आगे के खंड निरर्थक हो जायेंगे। यदि " shall " ("करेगा") का शब्द रख दिया जाये, तो राष्ट्रपति तब तक कोई परिवर्तन नहीं कर सकेंगे जब तक सदन में एक संशोधन विधेयक न लाया जाये। अतः यदि हम इस खंड को ("कर सकेगा") रखना चाहते हैं, तो इस में "may" का शब्द रखना आवश्यक है।

संविधान के अनुसंधान ३४३(२) में अंग्रेजी भाषा को १५ वर्ष तक रखने के लिये "शैल" का प्रयोग किया गया है। इसमें १५ वर्ष की अवधि निश्चित की गई थी और इसका अर्थ यह नहीं था कि यह सदा के लिये जारी रहेगी। संविधान संसद् को अधिकार देता है कि वह इस अवधि को बढ़ा सकती है। किन्तु बढ़ाने का अर्थ स्थाई रूप से नहीं करना है। यदि कोई अवधि निश्चित किये बिना " shall " (करेगा) का शब्द रख दिया जाये, तो यह संविधान के विरुद्ध होगा।

मैं गृह कार्य मंत्री और उनके सहयोगियों का आभारी हूं जब उन्होंने कहा है कि वे प्रतिवेदन को सदन के सामने रखेंगे और समिति में संसद के सदस्य होंगे। जोकि एकल संक्रमणीय मत के द्वारा चुने जायेंगे। इस प्रतिवेदन को राज्य सरकारों को भी निर्दिष्ट किया जायेगा और राज्य सरकारें अपने अपने विधान मंडलों की राय लेंगी। इसमें कोई सन्देह नहीं है।

डा० लक्ष्मी मल्ल सिंघवी (जोधपुर) : मैं ने अपने संशोधन के द्वारा यह सुझाव देने की कोशिश की है कि अंग्रेजी को जारी रखने के लिए एक अवधि होनी चाहिये और यह अवधि १२ वर्ष होनी चाहिये, ताकि १० वर्ष बाद हम इस स्थिति का पुनर्विलोकन कर सकें और १२ वर्षों के बाद, हम संविधान के मूल उपबन्ध को लागू कर सक। ऐसा करना संविधान की भावना के अनुकूल होगा।

मैं इस विधेयक में दिये गये इस विचार से सहमत हूं कि अंग्रेजी का समय बढ़ा दिया जाये। इस में सन्देह नहीं कि ऐसा करना आवश्यक है, किन्तु यह अनिश्चित काल के लिए नहीं किया जा सकता। इसीलिए मैं ने एक अवधि रखने का सुझाव दिया है। यदि अवधि निश्चित कर दी जाये तो 'मे' के स्थान पर 'शेल' रखा जा सकता है और राज्यों को निर्दिष्ट करने की भी आवश्यकता नहीं होगी।

डा० सरोजनी महिषी (धारवाड़–उत्तर) : मैं तो हिन्दी मैं बोलना चाहती हूं जिस से कि हिन्दी प्रान्त वाले मेरी बात को अच्छी तरह समझ सकें। अंग्रेजी को ज्यादा समय तक जारी रहने दिया जाय इस के बारे में अंग्रेजी और हिन्दी दोनों के जानने वाले और अंग्रेजी और हिन्दी के अलावा इतर भाषायें जानने वाले जो अभिप्राय देंगे उस का अधिक मूल्य हो सकता है। सिर्फ अंग्रेजी जानने वाले या हिन्दी जानने वाले जो अभिप्राय देंगे वह एकतरफा हो सकता है। इसलिये मैं यह कहना चाहती हूं कि हिन्दी और अंग्रेजी के अलावा अन्य भाषाओं के जानने वाले जो अभिप्राय इस सदन मैं और इस सदन के बाहर देंगे वह ज्यादा मूल्यवान होगा।

---

†मूल अंग्रेजी में

हिन्दुस्तान स्वायत्त घटकों का एक संघ है, एक फेडेरेशन है, एक यूनियन है और अन्य प्रान्तों की भाषाओं को और उन की संस्कृतियों को और उन के साहित्य को अच्छी तरह समझने वाले लोग उन के बारे में अभिप्राय दे सकते है और उस का ज्यादा असर भी होगा। मेरा तो यह कहना है कि जब से प्रान्तों का पुनर्गठन भाषाओं के आधार पर हुआ तब से हमें यह ध्यान रखना पड़ा कि हर एक प्रान्त की अलग भाषा है, उस की अलग संस्कृति है और उन का साहित्य भी अलग है। इसीलिए हम हर एक भाषा को राष्ट्र भाषा के तौर पर मान्यता दे देते हैं। फिर भी हम को इस बात का ध्यान रखना होगा कि हिन्दी का स्थान क्या होगा और इसलिए यह सोचना पड़ता है कि हिन्दी को और अंग्रेजी को कब तक साथ साथ रखा जाय।

क्योंकि भाषाओं के आधार पर प्रान्तों का पुनर्गठन हुआ इसलिए हम को सब से ज्यादा ध्यान उन भाषाओं की ओर देना पड़ता है। हम को यह देखना चाहिये कि अहिन्दी प्रान्त वालों का हिन्दी के बारे में क्या अभिप्राय है। ऐसी बात नहीं है कि वे हिन्दी को नहीं चाहते हैं। वे हिन्दी को चाहते है लेकिन कब चाहते हैं और कब तक चाहते हैं इस बारे में मतभेद हो सकता है। मतभेद तो ठीक है। माखन लाल चतुर्वेदी के शब्दों में मैं कहना चाहती हूं कि मतभेद तो बाग के विभिन्न वृक्षों के भिन्न भिन्न फूलों के समान है जिन से बाग सुन्दर नजर आता है। लेकिन अगर मतभेद संघर्ष में परिवर्तित हो जाते है तो उन का असर बुरा हो सकता है। इसलिए मेरा कहना है कि उत्तर भारत की भाषायें संस्कृत जन्य है और दक्षिण की भाषायें द्रविड़ भाषायें है। संस्कृत से प्राकृत निकली, अपभ्रंश निकली, पैशाची निकली, और गुजराती, हिन्दी, बंगला, बिहारी और छत्तीसगढ़ी उस से निकली। इतनी भाषायें संस्कृत से पैदा होने पर और संस्कृतजन्य होने पर भी बंगाली लोगों की भाषा बंगाली हो सकती है। वह लोग अहिन्दी वालों में अपनी गिनती कर सकते हैं। इस का अर्थ तो यही होता है कि हिन्दी बोलने वालों की संख्या कितनी है और हिन्दी न बोलने वालों की संख्या कितनी है, या चूंकि अहिन्दी लोगों की संख्या कम है, इसलिये हिन्दी राष्ट्रभाषा होनी चाहिये या आफिशियल लग्वेज होनी चाहिये या नहीं, इस के बारे मैं ज्यादा कुछ कहने की आवश्यकता नहीं समझती हूं क्योंकि जो संविधान की धारा ३४३ है उस में काफ़ी स्पष्ट रूप से बताया गया है :—

"संघ की राजभाषा हिन्दी और लिपि देवनागरी होगी"।

इसलिए आज उस को फिर से खोल कर सोचने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन यही एक प्रश्न हमारे सामने है कि अंग्रेजी को हिन्दी के साथ साथ कहां तक इधर स्थान मिलना चाहिए? आज हमारे सामने प्रश्न यही है कि उस का स्थान कहां तक होगा और किधर होगा और उस के साथ हिन्दी को बढ़ाने में, हिन्दी के कोष को बढ़ाने में और हिन्दी का प्रचार करने में सरकार कहां तक मदद कर रही है?

मुझे मालूम है कि भारत में एकछत्राधिपत्य अंग्रेजों के आने के पहले कभी नहीं था। सम्राट् अशोक दक्षिण की ओर आये फिर भी पूरे हिन्दुस्तान के ऊपर एकछत्राधिपत्य स्थापित नहीं कर सके। हर्षवर्धन के राज्य में भी यह नहीं रहा। पुलकेशी—दी सैकेंड औफ़ दी चालुक्या डाइनैस्टी, ने हर्षवर्धन को पराजित किया। शिलालेखों में यह खुदा हुआ है :—

"येन चाकारि विगलितहर्षो हर्षः"

—हर्षवर्धन का सारा हर्ष निकल गया। हम सोचते है कि अंग्रेजी का स्थान भी हिन्दुस्तान के जीवन में कुछ है, हिन्दुस्तानियों के जीवन में, उन की विचारधारा में और राष्ट्रीय जीवन में, व्यक्तिगत जीवन में नहीं, लेकिन भारत के राष्ट्रीय जीवन में अंग्रेजी का स्थान भी है और उस को तुरन्त हटा नहीं सकते है। दक्षिण वालों को यह भी डर है कि हिन्दी भाषा आ जाने से वे हिन्दी भाषी लोगों

मुकाबले मैं ऐग्जामिनेशंस और कम्पीटीशंस मैं आ नहीं सकेंगे और वे पराजित हो सकते है। वे उन के मुकाबले कम्पटीटिव ऐग्जामिनेशंस में स्पर्धा नहीं कर सकते है इसलिए उन को हिन्दी लागू हो जाने से डर रहता है। लेकिन यह तो संविधान की इस घटना को स्वीकार करने के बाद मुझे लगता है कि दोनों तरफ के लोगों में, हिन्दी का समर्थन करने वालों में और हिन्दी का समर्थन न करने वालों में, इन दोनों में कुछ हद तक सहिष्णुता होनी चाहिये। अहिन्दी लोगों ने तो इस को स्वीकार कर लिया है लेकिन सवाल तो यह उठता है कि हिन्दी को कहां तक बढ़ाया जाय ? हमारे सामने बात यह है और इसलिए इस के बारे में हमें और आप को सोच ना चाहिये।

संस्कृत को हिन्दुस्तान में मुग़ल बादशाहों ने भी आश्रय दिया है। और नीचे जो दक्षिण भारत में लोग थे उन्हों ने भी उसे आश्रय दिया है। इस अवसर पर मुझे एक दोहा याद आता है जोकि राज-कवि जगन्नाथ पंडित ने शाहजहां बादशाह के दरबार मैं कहा था। उन्हों ने यह श्लोक कहा था:—

"दिल्लीश्वरो वा जगदीश्वरो वा मनोरथान् पूरयितुं समर्थो।
अन्यैः नृपालैः परिदीयमानं शाखाय वा स्यात लवणाय वा स्यात्।"

दो ही लोग हमारे मनोरथों को पूरा कर सकते हैं, दिल्लीश्वर और जगदीश्वर। अन्य राजा लोग यदि चाहें तो हमें पैसा दे सकते हैं उस से काफ़ी नमक ख़रीद सकते है, सब्ज़ी खरीद सकते है लेकिन इस के अलावा और कुछ नहीं हो सकता है। लेकिन वह बात अलग है। संस्कृत का एक स्थान था। दक्षिण वालों की कठिनाइयां यह है कि उन की द्राविड़ भाषायें है और हिन्दी भाषा को वे अच्छी तरह से पढ़ नहीं सकते हैं और समझ नहीं सकते हैं। लेकिन यह कहना ग़लत होगा कि दक्षिण वालों को हिन्दी के प्रति द्वेष भाव है। मैं बतलाना चाहती हूं कि जब हिन्दी को इस देश में राष्ट्रभाषा के रूप मैं स्वीकार नहीं किया गया था तब दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभा ने दक्षिण में हिन्दी की सेवा के लिए बहुत प्रयास किया और उसी का परिणाम रहा कि हजारों और लाखों की संख्या में दक्षिण के विद्यार्थियों ने हिन्दी की परीक्षाएं पास कीं। पहले हमारे समाज में एक ऐसा विचार चलता था कि जब तक लड़की अंग्रेज़ी नहीं पढ़ लेती थी तब तक उस की शादी नहीं हो सकती है। लेकिन अब ऐसा समय भी आ जाना चाहिये कि जब तक लड़की हिन्दी न समझ ले तब तक उस की शादी नहीं हो सकती है। आज इस तरह की भावना पैदा करने की ज़रूरत है। ऐसा होने से इस का बहुत असर पड़ेगा।

मुझे क्लाज़ ३ के बारे में एक बात कहनी है :—

"निर्धारित दिन से प्रयोग जारी रहेगा।"

"कंटीन्यु टु बी यूज्ड" इस का असर बहुत होता है। अब जैसाकि इस्तेमाल करते थे उसी तरह से होता रहेगा। इस का उपयोग उसी तरह से जारी रहेगा। अंग्रेज़ी के प्रयोग को किसी प्रकार की क्षति पहुंचाए बिना हिन्दी का प्रयोग किया जायगा। इस के अतिरिक्त इसका अर्थ यही है कि कम्प्रोमाइज़ करने का प्रयास किया गया है। हांलाकि इस तरह किसी ने नहीं कहा लेकिन कम्प्रोमाइज़ इस के साथ है। १५ वर्ष के बाद संविधान के लागू होने से पन्द्रह वर्ष तक की कालावधि के लिये "या तो अंग्रेज़ी में या हिन्दी में"

इस खण्ड को इस तरह से पढ़ा जायगा जैसाकि 'या अंग्रेज़ी में' शब्द हटाए गए है। कांस्टी-ट्यूशन में जो धारा है उस को फिर आगे रखने के लिये और उस को अमेंड करने के वास्ते और फिर हिन्दी को प्रधान रूप देने के लिए यह जो कम्प्रोमाइज़ करने के लिए उधर यह क्लाज़ रक्खा गया है उसे में इस तरह समझती हूं।

बिल का शीर्षक "आफिशिएल लेंग्वेजेज़ बिल" है। यह आफिशियल लैंग्वेज बिल नहीं है। इस का अर्थ यह भी हो सकता है कि अंग्रेज़ी हिन्दी दोनों को इस तरह एक जगह पर मिलाया गया है।

शब्द "मे" की लीगल टर्मिनालिजी में "शैल" की स्प्रिट हो सकती है। इसलिए "मे" रखने से जो कठिनाइयां नियंत्रण में आ सकती हैं, गृह मंत्री जी ने उन को बतलाने की कृपा की। चूंकि कठिनाइयां आ सकती है इसलिए उन को हटाने के लिए यह उधर रक्खा गया है। मैं समझती हूं कि प्रधान मंत्री जी ने जो आवशासन दिया है और गृह मंत्री जी ने विवेचन किया है उस में तो कोई संघर्ष नहीं है। कुछ माननीय सदस्यों ने इस बारे में बतलाने की कोशिश की कि प्रधान मंत्री और गृहमंत्री में आपस में खटपट है। मैं समझती हूं कि उन का ऐसा विवेचन करना ठीक नहीं है। प्रधान मंत्री जी ने जो आश्वासन दिया था उसी का परिणाम यह बिल है। उस आश्वासन की पूर्ति की ओर यह बिल एक क़दम है। गृह मंत्री जी ने इस बिल के उद्देश्यों को बहुत अच्छी तरह से समझाया भी है। इस बारे में मुझे श्री मम्मट का यह संस्कृत श्लोक स्मरण हो आता है :—

"वाक्यार्थबाधे तद्योगे रूढ़ितोऽर्थ प्रयोजनात्।
अन्यार्थो लक्ष्यते यत् सा लक्षणारोपिता क्रिया ॥"

जब किसी शब्द का अर्थ ठीक ढंग से संदर्भ के अनुसार नहीं निकलता है तब दक्षिण वालों की भावनाओं को समझते हुए यह "मे" का अर्थ क्या होना चाहिये यह तो सदन को मालूम हो गया है और ऐसी हालत में जब किसी शब्द का अर्थ ठीक ढंग से समझ में न आये तो रूढ़ि और प्रयोजन और जो स्प्रिट है उस के साथ साथ हर एक शब्द का अर्थ अलग अलग हो सकता है। इसलिए "may" ("मे"), का जो जो अर्थ है, वह अहिन्दी वालों की भावनाओं को देखते हुए, उस का अर्थ यही "shall" ("शैल") होगा। इसलिए हिन्दी वालों को डर है कि वह ठीक नहीं है। अब यह जो रक्खा गया है वह ऐडमिनिस्ट्रेशन की सुविधा की दृष्टि से और अन्य कारणों से रक्खा गया है वह ठीक ही रक्खा गया है।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्या अब समाप्त कर दें।

डा० सरोजनी महिषी : बस एक वाक्य कह कर में समाप्त किये देती हूं।

श्री प्रकाशवीर शास्त्री ने परसों हिन्दी और अंग्रेजी के स्थानों के बारे में बोलते हुए एक बात कही। डरबन में गांधी जी के जीवन में एक घटना हुई। उन्होंने कस्तूरबा को घर से बाहर हटा दी। लेकिन कस्तूरबा ने गांधी जी से पूछ लिया कि भारत में अगर आप मुझे अपने घर से हटायें तो मैं अपने रिश्तेदारों के यहां चली जाती लेकिन यहां दक्षिण अफ्रीका में मुझे हटाते हैं तो मैं किधर जांऊ ? मैं समझती हूं कि भारत में भी कस्तूरबा को गांधी जी हटाते थे कस्तूरबा कहीं अन्यत्र नहीं जाती थीं। लेकिन उन्होंने इस का उदाहरण देते हुए एक प्रश्न पूछा कि अंग्रेजी को आप हटा देते हैं तो अंग्रेजी इंगलैंड में रह सकती है लेकिन अगर हिन्दी को आप हटा देते हैं तो यह हिन्दी किधर जायेगी ? लेकिन यह बात कि अंग्रेजी किधर चलेगी और किधर रहेगी इस के बारे में हम ज्यादा नहीं सोच रहे हैं, उस की हम चिन्ता नहीं कर रहे हैं। हम यह नहीं पूछ रहे हैं कि अंग्रेजी इंगलैंड में रहेगी या किधर रहेगी ? इस के बारे में हमारा ध्यान नहीं है। अलबत्ता अंग्रेजी कहां तक हमारे जीवन में उपयुक्त हो सकती है, कहां तक उस का हम फ़ायदा उठा सकते हैं, दूसरों के लिए और हमारे वास्ते उसका उपयोग कहां तक होगा इस के बारे में हम सोच रहे हैं। अंग्रेजी का असर वैज्ञानिक क्षेत्र में और हमारे राष्ट्रीय जीवन में काफ़ी हो चुका है और इस को अभी कुछ समय तक इधर रहना है।

मैं एक चीज और कहना चाहती हूं। जब युनिवरसिटीज में इंगलिश और रीजनल लैंग्वेजेज का औप्शन दिया गया, किसी भी माध्यम से आप पढ़ सकते हैं, एक इस तरह का औप्शन दिया गया तो सभी विद्यार्थियों ने अंग्रेजी का चुनाव किया। ऐसी बात नहीं है कि हमारे प्रैंडीसैसर ने अंग्रेजी में

[श्री सरोजनी महिषी]

शिक्षा दी है इसलिए अब किस तरह से प्रान्तीय भाषा में शिक्षा लें। इस तरह से नहीं सोचते हैं। अलबत्ता यह जरूर सोचते हैं कि इसका असर कहां तक रहे? सरकार की ओर से दक्षिण भारत में हिन्दी का प्रचार और व्यापक रूप से होना चाहिए। हिन्दी भाषा निश्चित रूप से तब बढ़ेगी।

मैं यह भी कहना चाहती हूं कि शिक्षा मन्त्रालय में हिन्दी का प्रचार करने के लिए एक अलग हिन्दी विभाग बना दिया गया है। हिन्दी का प्रचार करने और उसे प्रोत्साहन देने के लिए एक अलग समिति भी नियुक्त हो चुकी है लेकिन दक्षिण भारत में इसके लिए जो कार्य किया गया है वह बहुत अल्प और अपर्याप्त है। उत्तर भारत में बहुत ज्यादा मदद दी गई है। इस के अलावा यह जो समिति है इस समिति में उत्तर भारत के लोग ही हैं। अब दक्षिण भारत में किस हद तक मदद देनी चाहिए, इस के बारे में सोचने के लिए वे रहते तो हैं लेकिन मदद जितनी मिलनी चाहिए पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल सकती है। इसलिए मेरा विचार है कि इस में दक्षिण भारत वालों को प्राथमिकता मिलनी चाहिए। इस के लिए संविधान के आर्टिकिल ३५१ में यह लिखा हुआ है :—

> "संघ का यह कर्तव्य होगा कि वह हिन्दी के प्रचार और विकास के लिये प्रयत्न करे जिस से कि यह भारत की सम्मिश्रित संस्कृति के विभिन्न लोगों के लिये विचार, अभिव्यक्ति का माध्यम बन सके।"

यह उचित ही लिखा है और इस का तो समर्थन ही होगा।

†**श्री गौरी शंकर कक्कड़** (फतेहपुर) : श्री फ्रैंक एन्थनी ने "हो सकता है" ("मे") के स्थान पर "हो सकेगा" ("शेल") करने के लिए जो संशोधन रखा है मैं उस का विरोध करता हूं। वर्तमान विधेयक में उपखण्ड (क) लगा कर अनुच्छेद संख्या ३४३ (२) के उपबन्ध को पुनः लागू किया है। इस बारे में कोई सन्देह की गुंजाइश नहीं कि अंग्रेजी का प्रयोग बन्द हो जायेगा। "may" ("हो सकता है") के स्थान पर "shall" ("हो सकेगा") शब्द लगाने का मतलब यह है कि अंग्रेजी भी हिन्दी के साथ साथ जारी रहे। जब तक अंग्रेजी रहती है तब तक हिन्दी राजभाषा नहीं बन सकेगी। जब सरकार एक चीज को १५ वर्ष के लिये नहीं कर सकी है तो पता नहीं अब कर सकेगी या नहीं। "may" ("हो सकता है") के स्थान पर "shall" ("हो सकेगा") लगाना संविधान के विरुद्ध है। यदि "shall" ("करेगा") शब्द लगा दिया गया तो हिन्दी के पत्रों के साथ अंग्रेजी की प्रति भी लगानी पड़ेगी।

हिन्दी भाषी लोग सहनशील हैं। हम किसी भी प्रादेशिक भाषा को मानने के लिए तैयार हैं। अंग्रेजी को राजभाषा जारी रखने की मांग हमें पीछे ले जाने वाली बात है।

इस विधेयक को पारित करने से पहले संविधान के अनुच्छेद ३४२ का संशोधन किया जाना चाहिए था। इस विधेयक से संविधान के उपबंधों की अवहेलना होती है।

†**श्री ही ना० मुकर्जी** (कलकत्ता-मध्य) : "मे" के स्थान पर "शेल" रखने वाले संशोधन को स्वीकार कर लेना चाहिए।

गृह-कार्य मंत्री और प्रधान मंत्री ने कहा है कि हिन्दी और अंग्रेजी दोनों जारी रहेंगी। कभी कभी "मे" का मतलब "शेल" और "शेल" का मतलब "मे" हो सकता है।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री हजरनवीस)**: जैसा कि कल गृह-कार्य मंत्री ने बताया कि "मे" के स्थान पर "शैल" लगाने से तो हमें दोनों भाषाओं का एक साथ प्रयोग करना पड़ेगा ।

†**श्री ही० ना० मुकर्जी** : हमारे विधि शास्त्र में "may"["कर सकेगा"] का मतलब "shall" ["करेगा"] हो जाता है । इसी प्रकार प्रधान मत्री ने श्री फ्रेंक एन्थनी को लिखा ।

मैं चाहता हूं कि जितनी जल्दी हो सके सभी अधिनियम हिन्दी में मिलेंगे और उनका निर्वचन भी अपने ढंग से होगा ।

"may" ["कर सकेगा"] के स्थान पर "shall" ["करेगा"] करने से हिन्दी के पत्रों के साथ अंग्रेजी की प्रति लगाने की कठिनाई ऐसी नहीं है जिस पर काबू नहीं पाया जा सकता ।

यह कहना कि "may" ["कर सकेगा] के स्थान पर "shall" ["करेगा"] लगाने से अंग्रेजी को हटाना कठिन होगा, उचित नहीं । संसद् जब चाहे विधेयक में संशोधन कर सकती है । १० वर्ष के बाद मामला फिर संसद् के सामने आयेगा । उस समय जो निर्णय संसद् चाहे हो सकता है । हम चाहते हैं कि उस समय यही निर्णय हो कि अंग्रेजी को और समय के लिये रखने की आवश्यकता नहीं ।

यदि हम "may" ["कर सकेगा"] शब्द को रहने दें तो इस से अहिन्दी भाषी लोगों के मन में सन्देह बना रहेगा । इस समय हम देश में एकता बनाये रखना चाहते हैं । अत: "may" ["कर सकेगा"] के स्थान पर "shall" ["करेगा"] कर देना चाहिए ।

हिन्दी को लाने में बहुत ढील रही है । यदि वहां क्रान्ति आती तो इतनी देर न लगती । चूंकि हम ने अंग्रेजों से सारा प्रशासन बना बनाया सम्भाला अत: हमें सुस्त बनना ही पड़ा । हमें इस मामले में तेजी से काम लेना चाहिए। अहिन्दी भाषी लोगों के सन्देह को दूर करने के लिए इस संशोधन को मान लेना चाहिए ।

†**डा० पं० शा० देशमुख** (अमरावती) : "मे" की जगह "shall" ["करेगा"] लगाना तो संविधान के उपबन्धों के विरुद्ध है। "shall" ["करेगा"] लगाने से तो अंग्रेजी का स्थान हिन्दी के बराबर रहेगा ।

अंग्रेजी और हिन्दी में मुकाबला नहीं करना चाहिये । अंग्रेजी विदेशी भाषा है और हिन्दी अपने देश की भाषा है । अंग्रेजी से जो लाभ मिल सकते हैं लेने चाहियें । अंग्रेजी को हम पसन्द करते हैं परन्तु अंग्रेजी हिन्दी का स्थान नहीं ले सकती । हिन्दी प्रेमियों को लोगों में हिन्दी के पक्ष में भावना उत्पन्न करनी चाहिए ।

यह विधेयक तो उन लोगों के लिये रियायत है जो अभी हिन्दी में काम नहीं कर सकते । १० वर्ष के बाद अंग्रेजी जारी रखने के प्रश्न पर पुनर्विचार होगा । अत: श्री फ्रेंक एन्थनी के संशोधनों का विरोध किया जाना चाहिए ।

†**श्री गो० ना० दीक्षित** (इटावा) : प्रधान मंत्री के आश्वासन का प्रश्न उठाया गया है । यह तो एक राजनैतिक नेता का आश्वासन है जो कि संविधान के उपबन्धों से अधिकतर श्रेष्ठ नहीं माना जा सकता ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री गो० ना० दीक्षित]

"may" ["कर सकेगा"] के स्थान पर "shall" ["करेगा"] का प्रयोग करने से यह विधेयक संविधान के उपबन्धों के बिल्कुल उलट हो जायेगा और न्यायालय द्वारा रद्द कर दिया जायेगा। "may" ["कर सकेगा"] से भी इस विधेयक के रद्द होने की आशंका है।

प्रधान मंत्री का आश्वासन तो संविधान के उपबन्धों की सीमा के अन्दर ही कार्यान्वित किया जा सकता है। यह विधेयक ऐसा ही करता है। अतः मैं फ्रैंक एन्थनी के आश्वासनों का विरोध करता हूं।

श्रीमती लक्ष्मी कान्तम्मा (खम्मम) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस क्लाज का पूरा पूरा समर्थन करना चाहती हूं। मैं ने यहां आने के बाद हिन्दी सीखना प्रारम्भ किया। इसलिए मेरी भावना है कि मैं हिन्दी में ही बोलूं। माननीय सदस्य श्री टांटिया साहब ने मुझे दो किताबें दीं। वह चुपचाप हिन्दी की सेवा कर रहे हैं।

मैं अपने हिन्दी भाषा भाषी भाइयों से और सेठ गोविन्द दास जी से यह बोलना चाहती हूं कि इस क्लाज का उद्देश्य हिन्दी को सदा के लिए समाप्त करना नहीं है। यदि ऐसा हो तो मैं उसका अवश्य विरोध करूंगी। लेकिन उसका ऐसा उद्देश्य नहीं है। हिन्दी को व्याप्त होने तक अंग्रेजी का सह भाषा बनाना अनिवार्य हो जाता है। जब हम आजादी के लिए लड़ रहे थे तो हिन्दी हमारे राष्ट्रीय आन्दोलन का प्रतीक थी। हिन्दी सीखना और उसका प्रचार देशभक्ति का प्रथम कर्त्तव्य माना जाता था। किन्तु आजादी के आते ही एक ओर हम ने जहां हिन्दी को राष्ट्र भाषा के पद पर बिठा दिया वहां दूसरी ओर उसके मार्ग में जाने अनजाने बाधायें खड़ी करते रहे। इसलिए हिन्दी आज तक प्रान्तीय भाषा ही बनी रही है। उसका साहित्य भी कई बोलियों में बटा हुआ है। आधुनिक खड़ी बोली के रूप में हिन्दी का विकास उस मात्रा में नहीं हो पाया है जिस मात्रा में अन्य भारतीय भाषाओं का हुआ है। इसलिए हिन्दी को एक बारगी अधिकारक भाषा बनाने में अनेक कठिनाइयां पायी गयीं।

इसके अलावा एक ऐसी भाषा को जिसका विकास अत्यन्त सीमित रहा, सारे देश के प्रशासन पर लागू करना और कठिनाइयों के बावजूद लागू करने का आग्रह करना मेरी सम्मति में बड़ी भूल थी। और जब यह आग्रह हिन्दी भाषा भाषी भाइयों की ओर से होने लगा तो तुरन्त उसे "हिन्दी इम्पीरियलिज्म" का स्वरूप प्राप्त हुआ। इसी का मुझे खेद है।

भाषा मानव समाज को सभ्य बनाने और मनुष्यों को एक दूसरे के पास लाने का साधन मात्र है। इसके अतिरिक्त उसका कोई असाधारण महत्व नहीं होना चाहिए।

मैं दक्षिण भारत से आती हूं। आंध्र के कोने कोने में जनता हिन्दी सीखना चाहती है। मैं यह सुझाना चाहती हूं कि आज से हम हिन्दी का राष्ट्र भाषा के रूप में विकास करना शुरू करें और आज की परिस्थिति में इसी का अनुमोदन करें। यदि रचनात्मक दृष्टि से हिन्दी के विकास में जुट जायेंगे तो बार बार इस बिल की पुनरावृत्ति नहीं करनी पड़ेगी और भविष्य में इस प्रकार के बिल की आवश्यकता नहीं होगी।

मैं भारत सरकार से यह अनुरोध करना चाहूंगी कि हिन्दी प्रांतों में लिखी पुस्तकों को और साहित्य को अहिन्दी प्रांतों में सिखाने के बदले अहिन्दी प्रांतों में ही हिन्दी साहित्य वहीं के जानकारों और साहित्यकों द्वारा लिखवाने का पूरा पूरा प्रबन्ध किया जाये। जिस दिन काश्मीर से लेकर

केरल तक और कच्छ से लेकर कामरूप तक देश के कोने कोने में हिन्दी कवि और लेखक तैयार हो जायेंगे, वही दिन सच्चे मानों में राष्ट्र भाषा की स्थापना का दिन होगा।

हिन्दी का विकास सारे राष्ट्र की जिम्मेवारी होनी चाहिये। वह विकास बहुमुखी होगा।

इतना ही कह कर मैं समाप्त करूंगी।

डा० मेलकोटे (हैदराबाद) : डिप्टी स्पीकर साहब, आज इस सदन में जो लोग देशभक्ति को प्रकट करना चाहते हैं उन सब के लिये हिन्दी में भाषण करना जरूरी है। मैं खास कर आनरेबिल मेम्बर एंथनी साहब को बिनती करना चाहता हूं कि वह नामिनेटेड मेम्बर होने के कारण हम लोगों की दिक्कतों को महसूस नहीं करते।

देश में ६०, ७० या ८० फी सदी लोग जो अंग्रेजी नहीं जानने वाले हैं, उनके सामने जाकर अगर अंग्रेजी में अपना मंतव्य प्रकट करेंगे तो डिमाक्रेसी कहां रहेगी, इसके बारे में उनको सोचना चाहिय। अगर उनको हमारी तरह इलेक्शन लड़ना पड़े तो उनको पता लगे कि जनता के साथ किस भाषा में बात की जा सकती है।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि इस सदन में जो लोग अंग्रेजी में बोलते हैं उसका कारण यह है कि हम जानते हैं अगर हम अपनी भाषाओं में, कन्नड़ में, तमिल में, बंगला में, गुजराती आदि में बोलेंगे तो अन्य लोग हमारी बात नहीं समझ सकेंगे, लेकिन अंग्रेजी में समझ सकते हैं। इसलिये मेरी डिप्टी स्पीकर महोदय से विनती है कि वह ऐसा प्रबन्ध करे कि देश की १४ भाषाओं का ट्रांसलेशन साथ साथ हो सके। ऐसा करने से हर एक सदस्य को अपनी भाषा में बोलने की सुविधा हो सकती है। आज तो स्थिति यह है कि अगर कोई अंग्रेजी या हिन्दी के सिवा अपनी मातृ भाषा में बोलना चाहे तो उसको अपनी स्पीच का लिखित अनुवाद देना पड़ता है। दिल की भावना मातृभाषा के सिवाय दूसरी भाषा में कैसे व्यक्त कर सकते हैं। इसलिये मैं चाहता हूं कि जब १४ भाषाओं को राष्ट्र भाषा माना जाता है तो उन सब के लिये सदन में ऐसी व्यवस्था होनी चाहिये कि उनका साथ साथ अनुवाद हो सके जैसा कि अन्तर्राष्ट्रीय सभाओं में होता है।

तीसरी बात मैं यह रखना चाहता हूं कि कई मर्तबा मुझे विदेशों को जाने का मौका मिला। वहां पर जब एक हिन्दुस्तानी दूसरे हिन्दुस्तानी से मिलता है तो अंग्रेजी में बात करता है। तो वहां के लोग पूछते हैं कि क्या आपकी अपनी कोई मातृभाषा नहीं है। अगर एंथनी साहब विलायत जाये तो वे अपनी भाषा क्या बतलायेंगे, हिन्दी या अंग्रेजी। हमको यह देख कर दुःख होता है कि हमको आपस में अंग्रेजी में बोलना पड़ता है, हम अपनी मातृभाषा में नहीं बोल सकते। मैं एक बात आपके सामने साफ साफ रखना चाहता हूं। मैं दक्षिण भारत से आता हूं। मेरी मातृभाषा हिन्दी नहीं है। आप तमिल को नेशनल लेग्वज बनायें, मैं आपकी ताईद करने के लिये तैयार हूं। लेकिन अंग्रेजी को हमेशा के लिये रखने को तैयार नहीं हूं।

लेकिन हमारे होम मिनिस्टर साहब और प्राइम मिनिस्टर साहब पोलिटिक्ल हालत को मद्दे नजर रखते हुये और उसे महसूस करते हुये और हिस्टारिकल रीजंस जो हैं उनको ध्यान में रखते हुय अंग्रजी को थोड़ा समय आगे ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। वह तो किसी कदर ठीक है। लेकिन हिन्दी की प्रगति की दिशा में इन पिछले १५ वर्षों में कोई ठोस चीज अथवा कार्य नहीं हुआ है। यहां सदन में जो बजट आदि पास हुये हैं, उनको देखने से मालूम होता है कि दक्षिण भारत में हिन्दी को बढ़ाने और उसका प्रचार करने के हेतु अब तक एक पैसा नहीं दिया गया है। कोई रकम इसके लिये बजट में नहीं प्रोवाइड की गई है। यहां से कई मर्त्तबे यह आवाज उठाई गई कि हिन्दी प्रांतों में हिन्दी के प्रचार की जरूरत नहीं है, अहिन्दी प्रांतों में हिन्दी के लिये सहायता दी जाय लेकिन उधर

[श्री मेलकोट]

कोई ध्यान नहीं दिया गया। हम एक हिन्दी युनिवरसिटी बनाने के लिये काफी कोशिश कर रहे हैं। हिन्दी की ज्यादा प्रगति करने के लिये काफी पैसा भी हम ने जमा किया है। तकरीबन पिछले ४० साल से हम उधर लोगों को हिन्दी का ज्ञान कराने के लिय कोशिश कर रह हैं। हम काफी समय से हिन्दी की सेवा करते आये हैं।

अहिन्दी भाषा भाषी लोगों को आज हिन्दी के प्रति जो एक डर है उसको गलत नहीं समझा जाना चाहिये। चीज यह है कि उधर के लोग चूंकि हिन्दी का उनको इतना अच्छा ज्ञान नहीं हो पाता है इसलिये उनको डर रहता है कि दक्षिण के उम्मीदवार उत्तर भारत के उम्मीदवारों के मुकाबले में इम्तिहानों और कम्पटीशंस में ठहर नहीं पायेंगे। इसलिय जरूरत इस बात की है कि उन्हें हिन्दी सीखने के लिये प्रोत्साहन दिया जाय। उधर हिन्दी की युनिवरसिटीज़ स्थापित की जायें और उनको उसके लिये अधिक मदद और रकम दिया जाया। इसलिये दक्षिण भारत के लोगों में आज जो एक डर है उसको उत्तर भारत के लोगों को दूर कर देना चाहिये और दक्षिण भारत में हिन्दी को बढ़ाने के लिये अधिकाधिक रकम प्रोवाइड की जाय और वहां के लोगों को इसके लिये सभी संभव प्रोत्साहन दिये जायें। साथ ही मैं चाहूंगा कि हमारे दक्षिण भारत के लोग आगे आयें और उन्हें तेजी के साथ हिन्दी का ज्ञान प्राप्त करना चाहिये। वहां पर हिन्दी युनिवरसिटीज़ होनी चाहियें और उसके लिये काफी रकम मिलनी चाहिये। इसी तरीके से उत्तर प्रदेश के जितने लोग हैं उनको चाहिये कि वे दक्षिण की कोई प्रादेशिक भाषा सीखें और उनको कोई अहिन्दी भाषा सीखने के लिये और समझने के लिये रकम मिलनी चाहिये और सरकारी मदद व प्रोत्साहन मिलना चाहिये। इस तरह से लोग शिक्षण लें और इस तरह से देश की १४ भाषाओं को मदद मिले तो मैं समझता हूं कि वह दिन शीघ्र आयगा जबकि सारे राज्यों और केन्द्र का सारा काम यहां की प्रांतीय भाषाओं और सैंटर का हिन्दी में होने लगेगा।

आज देश में यह भावना मौजूद है कि हमारे देश की राजभाषा इन १४ प्रादेशिक भाषाओं में से कोई एक हो जाय लेकिन इस देश की राजभाषा इंगलिश न हो। प्रेक्टिकल रीजंस की बिना पर अंग्रेजी कुछ दिन क लिये भले ही रह सकती है लेकिन हमेशा के लिये वह राजभाषा नहीं बनी रह सकती है। १४ भाषाओं में से कोई भी एक इस देश की राज भाषा हो जाय लेकिन वह इस देश की हो। जब तक हम इस चीज का समर्थन नहीं करेंगे हम देश के प्रति द्रोही माने जायेंगे। मैं इसलिये श्री एंथनी से विनती करूंगा कि यह जो "मे" शब्द रक्खा गया है इसका समर्थन उत्तर प्रदेश और अन्य हिन्दी भाषा भाषी प्रदेशों और दक्षिण के लोगों ने भी किया है और "शेल" को उन्होंने उचित नहीं समझा है क्योंकि हम सब लोगों के सामने जो जाकर बात करना चाहते हैं वह बन्द हो जायेगी। इसलिये मैं श्री एंथनी से पुनः आग्रह करूंगा कि वे अपने अमेंडमेंट्स को वापिस ले लें। होम मिनिस्टर साहब ने जिस रूप में यह बिल पेश किया है उसका मैं समर्थन करता हूं।

†**श्री मुहम्मद इलियास** (मंजेरी): "मे" के स्थान पर "शेल" का प्रयोग किया जाना चाहिए। यह उचित होगा क्योंकि यह संविधान के अनुसार है। वहां भी "शेल" प्रयोग किया गया है।

राजभाषा का लोगों पर शिक्षा सम्बन्धी, समाजिक तथा अन्य क्षेत्रों में काफी प्रभाव होता है। अहिन्दी भाषी लोगों की मांग यह नहीं है कि राष्ट्रभाषाओं में से एक को राजभाषा बना दिया जाए।

---

†मूल अंग्रेजी में

हिन्दी कुछ लोगों की मातृभाषा है । कुदरती तौर पर इन लोगों के बच्चों का हिन्दी का ज्ञान उन अहिन्दी भाषी लोगों से अधिकतर अच्छा होगा । यदि हिन्दी राजभाषा बना दी जाय तो हिन्दी क्षेत्र के लोगों का अहिन्दी भाषी लोगों से अधिकतर लाभ होगा । इस प्रकार भी देश की एकता पर बुरा प्रभाव होगा । हमारे देश की विशिष्ट स्थिति है । इस में भाषा के आधार पर राज्य बनाए गए हैं । कई भाषाएं बोलने वाले लोग हैं । यहां किसी एक भाषा बोलने वाले लोगों को दूसरी भाषा बोलने वालों पर लाभ नहीं होना चाहिए । देश की एकता का ध्यान रखना चाहिए । इस मामले पर सभी निर्णय होना चाहिए ।

†**श्री च० का० भट्टाचार्य** (रायगंज) : अनुच्छेद १२० के अनुसार संसद के कार्य के लिए अंग्रेज़ी का प्रयोग न केवल हो सकता है बल्कि हो सकेगा ।

अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई है कि संसद में काम के लिये हिन्दी या अंग्रेज़ी में से कोई भी भाषा प्रयोग की जा सकती है ।

श्री मुकर्जी ने जो कहा है उसकी सराहना प्रधान मंत्री जी और गृह कार्य मंत्री ने की है । श्री मुकर्जी ने तीन शर्तों पर हिन्दी को स्वीकार करने को कहा है । एक तो यह कि संसद में संविधान में उल्लिखित सभी भाषाओं का प्रयोग करने की इजाज़त होनी चाहिए । दूसरे सभी भाषाओं के साथ साथ अनुवाद की व्यवस्था होनी चाहिए । तीसरे, इन भाषाओं में वक्तव्यों की अंग्रेज़ी या हिन्दी में प्रति देने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए । यदि ऐसा हो जाए अर्थात् सभी प्रादेशिक भाषाएं बराबर हो जाएं तो किसीं को आपत्ति नहीं होगी और कोई कठिनाई नहीं रहेगी । चूंकि प्रधान मंत्री और गृह कार्य मंत्री ने इस की सराहना की है, अतः सरकार को इस पर विचार करना चाहिए ।

†**श्री हजरनवीस** : उपाध्यक्ष महोदय, प्रधान मंत्री तथा गृह-कार्य मंत्री दोनों के उस नीति की, जिस पर कि यह विधेयक आधारित है, स्पष्ट तथा सम्पूर्ण निवृत्ति कर देने के बाद मैं उन लोगों की आलोचना पर कुछ नहीं कहना चाहता जो नीति से सहमत नहीं हैं और चाहते हैं कि हम उसे बदल दें । मैं केवल खंड ३ की कानूनी दृष्टिकोण से व्याख्या करूंगा और, श्रीमान्, मैं आपको विश्वास दिलाऊंगा कि भाव तथा शब्द दोनों में यह हमारी उस नीति का निष्पादन करता है जो प्रधान मंत्री के आश्वासन में निहित है तथा नीति सम्बन्धी प्रधान मंत्री के वक्तव्य और गृह-कार्य मंत्री द्वारा कल सदन में की गई निवृत्ति में कोई भी विभेद नहीं है ।

[**डा० सरोजनी महिषी** पीठासीन हुईं]

मैं खंड ३ को फिर पढ़े देता हूं । इसमें कहा गया है :

> "संविधान के आरंभ से पन्द्रह वर्षों की अवधि के समाप्त होने पर भी अंग्रेज़ी भाषा, जैसे कि नियुक्त दिन से, हिन्दी के साथ साथ प्रयोग में रखी जा सकेगी इसमें कहा गया है :
>
> "भाग १७ में किसी बात के होते हुये भी, परन्तु अनुच्छेद ३४८ के उपबन्धों के अधीन, संसद् में कार्यवाही हिन्दी में या अंग्रेज़ी में की जायेगी ।"

इस अनुच्छेद में दो तत्व हैं । निस्सन्देह यह पन्द्रह वर्षों तक सीमित है । वह सीमा तो है परन्तु अनुच्छेद १२० में ध्यान देने योग्य दो तत्व हैं । पहला यह कि यह अनुच्छेद ३४३ को अधिभूत

---

†मूल अंग्रेजी में

करता है ; अनुच्छेद ३४८ के अतिरिक्त सारा अध्याय १७ अनुच्छेद १२० द्वारा अधिभूत हो जाता है । अतः यही नहीं कि संसद् की कार्यवाही में अंग्रेज़ी हिन्दी के समान पद पर बरती जाती रहे अपितु बरती जाती रहेगी । यहां तक तो संसद के बारे में है ।

इस अनुच्छेद में एक और तत्व है । कहा गया है कि "संसद में कार्यवाही हिन्दी में या अंग्रेज़ी में की जायेगी" । अतः हिन्दी और अंग्रेज़ी को एक ही जैसे पद पर रखा गया है तथा इनमें से किसी को भी बारी बारी से प्रयोग किया जा सकता है । अनुच्छेद १२० से यह स्थिति उत्पन्न होती है । अब तक सदन का ध्यान इस ओर नहीं गया है और यही कारण है कि मैंने सोचा कि आपकी आज्ञा से सदन का ध्यान इस ओर आकर्षित करूं ।

श्री हीरेन मुकर्जी के भाषण तथा संशोधनों के बारे में मैं केवल एक और बात कहूंगा क्योंकि उनके भाषण पर प्रधान मंत्री और गृह-कार्य मंत्री दोनों द्वारा टिप्पणी की गई है । अपने भाषण तथा श्री गोपालन के साथ मिल कर उन्होंने जो संशोधन संख्या ६१ दिया है उसमें उन्होंने मुख्य सिद्धांत यह अपनाया है कि वह केवल एक ही शर्त पर अंग्रेज़ी छोड़ने को तैयार हैं और शर्त यह है कि संविधान में दी गई सभी भाषायें इस संसद् में समान रूप से प्रयोग में लाने दी जायें और एक ही साथ सभी भाषाओं में अनुवाद की व्यवस्था होनी चाहिये; आगे यह कि अध्यक्ष महोदय को अंग्रेज़ी में या हिन्दी में अग्रिम प्रतियां भेजने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिये और इस बात पर, महोदया, मैं आप ही के समान जोर देता हूं तथा इसी विधेयक पर बोलते समय आपने जो महत्वपूर्ण अवलोकन किये थ उनमें से मुझे भी कुछ लेना पड़ेगा जो कि मैं पहली बार नहीं कर रहा हूं :

"(क) संघ के सभी राजकीय प्रयोजनों के हेतु जिन के लिये यह उस दिन के तुरन्त पहले प्रयोग की जा रही थी ; और

(ख) संसद में कार्यवाही चलाने के लिये" ।

अब इसमें दो या तीन महत्वपूर्ण बातें हैं । पहले तो इसमें पन्द्रह वर्षों की अवधि की समाप्ति का निर्देश है और फिर इसमें खंड (क) एवं (ख) में उल्लिखित प्रयोजनों के लिये हिन्दी के साथसाथ अंग्रेजी के प्रयोग की अनुमति है । मुझसे पहले जो वक्ता बोले थे उनके प्रति भी मैं बहुत आभारी हूं । उन्होंने बताया है जैसा कि मैं बताना चाहता था कि खंड ३ में दोनों अनुच्छेदों के उपबन्ध आ जाते हैं । अतः यदि हम खंड के इच्छित प्रभाव को देखना चाहते हैं तो हमें उन दोनों अनुच्छदों के प्रभाव पर विचार करना है । महोदया जैसा कि आपने अपने भाषण में ठीक ही जोर दिया था, यद्यपि पन्द्रह वर्ष की अवधि समाप्त हो गई है, फिर भी इन दोनों मामलों के बारे में यथा पूर्व स्थिति है और संक्षिप्तता की दृष्टि से दोनों उपबन्धों को किन्ही कथन में मिलाना आवश्यक था । जब एक विधयक में एक जसे दो विचार मिलाये जाने होते हैं तो प्रारूपकार एक जैसे विचारों को एक ही स्थान पर करने का प्रयत्न करता है और यदि संभव हो तो उस विषय पर सारी विधि सम्मिलिति करने की भी चेष्टा करता है ताकि जिसे भी विधि देखने की जरूरत पड़े वह उसे एक ही स्थान पर पा सके । उस का यह प्रयत्न होता है और कानून की व्याख्या करने से पहले और यह देखने से पहले कि इसे इस रूप में क्यों ढ़ाला गया है हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिये ।

प्रारूपकार ने एक विशेष वाक्यांश का प्रयोग क्यों किया है इस बारे में अपनी बात अपनी निवृत्ति, करने से पहले हमें खंड तथा प्रारूप संशोधन संख्या ३४ के बीच अन्तर को समझने का प्रयत्न करना चाहिये जो कि मेरे माननीय मित्र श्री फ्रैंक एन्थनी ने प्रस्तुत किया है क्योंकि जहां तक क्रियान्विति का संबंध है मुझे तो इसमें व्यावहारिक रूप से कोई अन्तर दिखाई नहीं देता । यद्यपि खंड जैसा कि वह

है कुछ भिन्न है वास्तव में मैं समझता हूं कि यह शंका बिल्कुल गलत है। मैं केवल यह कह रहा हूं कि यद्यपि प्रारूपकार ने "May" ["की जा सकेगी"] शब्द का प्रयोग किया है फिर भी अंग्रेजी का प्रयोग निर्बन्धन हीन है। यदि वह अंग्रेजी का प्रयोग चाहते हैं तो सिवाय उन की अपनी इच्छा के किसी अन्य व्यक्ति द्वारा उन्हें इस अधिकार से वंचित नहीं किया जाएगा। वह खंड ३ में दिया जाएगा और इसीलिये मैं संशोधन का विरोध करता हूं।

मैं अनुच्छेद ३४३ की ओर लौट कर आता हूं। अनुच्छेद ३४३ के खंड (१) पर बड़ा जोर दिया गया है। यह निस्संदेह हिन्दी को हमारी राजभाषा के रूप में प्रतिष्ठित करता है जो कि हमारी राष्ट्रीय भाषा भी है। खंड (१) में कहा गया है :–

"संघ की राज भाषा हिन्दी और लिपि देवनागरी होगी"।

यह संविधान का एक भाग है। परन्तु आगे खंड (२) द्वारा और वह भी हमारे संविधान का अंग है यह भी उपबन्धित किया गया है कि अंग्रेजी १५ वर्षों तक प्रयोग की जाती रहेगी जैसे कि इस का प्रयोग किया जा रहा था। खंड (२) संविधान का उतना ही अंग है जितना कि खंड (१) और जो संविधान के नाम पर शपथ लेते हैं जो संविधान की प्रशंसा करते हैं उन्हें यह भी याद रखना चाहिये कि खंड (२) भी संविधान का वैसे ही अंग है जैसे कि खंड (१)।

इसके बाद खंड (३) आता है जिसके अन्तर्गत हम विधान बना रहे हैं और जिसके बारे में मैं फिर जोर दूंगा कि यह संविधान का एक अंग है। विधेयक का एक भाग अनुच्छेद ३४३ के खंड (३) के अधीन आता है इसलिये हम किसी भी तरह से संविधान का उल्लंघन नहीं कर रहे हैं। इस विधेयक को ला कर हम किसी भी तरह से संविधान के विरुद्ध नहीं जा रहे हैं।

अनुच्छेद ३४३ का खंड (१) खंड (३) के अधीन है जिस में कहा गया है :–

"इस अनुच्छेद में किसी बात के होते हुए भी"

जिसमें खंड (३) में उल्लिखित १५ वर्षों की अवधि सम्मिलित है। संसद उक्त पन्द्रह साल की कालावधि के पश्चात विधि द्वारा—

अंग्रेजी भाषा का उपबन्धित कर सकेगी,

मैं यह बता दूं कि इस अनुच्छेद में सब जगह "भाषा का प्रयोग" शब्दों का उपयोग किया गया है। अतः यदि विधि में कोई विशेष अविरति बनाई रखनी थी जोकि इस पुराने संविधान में से पैदा होती है तो मैं समझता हूं कि जो शब्द स्वयं संविधान में प्रयुक्त किये गये हैं उन्हें मांगने अथवा उन का प्रयोग करने में प्रारूपकार बिल्कुल ठीक था। अतः उसे "अंग्रेजी भाषा का प्रयोग" कथन का उपयोग करना ही पड़ता था।

फिर एक दूसरा अनुच्छेद है जो इस के साथ जुड़ा हुआ है। कुछ ही समय पहले वह मेरे माननीय मित्र श्री चपलाकान्त भट्टाचार्य द्वारा पढ़ा गया था। उस में " Shall " ("होगा") शब्द का प्रयोग किया गया है। इस का अर्थ यह है कि प्रयुक्त रूप वही है जिस का कि मेरे माननीय मित्र श्री एन्थनी ने अपने संशोधन में प्रयोग किया है। वह " Shall" ("होगा") शब्द का प्रयोग करते हैं और "अथवा" शब्द का प्रयोग करते हैं। अब इसी का विविध ढंगों से उपयोग हो सकता है। मैं यह नहीं कहूंगा कि उन का प्रारूप मेरे प्रारूप से अच्छा है या मेरा प्रारूप उन के प्रारूप से अच्छा है परन्तु मैं यह कहूंगा कि मेरा प्रारूप उतना ही अच्छा है जितना कि उन का। इस में से अर्थ वही निकलता है। इसलिये मैं कोई कारण नहीं देखता कि मैं क्यों इसे बदलूं और क्यों क्षमा याचना करूं।

†**श्री बैरो** (नामनिर्देशित—आंग्ल-भारतीय) : क्यों न उदार हो कर उन्हें एक दूसरे से बदल लें ?

†**श्री हजरनवीस** : क्यों ? अनुच्छेद १२० दूसरे वाक्यांश का उपयोग करता है, अर्थात्—!

"संसद् में कार्य हिन्दी में या अंग्रेजी में किया जायेगा ।"

प्रारूपकार तथा संविधान कह सकते थे कि संसद् की कार्यवाही चलाने में हिन्दी या अंग्रेजी का प्रयोग किया जा सकेगा । उस में जिस शब्द का प्रयोग होगा वह "shall" ("जायेगी") नहीं अपितु "may" ("की जा सकेगी") होगा और उस "may" से अध्यक्ष को स्वविवेक प्राप्त होगा । आज मैं अंग्रेजी में बोलना शुरू कर सकता हूं और मैं ठीक रहुंगा । मैं हिन्दी में बोलना शुरू कर सकता और मैं ठीक हूंगा । "may" ("की जा सकेगी") शब्द स्वविवेक देता है । यह मुझे स्वविवेक देता है । यह सदन में किसी को यह कहने का स्वविवेक नहीं देता है कि "आप हिन्दी का प्रयोग नहीं करेंगे परन्तु आप अंग्रेजी का प्रयोग करेंगे" । दूसरी ओर यदि मैं अब अंग्रेजी में बोल रहा हूं तो कोई नहीं कह सकता कि अंग्रेजी में बोल कर मैं ठीक नहीं कर रहा हूं । मतलब यह कि बोलने वाले को अधिकार दे दिया गया है कि वह अपनी इच्छा से इन दोनों में से किसी भी भाषा का प्रयोग कर सकता है । इसलिये आप देखेंगे कि अनुच्छेद ३४३(२) का परन्तुक भी उसी भाषा का प्रयोग करता है जोकि खंड (३) में दी गई है । ३४३(३) का निर्देश करते हुए, अनुच्छेद ३४३(३) द्वारा स्पष्टतः दी गई शक्ति पर विधान बनाते समय मैं नहीं समझता कि प्रारूपकार अनुच्छेद में दी गई भाषा का ही प्रयोग करने से अधिक अच्छी कोई चीज कर सकता था ।

†**डा० लक्ष्मी मल्ल सिंघवी** : अनुच्छेद ३४३(३) में वस्तुतः कहा गया है कि यह सीमित . . . (**अंतर्बाधा**) यह आप का काम नहीं है । आप को मुझे बैठने को कहने के लिए जो इशारा किया गया उस पर मुझे घोर आपत्ति है ।

†**सभापति महोदय** : वह बोलते रहने चाहते हैं ।

†**डा० लक्ष्मी मल्ल सिंघवी** : जब माननीय मंत्री इशारा करते हैं तो यह असंसदीय तथा अभद्र है । यह कहना उन का काम नहीं है कि मैं बैठ जाऊं . . . (**अन्तर्बाधा**) जब वह कहते हैं कि अनुच्छेद ३४३(३) में ऐसा कहा गया है तो मैं ने कहा कि यह अनुज्ञेय नहीं है ।

†**सभापति महोदय** : माननीय सदस्य प्रश्न बाद में पूछ लें । अब उन्हें उन को नहीं टोकना चाहिये . . . (**अन्तर्बाधा**)

†**श्री हजरनवीस** : मैं खंड (२) की ओर आता हूं, अनुच्छेद ३४३(१) में यह कहा गया है कि संघ की राज भाषा हिन्दी और लिपि देवनागरी होगी, इस में कहा गया है :—

> "खंड (१) में किसी बात के होते हुए भी, इस संविधान के प्रारंभ से पन्द्रह वर्षों की कालावधि के लिए संघ के उन सब राजकीय प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी भाषा प्रयोग की जाती रहेगी ।"

जैसा कि कुछ समय पहले आप ने अपने भाषण में बताया था, जो शब्द महत्वपूर्ण हैं, जो विधेयक को दृढ़ता देते हैं, जो इस विधेयक को सारवान् बनाते हैं वे "प्रयोग करना जारी रखना" हैं । इस का अर्थ है कि हम देखते हैं कि यथापूर्व स्थिति क्या थी । तब ये शब्द उस यथापूर्व स्थिति की अनवरतता का वर्णन करने के लिए उपयुक्त हैं । इसलिए हमें यह देखना पड़ेगा कि इस विधान से जो अवस्था

---

†मूल अंग्रेजी में

जारी रहती है उस से पहले विद्यमान स्थिति क्या थी । अतः शब्द ये हैं :"संघ के सभी राजकीय प्रयोजनों के लिये, जिनके लिये इस प्रारम्भ से तुरन्त पहले प्रयोग की जा रही थी, प्रयुक्त होती रहेगी । यदि राष्ट्रपति कर सके—"यहां मैं सकता हूं । यहां "may" ("कर सकेगा") शब्द आता है । जिन माननीय सदस्यों को "may" ("कर सकेगा") शब्द के बारे में सन्देह है वे इस "may" ("कर सकेगा") को देखें । तब इस में कहा गया है :

> "उक्त कालावधि में, आदेश द्वारा, अंग्रेज़ी भाषा के साथ साथ हिन्दी भाषा, का प्रयोग को प्राधिकृत कर सकेगा ।

प्रयुक्त शब्द तथा वाक्यशैली बिल्कुल वही है जो खंड ३ में हैं । १५ वर्षों के दौरान हम परन्तुक को चला रहे थे, उस पर चल रहे थे और इस बीच अंग्रेज़ी सभी प्रयोजनों के लिये प्रयोग की जाती थी । परन्तु राष्ट्रपति एक प्राधिकरण कर सकता था और अपने आदेश से उन्हों ने कुछ जगह बना दी । कुछ जगह निकल आई है और हुआ क्या ? अंग्रेज़ी निस्सन्देह इस्तेमाल करनी ही पड़ती थी क्योंकि वह अनुच्छेद का मूल अंग है । अंग्रेज़ी का प्रयोग किया जा सकता था परन्तु साथ ही हिन्दी भी इस्तेमाल की जा सकती है । मतलब यह कि हिन्दी भाग का काम करते हुए यदि मैं हिन्दी में लिखना चाहूं तो ऐसा कर सकता हूं । वह तो केवल अनुमतिदायक है ।

इसी तरह यहां भी जो किया गया है, जैसाकि माननीय प्रधान मंत्री ने कहा है, वह यह है कि यद्यपि अनुच्छेद ३४३ प्रभावी होता है, उस के बाद यदि हम अनुच्छेद ३४३(३) के अधीन विधान नहीं बनाते तो अंग्रेज़ी की सारी संस्थिति जाती रहेगी—अंग्रेज़ी अपना प्रयोग किये जाने का सारा अधिकार खो देती है .है.

†**श्री फ्रैन्क एन्थनी** : सवाल यह है । आप आज्ञापक ढंग से विधान बनाते हैं या अनुमतिक ढंग से । आप निर्बन्धन हटाते हैं । आप इसे अनुमतिक ढंग से क्यों हटाते हैं, आज्ञापक ढंग से क्यों नहीं ? यह सीधी सी बात है ।

†**श्री हजरनवीस** : मैं इस का उत्तर दूंगा ; मैं इस का उत्तर दे रहा हूं ।

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

सब से पहले अनुच्छेद ३४३(१) द्वारा उत्पन्न करने वाली स्थिति से आरम्भ कीजिये अर्थात् १५ वर्षों की समाप्ति पर हिन्दी राजकीय भाषा बनेगी । और किसी भाषा की कोई संस्थिति नहीं है । जहां तक राजकीय प्रयोजन का सम्बन्ध है कोई व्यक्ति किसी दूसरी भाषा का प्रयोग करने का अधिकार नहीं रखता । तब हम क्या करते हैं ? अंग्रेज़ी को हम एक अतिरिक्त भाषा बना देते हैं । क्या इसमें कुछ अनुमतिदायक है ? क्या इस में कुछ कहा जा सकता है कि अंग्रेज़ी की संस्थिति अथवा जो कृत्य हम अंग्रेज़ी को सौंप रहे हैं वह अनुमतिदायक है ?

†**श्री फ्रैन्क एन्थनी** : इस का प्रयोग अनुमतिदायक है ।

†**श्री हजरनवीस** : प्रयोग ही है । परन्तु प्रयोग प्रयोगकर्ता द्वारा होता है ।

†**श्री फ्रैन्क एन्थनी** : वह इस का प्रयोग न करे ।

†**श्री हजरनवीस** : हम यह मान कर चलते हैं कि एक व्यक्ति एक समय एक ही भाषा का प्रयोग करता है । यदि मुझे श्री एन्थनी से बात करनी है तो हिन्दी में करूंगा या अंग्रेज़ी में करूंगा । शब्द "may" ("की जा सकेगी") यह कहता है कि मैं उनसे हिन्दी में बात करूं चाहे अंग्रेज़ी में ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री फ्रैन्क एन्थनी** : आप अंग्रेज़ी में चाहे न बोलें ।

श्री हजरनवीस : अब इस में सन्देह नहीं कि "may" ("हो सकेगी") शब्द का अर्थ, जैसा कि श्री सचेन्द्र चौधरी ने, जोकि एक बहुत ही अनुभवी और विख्यात वकील हैं, कल अपने भाषण में कहा था, "may" ("नहीं हो सकेगी") भी होता है। परन्तु कौन नहीं कर सकेगा। प्रश्न है, "कौन नहीं कर सकेगा?"

†**श्री फ्रैन्क एन्थनी** : केन्द्रीय सरकार ।

†**श्री हजरनवीस** : जी, नहीं ; केन्द्रीय सरकार जैसी कोई बात नहीं है । ऐसा कोई व्यक्ति अथवा अस्तित्व नहीं है जिसे "केन्द्रीय सरकार" कहा जाता हो । इस प्रसंग में हम सब व्यक्तियों का एक समूह हैं जिन से केन्द्रीय सरकार बनती है । केन्द्रीय सरकार में . . .

†**डा० लक्ष्मी मल्ल सिंघवी** : यह तो बहुत विस्मयजनक बात है ।

†**श्री हजरनवीस** : माननीय सदस्य बहुत सी विस्मयजनक बातें सीख सकते हैं । उन्हें अभी तो सीखने के लिए समय है । उन्हें निराश होने की आवश्यकता नहीं है ।

†**डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी** : मेरा विचार है कि उन्हें भी अभी कुछ सीखने के लिये समय बीत नहीं गया है ।

†**श्री म० ला० द्विवेदी** (हमीरपुर) : प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन काल में सीखता ही है ।

श्री हजारनवीस : मैं तो सर्वदा सीखता ही रहूंगा ।

†**श्री म० ला० द्विवेदी** : कौन अधिक सीखता है ।

†**श्री हजरनवीस** : केन्द्रीय सरकार के सरकारी कार्यकलाय में अनेकों व्यक्ति लगे हुए हैं । कोई व्यक्ति अंग्रेज़ी का प्रयोग कर सकता है अथवा हिन्दी का कर सकता है । यदि कल मैं अपने सचिव को हिन्दी में अथवा अंग्रेज़ी में लिखूं और यदि वह मुझे अंग्रेज़ी में लिखे तो मैं यह आपत्ति नहीं उठा सकूंगा कि उस ने मुझे अंग्रेज़ी में लिखा । खण्ड तीन के पारित हो जाने के पश्चात् मैं यह नहीं कह सकूंगा कि उस ने राजकीय भाषा का प्रयोग नहीं किया है । मान लो कि हम राजकीय कार्यवाही करने चलें तो अब, १९६५ के पश्चात्, यदि कोई मुझे को लिखता है और यदि मुझे उत्तर देना पड़े तो मुझे हिन्दी में लिखना पड़ेगा । संविधान के अनुच्छेद ३४३ में यह दिया हुआ है । यदि मुझे कोई उत्तर देने का प्रयत्न करे तो मैं यह कहूंगा कि राजकीय उत्तर हिन्दी में होना चाहिये । खण्ड ३ में क्या कहा गया है ? वह हिन्दी के अतिरिक्त अंग्रेज़ी का भी प्रयोग कर सकता है । प्रधान मंत्री का आश्वासन भी ऐसा ही था । उन्हों ने यही कहा था । मैं ने श्री मुकर्जी से एक मार्के का प्रश्न पूछा था, जिनका अंग्रेज़ी का ज्ञान अद्वितीय है--मुझे आशा है श्री एन्थनी मुझे क्षमा करेंगे ।

†**श्री फ्रैन्क एन्थनी** : मैं मानता हूं । इसीलिये मैं उनके तर्कों से सहमत हो जाता हूं ।

†**श्री हजारनवीस** : इसलिये, मैंने उनसे यह पूछा था कि उन्होंने वही बात कैसे कही जो कल गृह मंत्री ने कही थी कि यदि "may" ('कर सकेगा') के स्थान पर " shall " ('करेगा') रख दिया जाये तो हर स्थिति में इसका यही अर्थ होगा कि जो कोई हिन्दी में लिखता है उसे अंग्रेजी में भी लिखना पड़ेगा । तब, दो तरह से पत्र व्यवहार होगा । यदि मुझे हिन्दी में लिखना है तो

---

†मूल अंग्रेज़ी में

अंग्रेजी में भी लिखना पड़ेगा। "shall" ('करेगा') शब्द का यही अ.शय है। यही बात है कि श्री एंथनी ने अनुभव की है। मैं जानता हूं कि जहां तक उनके विधि संबंधी ज्ञान का प्रश्न है यह बहुत ऊंचा है और, इसीलिये, उन्होंने इस बात को दूसरे रूप में प्रस्तुत किया है। मैं कहता हूं कि ऐसा हो सकता है। यह कुछ कुछ अनुच्छेद १२० के स्वरूप जैसा ही है। मैं प्रारूप में गलतियां नहीं निकाल रहा हूं। मैं तो अपने ही प्रारूप का पक्षपोषण कर रहा हूं और मैं ऐसा दावा करता हूं कि इसकी भाषा संविधान के उसी अनुच्छेद की भाषा के समान है जिसके आधार पर अथवा जिसमें दर्शायी हुई योजना को कार्यरूप देने के लिये इस खंड का प्रयोग किया जा रहा है। मैं निवेदन करता हूं कि इस संबंध में दो बातें हैं। पहली बात तो यह है कि अंग्रेजी के प्रयोग को एक प्रकार की मान्यता दी जा रही है। अंग्रेजी के प्रयोग को एक प्रकार की प्रतिष्ठा दी जा रही है कि असंदिग्ध रूप से, बिना किसी समय सीमा के अनिर्धारित समय तक के लिये, प्रयोगकर्त्ता की इच्छा के अतिरिक्त किसी वाह्य नियंत्रण के बिना खंड ३ के अधीन उसे हिन्दी के साथ साथ अंग्रेजी का प्रयोग करने का अधिकार दिया गया है। इसके लिये किसी प्रकार की कोई समय सीमा नहीं है। प्रधान मंत्री तथा गृह-कार्य मंत्री ने ऐसा कहा था और आज मैं भी यही कहता हूं। मुझे यह बताते हुये खेद है कि मेरे इस प्रश्न का कि खंड ३ में "shall" ('करेगा') का प्रयोग किस प्रकार किया जा सकता है, प्रोफेसर मुकर्जी के पास कोई उत्तर नहीं था। मेरा विचार था कि केवल वकील ही ऐसे होते हैं कि जब उन पर किसी असुविधाजनक उत्तर के लिये दबाव डाला जाता है तो वे टाल मटोल कर जाते हैं। मैं यह नहीं जानता था कि प्रोफेसरों के मामले में भी ऐसा होता है। मैं पूरी तरह से निश्चित नहीं हूं कि श्री एंथनी यहां "ehall" ('करेगा') शब्द का प्रयोग करेंगे अथवा नहीं।

†**डा० लक्ष्मी मल्ल सिंघवी** : श्रीमन्, एक औचित्य के प्रश्न पर। वह श्री एंथनी को व्यक्तिगत रूप से अथवा सीधे ही सम्बोधित नहीं कर सकते हैं।

†**अध्यक्ष महोदय** : शांति, शांति।

†**श्री हजरनवीस** : इसलिये मेरा निवेदन है कि यह खंड, जैसा कि यह लिखा हुआ है, दो कार्य करता है। पहला तो यह है कि यद्यपि १५ वर्ष की अवधि व्यतीत हो जाने के पश्चात् केवल हिन्दी ही राज भाषा होगी, परन्तु अंग्रेजी भी उसके साथ ही साथ रखी जायेगी। यदि दक्षिण भारत का कोई मित्र अंग्रेजी का प्रयोग जारी रखता है, यदि कोई यह सोचता है कि उसका हिन्दी का ज्ञान पर्याप्त नहीं है और उसे खंड ३ के (क) और (ख) के प्रयोजनों के लिये अंग्रेजी के प्रयोग पर निर्भर रहना पड़ेगा, तो वह निश्चिन्त रहे कि यदि वह इन दोनों प्रयोजनों के लिये हिन्दी का प्रयोग करने का विचार करता है तो उस पर कोई कड़ा नियंत्रण नहीं है। ऐसी कोई वाह्य शक्ति नहीं है जो उसे इस अधिकार का उपयोग करने से रोकेगी। अब 'के अतिरिक्त' शब्द के महत्व की बात कीजिये। हिन्दी के साथ अंग्रेजी का प्रयोग किया जा सकता है और किया जाये। जैसा कि डा० महिषी ने अपने बहुत जानकारी पूर्ण तथा ज्ञान पूर्ण भाषण में संकेत किया था। इस खंड में सबसे महत्व वाक्यांश है 'प्रयोग जारी रखा जा सकेगा'। क्या (क) और (ख) से संबंधित मामलों में इन १५ वर्षों के दौरान अंग्रेजी के प्रयोग के विरूद्ध आपको कोई शिकायत है? यदि इसने ठीक प्रकार से कार्य किया है, यदि इस अवधि में अंग्रेजी के प्रयोग में आपको किसी कठिनाई का अनुभव नहीं हुआ है, तो उसी प्रकार आप अंग्रेजी का प्रयोग जारी रख सकते हैं। पुनः शब्द "जारी" पर ही जोर है। अतएव, जो आशंकायें सदन में व्यक्त की गई हैं वे किसी भी आधार पर आधारित नहीं है। मुझे विश्वास है कि जो हमारी नीति से सहमत हैं वह इस बात से सहमत होंगे कि खंड ३ में प्रधान मंत्री का आश्वासन तथा हमारी नीति मूर्त्तरूप में व्यक्त है और उसकी एक अतिरिक्त विशेषता यह है कि उसमें संविधान की ही भाषा व्यक्त की गई है। मैं श्री रंगा

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री हजरनवीस]

के विरुद्ध कुछ कहना पसंद नहीं करूंगा । उन्होंने इस राष्ट्र के इतिहास की एक बहुत दुखद घटना का उल्लेख किया था । वह सोचते हैं कि कुछ गलतियां की गई थीं । परन्तु एक ऐसे अवसर पर जब कि हम एक आम भाषा को विकसित करने का प्रयत्न कर रहे हैं मुझे यह लगभग ऐसा लगा जैसे कि यह विनाश के लिए एक प्रोत्साहन हो ।

†**श्री रंगा** : मैंने एक चेतावनी दी थी । आपने उसे प्रोत्साहन के रूप में परिणित कर दिया । कैसे उपहास की बात है ?

†**श्री हजरनवीस** : वह ऐसा ही प्रतीत होता था । श्री राधेलाल व्यास ने कहा था कि हमें खंड में कोई बात संविधान का उल्लंघन किये बिना ही जोड़नी चाहिये । जो कुछ हम करते हैं उसमें से कुछ भी संविधान का उल्लंघन नहीं करता और न ही संविधान में परिवर्तन करता है जब तक कि अनुच्छेद ३६६ में दिये गये ढंग से संविधान का संशोधन न किया जाय । कोई भी प्रारूपलेखक 'संविधान का उल्लंघन किये बिना' शब्दों का प्रयोग नहीं करेगा । हम सबने संविधान का पालन करने की शपथ ली है । हम संविधान में दी गई बातों के अनुसार ही कार्य करते हैं । जो कोई भी विधान हम सदन के सम्मुख लाने का प्रयत्न करते हैं उसके लिये हम अपने को संतुष्ठ करते हैं कि इससे संविधान के विरुद्ध कोई बात नहीं होती ।

कुछ सदस्यों ने ऐसे संशोधन प्रस्तुत किये हैं जिनसे खंड ३ की अवधि एक निश्चित अवधि तक सीमित हो जायेगी । जैसा कि मैंने पहले ही बतया है यह नीति का एक मामला है । प्रधान मंत्री जी ने कहा है कि यह अनिश्चित काल तक जारी रहेगी । जहां तक अहिन्दीभाषी राज्यों से परामर्श लेने का संबंध है, जैसा कि गृह-कार्य मंत्री ने कल संकेत किया था, अहिन्दी भाषी राज्यों की सरकारों के साथ निरंतर तथा निकट रूप से परामर्श किया जा रहा है । अहिन्दी भाषी राज्यों में कौन सी भाषा लागू होनी चाहिये इस संबंध में हम उनकी सरकारों के मतों पर ठीक ही विचार करते रहे हैं क्योंकि उनके मत श्री फ्रैंक एन्थनी के मत से अधिक प्रामाणिक हैं । इन शब्दों के साथ-साथ, मैं प्रस्ताव करता हूं ।

†**श्री प्रभात कार** : मैं एक स्पष्टीकरण चाहता हूं । माननीय मंत्री ने अभी कहा है कि जहां तक "may (करसकेगा)" शब्द का संबंध है यह हिन्दी के अतिरिक्तभाषा के लिए है । इसका अर्थ है कि यदि कोई अंग्रेजी में पत्र व्यवहार करना चाहे तो कर सकता है । उदाहरणार्थ, यदि केन्द्रीय सरकार से मुझे कुछ कागजात हिन्दी में भेजे जायें तो हिन्दी न समझते हुए भी मैं यह कहने का अधिकार नहीं रखूंगा कि वह अंग्रेजी में लिख कर भेजे जायें । गृह-कार्य मंत्री ने तो यह नहीं कहा था ।

†**श्री हजरनवीस** : विधि के अनुसार किसी भी भाषा का प्रयोग किया जा सकता है । जैसे कि संसद् में मैं हिन्दी अथवा अंग्रेजी किसी भी भाषा में बोल सकता हूं उसी प्रकार मैं हिन्दी अथवा अंग्रेजी किसी का भी प्रयोग कर सकता हूं ।

श्री बागड़ी : अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात नहीं समझ पाया अपने अमेंडमेंट के बारे में जो कि १५२ नम्बर का है । इसमें अंग्रेजी जो होगी वह ऐडीशनल लैंग्वेज होगी और हिन्दी आफिशल लैंग्वेज होगी । उसमें मेरी तरमीम यह थी कि जो ओरिजिनल बिल्स वगैरह होंगे वह आफिशल लैंग्वेज हिन्दी में होंगे और उनका ट्रांसलेशन जो एडीशनल लैंग्वेज इंग्लिश है उसमें किया जाय । इसके बारे में माननीय मंत्री महोदय ने कुछ नहीं बताया ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री हजरनवीस** : मैं सभी संशोधनों का विरोध करता हूं।

†**श्री राधेलाल व्यास** : मैं अपना संशोधन संख्या १२६ वापस लेने के लिये सभा की अनुमति चाहता हूं।

संशोधन संख्या १२६, सभा की अनुमति से, वापस लिया गया।

†**अध्यक्ष महोदय** : मैं संशोधन संख्या ३५, १४५, ६०, १४७, १४६, १५२ और १२७ मतदान के लिये रखता हूं।

अध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या ३५, १४५, ६०, १४७, १४६, १५२ और १२७ मतदान के लिये रखे गये तथा अस्वीकृत हुए।

†**अध्यक्ष महोदय** : अब मैं संशोधन संख्या ५८ को मतदान के लिये रखता हूं। जो इसके पक्ष में है वह "हां" कहें तथा जो विपक्ष में हैं वह "ना" कहें।

†**कुछ माननीय सदस्य** : हां।

†**अनेक माननीय सदस्य** : नहीं।

†**अध्यक्ष महोदय** : विपक्ष में अधिक हैं।

†**श्री बागड़ी** : पक्ष में अधिक हैं, पक्ष में अधिक हैं।

†**अध्यक्ष महोदय** : कम से कम कुछ तो मर्यादा तथा प्रतिष्ठा रखनी ही चाहिये।

श्री बागड़ी : अध्यक्ष महोदय, जो बात समझेंगे नहीं, उस में डिग्निटी कैसे होगी?

अध्यक्ष महोदय : मगर यह क्या है कि चाहे जिस वक्त जो मुंह में आया, वह कह दिया।

श्री बागड़ी : जो मुंह में आया वाली बात नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : और क्या है? हाउस में जो कुछ हो रहा है, उसका ख्याल किये बिना जब चाहे दखल दे दिया। माननीय सदस्य समझें कि क्या हो रहा है। यहां पर सब को हाउस के रूल्ज के मुताबिक चलना होगा।

श्री बागड़ी: इसी लिये तो मैं कहता हूं कि अंग्रेजी को हटाओ।

अध्यक्ष महोदय : अंग्रेजी इस तरह से नहीं हटेगी, जिस तरह से कि आप कह रहे हैं।

श्री बागड़ी : जब ऐसे लोग आयेंगे, तभी अंग्रेजी हटेगी।

अध्यक्ष महोदय : जब ऐसे लोग आयेंगे, तो शोर मच जायेगा। मैं माननीय सदस्य को कहना चाहता हूं कि वह बार-बार यूं ही दखल न दिया करें।

श्री बागड़ी : बगैर शोर वाले तो पन्द्रह साल के बाद भी नहीं हटा पाये हैं।

†**अध्यक्ष महोदय** शांति, शांति।

अध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या ५८ मतदान लिये रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।

---

†मूल अंग्रेजी में

अध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या १४६ मतदान के लिये रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ ।

अध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या ३६ मतदान के लिये रखा गया ।

लोक सभा में मत विभाजन हुआ ।

पक्ष में २०; विपक्ष में १४५

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ ।

†**अध्यक्ष महोदय :** प्रश्न यह है कि :

"खण्ड तीन विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड ३ विधेयक में जोड़ दिया गया ।

नया खण्ड ३–क

†**डा० लक्ष्मी मल्ल सिंघवी :** मैं अपना सशोधन संख्या १७१ प्रस्तुत करता हूं ।

†**श्री शिवमूर्ति स्वामी :** मैं अपना संशोधन संख्या १२८ प्रस्तुत करता हूं ।

†**अध्यक्ष महोदय :** यह संशोधन सभा के सम्मुख हैं । हम ने प्रत्येक पहलू पर चर्चा कर ली है । माननीय सदस्य केवल संक्षेप में ही बोलें ।

†**डा० लक्ष्मीमल्ल सिंधवी :** मैं इस संशोधन को इसलिये प्रस्तुत कर रहा हूं क्योंकि मैं यह देखता हूं कि डा० राजेन्द्र प्रसाद ने संविधान सभा का सभापतित्व करते समय हिन्दी के विषय में उपबन्धों को लागू करने के लिये जो सलाह दी थी उस पर सरकार ने अधिक ध्यान नहीं दिया है । मैं केवल यह सुनिश्चित करने के लिये ऐसा कर रहा हूं कि संविधान में तथा अनेकों उत्तरदायी सरकारी सदस्यों द्वारा दिये गये आश्वासनों आदि को कार्यरूप दिया जाये ।

सरकार को यह देखने के लिये हिन्दी को राजभाषा के रूप में प्रयुक्त करने के लिये उसका समुचित विकास हो कोई समय-सीमा तथा लक्ष्य निर्धारित करना चाहिये था । सरकार जो कि योजनाओं में इतना विश्वास करती है इस सम्बन्ध में कोई योजना बनाने में असफल रही है ।

संविधान के अनुच्छेद ३४४ में किये गये उपबन्धों के अनुसार द्वितीय आयोग की नियुक्ति नहीं की गई है तथा हम ऐसे एक आयोग की उपपत्तियों को जाने बिना ही विधेयक पर विचार तथा चर्चा कर रहे हैं । इस अनुचित बात को किसी भी प्रकार न्यायसंगत नहीं बताया जा सकता ।

सरकार की इन असफलताओं के कारण ही जो कि स्वयं इस विधेयक के प्रस्तुत किये जाने से ही झलकती हैं तथा हिन्दी की प्रगति सम्बन्धी आशंकाओं के कारण ही मैं यह संशोधन प्रस्तुत करता हूं ।

श्री शिवमूर्ति स्वामी : अध्यक्ष महोदय, मैं ने ३ (ए) इसर्ट करने के लिए एमेंडमेंट पेश की है । जब हम अंग्रेज़ी को हटाने के पक्ष में हैं तो हमें यह भी सोचना होगा कि हमारे देश में बहुत से ऐसे राज्य हैं जिनकी भाषा हिन्दी नहीं है और जब हिन्दी आफिशल लेंगुएज बन जायेगी तो उन राज्यों में

---

†मूल अंग्रेजी में

रहने वालों को दिक्कत होगी। हम इंग्लिश को इंडेफिनिट पीरियड के लिए बनाये रखने के बिल्कुल खिलाफ हैं। लेकिन उसके साथ-साथ हम यह भी चाहते हैं कि उन राज्यों में जिनकी भाषा हिन्दी नहीं है जोकि हिन्दी को अमल में नहीं ला सकते हैं, उनको आजादी होनी चाहिये कि वे अपनी-अपनी रिजनल लैंगुएजिज़ में, अपनी-अपनी मातृभाषाओं में केन्द्र के साथ पत्र-व्यवहार कर सकें, खतोकिताबत कर सकें। अगर ऐसा किया जाता है तो किसी को हिन्दी से डर नहीं हो सकता है, रिजनल लैंगुएजिज़ को डर नहीं हो सकता है और उनका हिन्दी में या अंग्रेज़ी में ट्रांसलेशन भी हो सकता है। हमारे मेलकोटे साहब ने कहा है कि अगर इसकी इजाज़त हो जाती है कि यहां पर पार्लिमैंट में या केन्द्र के साथ पत्र-व्यवहार में अपनी मातृभाषाओं का आज़ादी के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं' तो इसका उन भाषा-भाषी लोगों पर बहुत अच्छा असर पड़ेगा। हमारे प्रधान मंत्री जी तथा हमारी सरकार की तरफ से कहा जाता है कि जो चौदह लैंगुएजिज़ हैं वे सब हमारी नैशनल लैंगुएजिज़ हैं, लेकिन जब तक जो हम चाहते हैं वह नहीं किया जाता है कभी भी यह मुम्किन नहीं हो सकता है कि वे नैशनल लैंगुएजिज़ मानी जा सकें। उनको उचित स्थान देना बड़ा जरूरी है। मैं ने अपनी एमेंडमेंट में कहा है :

> "राज्यों तथा संघ के उन सभी सरकारी प्रयोजनों के लिये प्रादेशिक भाषाओं का प्रयोग किया जा सकता है जिनके लिये कि राज्य विधान सभाओं तथा सम्बन्धित राज्य कार्यालय. में उनका प्रयोग किया जा रहा है।"

अगर इसकी आज़ादी दे दी जाये तो मैं समझता हूं कि जो डी० एम० के० के इशारे पर दक्षिण भारत में मूवमेंट चल रही है और दक्षिण भारत में गलतफहमी पैदा की जा रही है कि हिन्दी को उन पर जबर्दस्ती लादा जा रहा है, वह गलतफहमी पैदा नहीं होगी और वह मूवमेंट भी खत्म हो जायेगी। अगर यह मान लिया जाये कि तमिल को भी, कन्नड़, मराठी इत्यादि जितनी भी भाषायें हैं, उनको भी आफिशल काम काज में यहां लाया जा सकता है और उनके ज़रिये भी पत्र-व्यवहार किया जा सकता है और लोक-सभा में भी तमिल इत्यादि भाषाओं का बिना इजाज़त इस्तेमाल किया जा सकता है, तो बहुत सी जो गलतफहमी है, वह दूर हो सकती है। इन को यहां पर इस्तेमाल में लाने की जो इजाज़त लेनी पड़ती है, उसकी जरूरत नहीं होनी चाहिये। अगर कोई इन में से किसी भाषा में बोलता है तो मजबूरी की वजह से ही बोलता है। मेरा यह पक्का विश्वास है कि अगर मेरी इस एमेंडमेंट को मान लिया जाता है तो अभी जो हिन्दी के बारे में वहां मूवमेंट शुरू हुआ है और सौ दो सौ आदमी पकड़े गये हैं, वह खत्म हो सकता है और भाषा के नाम पर लोगों को जो भड़काया जा रहा है और उनको एक्सप्लायट किया जा रहा है, वह बन्द हो सकता है। अगर इंडेफिनिट पीरियड के लिए अंग्रेज़ी को रखा जाता है तो कहीं ऐसा न हो कि वह एटर्नल हो जाये जोकि हम कभी नहीं चाहते हैं। रिज़नल लैंगुएजिज़ डिवेलेप हो रही हैं यूनिवर्स्टीज़ वगैरह में मीडियम आफ इंस्ट्रक्शन बन रही हैं। इस दृष्टि से भी और जो नई जैनरेशन आ रही है उसके हित की दृष्टि से भी यह जरूरी है कि अंग्रेज़ी की जगह हिन्दी और रिजनल लैंगुएजिज़ जल्दी आयें। इंग्लिश बहुत कुछ कम हो गई है इसका पता पार्लिमेंटरी कमेटी की जो रिपोर्ट है, उससे चलता है और उससे यह भी पता चलता है कि इसका स्टेंडर्ड गिरता जा रहा है।

चूंकि समय नहीं है इसलिए मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि दक्षिण भारत में जो कुप्रचार हो रहा है और लोगों को एक्सप्लायट किया जा रहा है, उसका अगर आप अन्त करना चाहते हैं और देश की एकता को बनाये रखना चाहते हैं तो इस बात की इजाज़त दें कि बिना इजाज़त रिजनल लैंगुएंजिज़ का इस्तेमाल हो सकता है और इस दृष्टि से मैं ने जो एमेंडमेंट पेश की है, उसको मान लें।

†**श्री हजरनवीस** : श्रीमन्, मुझे खेद है कि मुझे इस संशोधन का विरोध करना पड़ा है यद्यपि इसके भाव के साथ मुझे बड़ी सहानुभूति है । मैं माननीय सदस्य को आश्वासन दिला सकता हूं कि संविधान और संसद् ने हमारे ऊपर जो उत्तरदायित्व डाले हैं उन्हें निभाने के लिये हम सभी उपाय करेंगे । इस आश्वासन के साथ मुझे आशा है कि वह संशोधन को वापस ले लेंगे ।

अध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या १२८ मतदान के लिये रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ ।

अध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या १७१ मतदान के लिये रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ ।

खण्ड–४

†**अध्यक्ष महोदय** : अब विधेयक के खण्ड ४ को लिया जायेगा ।

†**श्री प्रकाश वीर शास्त्री** : मैं अपना संशोधन संख्या ६४ प्रस्तुत करता हूं ।

†**श्री राधेलाल व्यास** : मैं अपना सशोधन संख्या १२९ प्रस्तुत करता हूं ।

†**श्री फ्रैन्क एन्थनी** : मैं अपना संशोधन संख्या ३८ और ३९ प्रस्तुत करता हूं ।

†**श्री यशपाल सिंह** : मैं अपना संशोधन संख्या २० प्रस्तुत करता हूं ।

†**श्री बागड़ी** : मैं अपना संशोधन संख्या १५० प्रस्तुत करता हूं ।

†**श्री बड़े** : मैं अपना संशोधन संख्या ६६ और ६७ प्रस्तुत करता हूं ।

†**श्री बाल्मीकी** : मैं अपना संशोधन संख्या १५१ प्रस्तुत करता हूं ।

†**श्री हजरनवीस** : मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ २, पंक्ति ९ और १०,—

"the President may appoint a Committee consisting of thirty members",

["राष्ट्रपति तीस सदस्यों की एक समिति की नियुक्ति कर सकेगा",]

के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय :—

"there shall be constituted a Committee on Official Language, on a resolution to that effect being moved in either House of Parliament with the previous sanction of the President and passed by both Houses.

(1A) The Committee shall consist of thirty members".

["राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति से और दोनों सभाओं द्वारा पारित किये जाने के बाद संसद् की किसी भी सभा में तत्सम्बन्धी संकल्प प्रस्तुत किये जाने पर राज-भाषा संबंधी एक समिति गठित की जायेगी ।

(१ क) समिति में तीस सदस्य होंगे । "] (१५८)

†**श्री फ्रैन्क एन्थनी** : मैं अपना संशोधन संख्या १६८ प्रस्तुत करता हू ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी** : मैं अपना संशोधन संख्या १७२ प्रस्तुत करता हूं।

†**श्री रंगा** : मैं अपना संशोधन संख्या १६४ प्रस्तुत करता हूं।

†**श्री काशीराम गुप्त** : मैं अपना संशोधन संख्या ७० प्रस्तुत करता हूं।

†**श्री फ्रैन्क एन्थनी** : मैं अपना संशोधन संख्या ४२ और ४३ प्रस्तुत करता हूं।

†**श्री हरि विष्णु कामत** : मैं अपना संशोधन संख्या १६५ प्रस्तुत करता हूं।

†**श्री हजरतवीस** : मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ १, पंक्ति १८ के बाद निम्नलिखित रख दिया जाये,—

"and the President shall cause the report to be laid before each House of Parliament, and sent to all the State Governments."

["और राष्ट्रपति प्रतिवेदन को संसद् की प्रत्येक सभा के सम्मुख रखवायेगा और उसे सब राज्य सरकारों के पास भिजवायेगा"।] (१५९)

†**श्री हरि विष्णु कामत** : मैं अपना संशोधन संख्या १६२ और १६६ प्रस्तुत करता हूं।

†**श्री काशी राम गुप्त** : मैं अपना संशोधन संख्या १६९ और १७० प्रस्तुत करता हूं।

†**डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी** : मैं अपना संशोधन संख्या १७ प्रस्तुत करता हूं।

†**श्री यशपाल सिंह** : मैं अपना संशोधन संख्या २८ प्रस्तुत करता हूं।

†**श्री अ० चं० गुह** : मैं अपना संशोधन संख्या १३३ प्रस्तुत करता हूं।

†**श्री फ्रैन्क एन्थनी** : मैं अपना संशोधन संख्या ४५ और ४६ प्रस्तुत करता हूं।

†**श्री प्रभात कार** : मैं अपना संशोधन संख्या ७५ और ७६ प्रस्तुत करता हूं।

†**श्री अ० चं० गुह** : मैं अपना संशोधन संख्या १३४ प्रस्तुत करता हूं।

†**श्री हजरतवीस** : मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ २, पंक्ति २०,—

"in sub-section (2)," ["उप-खंड (२) में,"] के बाद निम्नलिखित रख दिया जाये,

"and the views, if any, expressed by the State Governments thereon",

["और यदि राज्य सरकारों ने उसके संबंध में कोई विचार अभिव्यक्त किये हों तो वह विचार,"] (१६०)।

†**श्री हरि विष्णु कामत** : मैं अपनी संशोधन संख्या १६३, १६७ और १६१ प्रस्तुत करता हूं।

†**श्री फ्रैन्क एन्थनी** : मेरे पहले संशोधन में यह कहा गया है कि समिति की नियुक्ति २५ वर्ष के बाद होगी और इसमें ३० नहीं अपितु ५० सदस्य होंगे। यह युक्तिसंगत है। भाषा समिति का भी यही मत था कि हिन्दी एक विकासोन्मुख भाषा है और इसे आवश्यकताओं के अनुसार पूर्ण रूप से विकसित होने में कम से कम २५ वर्ष लगेंगे। इसके अतिरिक्त जैसाकि एक माननीय महिला सदस्या ने कहा था कि २५ वर्ष में वर्तमान पीढ़ी हिन्दी का पूर्णरूप से ज्ञान

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री फ्रैंक एन्थनी]

प्राप्त करने के योग्य हो सकेगी। और इस समय में हिन्दी का विरोध भी समाप्त हो जायेगा। संभवतः माननीय गृह-कार्य मंत्री को इस प्रकार की जानकारी न हो किन्तु में शिक्षा बोर्ड के सभापति की हैसियत से यह बात जानता हूं कि अहिन्दी भाषी क्षेत्रों में हिन्दी का विरोध बढ़ रहा है।

त्रिभाषा सूत्र को सर्वप्रथम एक आंग्ल भारतीय स्कूल ने ही स्वीकार किया था। उस सूत्र के अधीन मैंने हिन्दी को द्वितीय अनिवार्य भाषा बना दिया। तुरन्त ही मद्रास और बंगाल ने इसका विरोध किया। तब मैंने इसे तृतीय अनिवार्य भाषा बना दिया। हाल ही में मद्रास ने इसका भी विरोध किया और कहा कि हिन्दी को वैकल्पिक भाषा ही रहने दिया जाये। मद्रास में हिन्दी की शिक्षा एक मज़ाक ही बन कर रह गई है और बंगाल में भी तृतीय अनिवार्य भाषा के रूप में इसे केवल २ वर्ष ही सिखाया जाता है। यह समय हिन्दी का मामूली ज्ञान प्राप्त करने के लिये भी काफ़ी नहीं है। इस प्रकार हिन्दी का विरोध बढ़ रहा है।

हम हिन्दी से घृणा नहीं करते। भाषा से कौन घृणा कर सकता है? मुझे तो इस बात से घृणा है कि हिन्दी के साथ असहिष्णुता, आक्रामक रुख और हर प्रकार की अशिष्टता संबंधित हो गई है। वैसे मैं भी प्रतिदिन हिन्दी पढ़ने का अभ्यास करता हूं। किन्तु हिन्दी के घोर समर्थकों के हृदय से जो घृणा स्रोत झरता रहता है उसे मैं नहीं समझ पाता।

सीनियर कैम्ब्रिज परीक्षा के सभापति होने के नाते मुझे इस बात का भी ज्ञान है कि हमारे स्कूलों में हिन्दी का स्तर हिन्दी भाषी राज्यों के स्तर से भी ऊंचा है। हम हर संभव प्रयत्न कर रहे हैं। यदि अनुचित घृणा और हठधर्मी को छोड़ दिया जाय तो इसकी काफी प्रगति हो सकेगी। इसके लिये अधिक समय की आवश्यकता है।

श्री शास्त्री ने कहा था कि समिति सभा का ही एक छोटा नमूना है। इसमें कोई संदेह नहीं कि सभा के सदस्य अत्यन्त सम्मननीय व्यक्ति ह। किन्तु हमें जानबूझ कर आत्म-प्रवंचना नहीं करना चाहिये। क्योंकि दलबंदी आदि का प्रभाव हर बात में होता है।

पिछली समिति में क्या हुआ था। मैं चाहता था कि वह खुले रूप में काम करें। यह समिति एक महत्वपूर्ण विषय पर विचार कर रही थी। किन्तु मेरी बात की उपेक्षा कर दी गई। मैं ने यह भी कहा कि मद्रास और पश्चिमी बंगाल के मंत्रियों से फिर से विचार-विनिमय किया जाये। क्योंकि इन राज्यों का इस समस्या के प्रति वह दृष्टिकोण नहीं रह गया था जो पहले थे। किन्तु मेरी इस बात को भी सुनवाई नहीं हुई।

फिर मैं ने कहा कि इस प्रकार गुप्त रूप से, साज़िश करने की तरह कार्य करने की क्या आवश्यकता है, कम से कम पत्र-प्रतिनिधियों को तो यहां आने दिया जाये। किन्तु मेरी यह बात भी नहीं सुनी गई। जब समिति के सामने सिफारिशें प्रस्तुत की गईं तो मैंने प्रतिवेदन के बारे में अपनी असहमति व्यक्त की और उसके कारण बताये। श्री अतुल्य घोष ने कहा कि यद्यपि मैं श्री एन्थनी से सहमत हूं तथापि वफादार कांग्रेसी होने के नाते मुझे प्रतिवेदन पर हस्ताक्षर करने ही होंगे।

†**श्री ही० ना० मुखर्जी** (कलकत्ता केन्द्रीय) : मेरा एक औचित्य का प्रश्न है। श्री एन्थनी पिछली संसद द्वारा नियुक्त संसदीय समिति कार्य का उल्लेख कर रहे हैं। क्या संसद में संसदीय समिति में होने वाली कार्यवाही का उल्लेख करने और उसके सदस्यों के विषय में असम्मानपूर्ण बातें कहने की आज्ञा है?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**अध्यक्ष महोदय :** नहीं, किन्तु यह संसदीय समिति नहीं थी ।

†**श्री फ्रैन्क एन्थनी :** यह संवैधानिक समिति थी ।

†**अध्यक्ष महोदय** : न इस पर मेरा नियंत्रण था और न इसे अपना प्रतिवेदन ही संसद को प्रस्तुत करना था । यद्यपि सामान्य प्रथा के अनुसार यह समिति के प्रति न्यायपूर्ण और उचित बात ही होगी यदि उसमें हुई बातों की चर्चा न की जाये ।

†**श्री फ्रन्क एन्थनी :** मेरा कहना तो केवल यही था कि कार्य गुप्त रूप से किया गया था ।

श्री शास्त्री ने राज्य विधान सभाओं के विचार जानने संबंधी जो संशोधन किया उससे स्थिति में अधिक सुधार नहीं हुआ । यदि सिफारिशें संसद द्वारा दी जाये तो उचित होगा । समिति केवल प्रतिवेदन में । सभा में सारी कार्यवाही खुले रूप में होगी । एक छोटी समिति में सदस्यों को निर्देश दिये जा सकते है ।

अनिवार्य जमा योजना विधेयक—जारी

†**अध्यक्ष महोदय :** अब हम अनिवार्य जमा योजना विधेयक को लेंगे ।

†**श्री प्रभात कार :** श्री जैन ने एक संवैधानिक आपत्ति उठाई थी और उसपर चर्चा हो रही थी । इस संबंध में सभा में मतभेद था कि क्या यह संविधान की शक्ति से परे है । इसलिये यह प्रस्ताव किया गया था कि महान्यायवादी सभा में आकर इस पर प्रकाश डालें । श्री जैन ने आपसे भी इस विषय पर विनिर्णय देने की प्रार्थना की थी । मेरा निवेदन है कि विधेयक पर चर्चा आरम्भ करने के पूर्व इस विषय का निर्णय कर लिया जाये, क्योंकि यह समस्या अत्यन्त महत्वपूर्ण है ।

†**श्री अ० प्र० जैन** (तुमकुर) : में एक औचित्य का प्रश्न उठाना चाहता था । सुस्थित संसदीय प्रथा के अनुसार अध्यक्ष के न आंखें होती हैं न कान । सभा की आंखें ही उसकी आंखें हैं और सभा के कान उसके कान । ३०० वर्ष पूर्व जब चार्ल्स द्वितीय अपने सैनिकों के साथ दो सदस्यों को गिरफ्तार करने संसद मैं आया था तब वहां के अध्यक्ष ने उससे यही कहा था सभा की आंखें ही मेरी आंखें है और उसके कान ही मेरे कान । उन्होंने सदस्यों को राजा के सुपुर्द नहीं किया । इसका आशय यह है कि अध्यक्ष सभा को राय का आदर करता है । सभा की इच्छा महान्यायवादी का भाषण सुनने की है । हम आपके माध्यम से ही अपनी इच्छाओं को प्रकट कर सकते है । इसलिये मेरा निवेदन है कि आप उस स्वस्थ परम्परा का पालन करके महान्यायवादी को सभा में बुलायें ।

†**अध्यक्ष महोदय :** क्या माननीय मंत्री इस विषय में कुछ कहेंगे ।

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) :** क्या मैं इसी प्रश्न पर.....

†**अध्यक्ष महोदय :** महान्यायवादी को बुलाने के प्रश्न पर । इसके विषय में सब ओर से इच्छा व्यक्त की गई है ।

†**श्री मोरारजी देसाई :** मेरे हृदय में माननीय सदस्यों, सभा और आपके प्रति असीम आदर की भावना है । किन्तु इसका यह अर्थ नहीं है कि मैं हर इच्छा को स्वीकार कर लूं चाहे यह

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री मोरारजी देसाई]

सर्वसम्मत ही क्यों न हो । कुछ बातों के संबंध में मनुष्य को अपना कर्तव्य निभाना होता है । में किसी गलत परम्परा अथवा निरूढ़ि का कायम करने में सहयोग देना नहीं चाहता। महान्यायवादी सरकार का अधिकारी है । केवल सरकार ही उसे बुला सकती है । मैं नहीं समझता कि सभा उसे बुला सकती है । संविधान में ऐसा कोई उपबन्ध नहीं है । (**अन्तर्बाधाएं**)

†**अध्यक्ष महोदय** : शांति, शांति । हमें उनका भाषण सुनना चाहिये ।

†**श्री मोरारजी देसाई** : मैं समझता हूं कि मुझे अपना दृष्टिकोण प्रकट करने का अधिकार है। अन्ततः यह अध्यक्ष पर ही निर्भर है कि वह इसे स्वीकार करें चाहे न करें । मैं इस बात का कभी विरोध नहीं करता। उनका विनिर्णय सभी के लिये अन्तिम है ।

मैं समझता हूं केवल एक या दो बार वह सभा में आया है । और वह भी सरकार द्वारा बुलाये जाने पर किसी और के बुलाने पर नहीं । वह सरकार का सलाहकार है संसद् का नहीं । सरकार को जब आवश्यकता होती है तब वह निश्चय ही उसे बुलाती है और उसे संविधान के अनुसार सभा में बोलने का अधिकार है । यदि उस अनुच्छेद में उसे बुलाने का अधिकार नहीं दिया गया होता तो सरकार उसे यहां भी नहीं बुला सकती थी । उस अनुच्छेद में और किसी बात का उल्लेख नहीं है। इसलिये मैं इसी बात पर जोर दूंगा कि सरकार ही उसे बुला सकती है ।

मैं नहीं समझता कि महान्यायवादी को यहां सलाह देने के लिये बुलाने से कोई प्रयोजन सिद्ध होगा। क्योंकि वह भी एक एडवोकेट ही हैं । एडवोकेट का दृष्टिकोण कुछ हो सकता है और न्यायालय का दूसरा । वह हमारे लिए अन्तिम है । किन्तु एडवोकेटों में परस्पर मतभेद हो सकता है। मेरे माननीय मित्र बहुत योग्य एडवोकेट हैं। उनके वक्तृत्व का ज्ञान मुझे कल हुआ यद्यपि मैं उनसे सहमत नहीं था । दो एडवोकेटों में मतभेद हो सकता है और दोनों ही यह समझ सकते हैं कि वे विधि अथवा विधि के निर्वचन के सम्बन्ध में ठीक हैं। किन्तु अन्त में न्यायाधीश का ही मत अन्तिम समझा जाता है और वह भी हमेंशा नहीं । केवल उच्च न्यायालय ही अन्तिम प्राधिकार है . . . . ।

†**एक माननीय सदस्य** : आप इसको उच्चतम न्यायालय को क्यों नहीं भेज देते हैं ?

†**श्री मोरारजी देसाई** : न्यायाधीशों में भी आपस में मतभेद होता है। इसलिये मैं अटौरनी जनरल को बुलाने की सभा की मांग को स्वीकार नहीं कर सकता हूं ।

†**श्री अ० प्र० जैन** : क्या उनको पहली बार बुलाया जा रहा है ?

†**श्री हरि विष्णु कामत** : मैं माननीय मंत्री के कथन का विरोध दो कारणों से करता हूं । पहली बात उन्होंने यह कही कि उनको सभा में बुलाने का अधिकार केवल सरकार का है तथा सभा का नहीं है । मैं उनको याद दिलाता चाहता हूं कि मैंने कल आपसे प्रश्न पूछा था कि क्या अटौरनी जनरल स्वतः संसद् में आ सकते हैं तो आपने उत्तर दिया था कि 'जी हां' । परन्तु माननीय मंत्री ने आपकी इस बात का खंडन किया ।

दूसरी बात उन्होंने कही कि अटौरनी जनरल, का काम संसद् को सलाह देने का नहीं है । कल मैंने इसी सम्बन्ध में संविधान में अनुच्छेद ७६ तथा ८८ का उल्लेख किया था । इन दोनों अनुच्छेदों में से यदि हम अनुच्छेद ८८ को देखें तो मालूम होता है कि अटौरनी जनरल संसद् को भी सलाह दे सकता है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

मुझे अच्छी तरह याद है कि अन्तर्कालीन संसद् में जब निवारण निरोध विधि पर विचार हो रहा था तब उस समय के गृह-कार्य मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सभा की मांग होने पर अटौरनी जनरल को तुरंत सभा में बुला लिया था।

आज केवल वित्त तथा निर्माण, आवास तथा पुनर्वास मंत्री को छोड़ कर लगभग सभी सदस्य जब अटौरनी जनरल की राय सुनने को उत्सुक हैं तो वित्त मंत्री को उन्हें सभा में बुलाना चाहिए जिससे संसद् की उच्च प्रतिष्ठा बनी रहे।

†**श्री ही० ना० मुकर्जी :** मेरा निवेदन है कि संविधान के अधीन अटौरनी जनरल को संसद् में भाषण देने का अधिकार है। वह एक स्वतंत्र अधिकारी है और अपनी इच्छा से भी संसद् में भाषण दे सकता है। इसलिए मेरा आपको सुझाव है कि आप संसद् के प्रतिनिधि के रूप में उनको नियंत्रित करें जिससे वह वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तुत इस विधेयक की वैधता के बारे में अपनी राय हमको दें।

†**श्री मोरारजी देसाई :** अटौरनी जनरल अनुच्छेद ७६ के अधीन नियुक्त किया जाता है। उसका कर्त्तव्य है कि कानूनी मामलों पर वह सरकार को सलाह दे तथा विधि सम्बन्धी ऐसे काम भी करे जो राष्ट्रपति उन्हें सौंपे। इसलिए उसके स्वतंत्र होने अथवा स्वतः सलाह दे का प्रश्न नहीं उठता है।

इसलिये वह अपनी इच्छा से कोई सलाह नहीं दे सकता है। जब उससे सरकार किसी प्रकार की सलाह मांगें तभी वह अपनी सलाह दे सकता है। इसीलिए मैं इस मांग को मानने को तैयार नहीं हूँ।

†**श्री दाजी :** वित्त मंत्री ने अनुच्छेद ७६ (२) का आधा भाग ही पढ़ा है। जितना उन्होंने पढ़ा है उससे आगे लिखा है कि संविधान के अधीन अथवा किसी अन्य विधि के अधीन उनको सौंपे गये कार्यों को भी वह करेंगे।

इसके साथ यदि अनुच्छेद ८८ को मिला कर पढ़ा जाये तो स्पष्ट हो जाता है कि यदि संसद् अथवा अध्यक्ष चाहे तो अटौरनी जनरल को सभा में सम्मति लेने के लिए बुला सकता है।

†**श्री स० मो० बनर्जी :** मैं भी यही समझता हूं कि यदि आप उनको चाहें तो सम्मति लेने के लिए बुला सकते हैं।

†**श्री कपूर सिंह :** मेरा एक नम्र निवेदन है कि बहुत से माननीय सदस्य यह समझते हैं कि वह इस मामले पर स्वतन्त्रता से तथा निष्पक्षता से अपना मत तब तक नहीं दे सकते हैं जब तक वह अटौरनी जनरल की सलाह न सुन लें। उनकी आप से प्रार्थना है कि आप कृपा करके उनको सलाह दिला दें। यदि इस सलाह को नहीं दिलवाया जाता है तो ऐसा करना प्रतिष्ठा के अनुकूल नहीं होगा।

†**श्री राधे लाल व्यास :** अध्यक्ष महोदय यह बताया गया कि अटौरनी जनरल सविधान तथा अन्य विधियों में बताये गये कामों को करेगा। परन्तु किसी भी माननीय सदस्य ने यह नहीं बताया कि उनके क्या काम हैं।

अनुच्छेद ८८ का उल्लेख किया गया कि अटौरनी जनरल को सभा में भाषण करने का अधिकार है। परन्तु उसको सभा बाध्य नहीं कर सकती कि वह यहां आ कर अपना भाषण

---

†मूल अंग्रेज़ी में

[श्री राधेलाल व्यास]

अवश्य दे। यह सुझाव दिया गया कि अटौरनी जनरल को सभा में बुलाने की सभी सभासदों की राय है। परन्तु आपको इसके साथ साथ नियमों को भी तो देखना होगा। यदि नियमों में ऐसा करने की प्रक्रिया नहीं दी गई है तो सभा द्वारा सर्वसम्मति से कोई बात स्वीकार कर लिये जाने पर भी आप अटौरनी जनरल को आदेश नहीं दे सकते हैं कि वह यहां आ कर अपनी राय दें।

†**श्री शिवाजी राव शं० देशमुख** : अभी श्री राधेलाल व्यास ने अनुच्छेद ८८ का जो अर्थ लगाया है मैं समझता हूं कि उन्होंने वह ग़लत लगाया है। संविधान के अनुच्छेद ८८ के द्वारा अटौरनी जनरल को सभा में भाषण देने का अधिकार है ऐसा उन्होंने बताया परन्तु मैं समझता हूं कि इस अनुच्छेद के द्वारा अटौरनी जनरल पर सांविधानिक जिम्मेदारी आ जाती है कि वह अपना भाषण यहां पर आ कर दें। इस प्रकार अटौरनी जनरल का सभा में वही अधिकार हो जाता है जो सभा में मंत्री को है। कई मंत्री सभा के सदस्य भी नहीं होते हैं परन्तु उनको सदस्य ध्यान दिलाने की सूचना आदि के द्वारा सभा में बुला सकते हैं। इसलिये मैं समझता हूं कि इस सभा में उनको सदस्यों द्वारा बुलाया जा सकता है और वह केवल परामर्श ही नहीं अपितु संसद् की कार्यवाही में भाग ले सकते हैं। अनुच्छेद ७६ के द्वारा तो अनुच्छेद ८८ का नियंत्रण मात्र है।

†**डा० मा० श्री अणे** : अटौरनी जनरल की पदस्थिति की परिभाषा कितने ही सदस्यों द्वारा यहां पर की जा चुकी है। प्रश्न केवल यह है कि यदि हम उनका परामर्श चाहें अथवा उनको बुलाना चाहें तो किस प्रकार बुला सकते हैं। मैं समझता हूं कि वह या तो सभा में सदस्य बन कर आ सकते हैं या सरकार उनको बुलाये तब आ सकते हैं। हां, सभा यदि चाहे तो उनका नाम-निदशन समिति में आवाद कर सकती है।

†**अध्यक्ष महोदय** : यह ठीक है कि अध्यक्ष की कोई स्वतंत्र सम्मति नहीं हो सकती है और उसका पथ प्रदर्शन सभा ही करती है। यह बात ठीक है और मैं इसका समर्थन करता हूं।

अनुच्छेद ७६ का बार बार उल्लेख किया गया। इसमें अटौरनी जनरल की नियुक्ति, कर्त्तव्य आदि बताये गये हैं। अनुच्छेद ८८ में अटौरनी जनरल को सभा में बोलने का अधिकार दिया गया है और इन्हीं अधिकारों के आधार पर वह कर्त्तव्य पालन करते हैं। यह अधिकार उनको दिया जाना ज़रूरी है। परन्तु यह कहना ग़लत है कि अटौरनी जनरल को मंत्री के समान ही अधिकार होते हैं। मंत्रियों को बहुत से अन्य काम भी करने होते हैं।

माननीय सदस्य अटौरनी जनरल की सलाह लेना चाहते हैं। अब प्रश्न यह रह जाता है कि क्योंकि सरकार उनको सभा में बुलाना नहीं चाहती है तो मुझको उन्हें बुलाना चाहिये। परन्तु किसी भी सदस्य ने मुझे यह नहीं बताया कि कभी अध्यक्ष से अटौरनी जनरल को सभा में पहले कभी बुलाया था और ऐसा पूर्व दृष्टान्त है।

†**श्री कपूर सिंह** : इसको पूर्व दृष्टान्त बनाइये।

†**श्री शिवाजी राव शं० देशमुख** : नया पूर्वदृष्टान्त बनाइये।

†**अध्यक्ष महोदय** : मैं सभा का मार्गदर्शन चाहता हूं। क्या संविधान अथवा अन्य किसी विधि में ऐसा उपबन्ध है कि अध्यक्ष अटौरनी जनरल को बुलाये।

---

†मूल अंग्रेजी में

दूसरा नकरात्मक पहलू है कि क्या अध्यक्ष को ऐसा न करने का कोई उपबन्ध है । इसका उत्तर देना बड़ा कठिन है। यद्यपि मेरे पर कोई प्रतिबन्ध नहीं है। परन्तु मैंने सभी लोकतंत्र की प्रक्रियाओं को देखा और पाया कि ऐसे मामलों में सभा पर छोड़ दिया जाता है कि जैसा वह चाहे निर्णय करे। यदि सरकार कोई काम नहीं कराना चाहती तो सभा उस सरकार को ही बदल सकती है।

यह कहा गया कि इस संबंध में सभा एकमत है। इसका उत्तर देते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि सभा के एकमत होने पर भी वह उसकी बात नहीं मानेंगे। मुझे उनका यह कहना उचित नहीं लगा।

†**श्री मोरारजी देसाई :** मैं इसको संविधान के विपरीत समझता हूं। मैंने यह कहा था।

†**अध्यक्ष महोदय** : यदि सभा एकमत भी हो तो भी ?

†**श्री मोरारजी देसाई :** यदि सभा में एकमत भी हो तो भी मेरा यह अधिकार है तथा कर्त्तव्य है कि संविधान के विपरीत होने पर मैं इसको स्वीकार नहीं करता हूं।

†**अध्यक्ष महोदय:** यदि सिद्धान्ततः इसका यह अर्थ भी लगाया जाये तो भी मैं यही कहूंगा कि एक जिम्मेवार सरकार को यह कहना नहीं चाहिए कि सभा एकमत हो तो भी सरकार यह काम नहीं करेगी, कहना उचित नहीं है। (**हर्ष ध्वनि**) ऐसा कहना ठीक नहीं है क्योंकि मैं जो आगे कहने जा रहा हूं संभवतया वह अच्छा न लगे। (**अन्तर्बाधा**)।

हमें कुछ प्रथायें बनानी हैं इसलिये इन बातों पर गंभीरता से विचार किया जाना चाहिए। मैं पूर्णतया निश्चित हूं कि मैं स्वयं महान्यायवादी को सभा में भाषण देने के लिए नहीं बुला सकता हूं। सभा अपनी राय जाहिर कर सकती है और उनको बुलाना काम सरकार का है। यदि सरकार उनको बुलाने की आवश्यकता नहीं समझती है तथा अधिकांश सदस्य यह चाहते हैं कि उनको बुलाया जाना चाहिए तो सदस्यों को इस पर मतदान करना चाहिए। यह अवसर नहीं है कि मैं अटौरनी जनरल को बुलाऊं तथा न ही उन नये अधिकारों का उपयोग करना चाहता हूं जिनको मैं समझता हूं कि मुझे मिले ही नहीं है।

†**श्री हरि विष्णु कामत** श्रीमान मैं एक स्पष्टीकरण चाहता हूं। मैं आशा करता हूं कि आपका अभी भी यही मत है कि अटौरनी जनरल स्वतः भी संसद में आ सकते हं...

†**अध्यक्ष महोदय :** अनुच्छेद ८८ के अधीन उनको यह अधिकार प्राप्त है कि वह मंत्रियों के समान सभा में आकर भाषण दे सकते हैं। कल मैं इसी का उल्लेख कर रहा था। वह आकर कार्यवाही में भाग ले सकते हैं।

†**श्री हरि विष्णु कामत :** यदि कल महामान्यवादी जनरल संसद सदस्यों के सामने भाषण देना चाहें तो सरकार उनको रोक सकती है ?

†**अध्यक्ष महोदय** : यह काल्पनिक है (**अन्तर्बाधा**)

†**श्री अ० प्र० जैन :** मैं प्रस्ताव प्रस्तुत करना चाहता हूं।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री त्यागी** (देहरादून): यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। मेरा आपसे अनुरोध है कि आप सरकार को सोचने का तथा निर्णय करने का समय दें। हमें जल्दबाजी में कोई निर्णय नहीं करना चाहिए।

†**अध्यक्ष महोदय** : यह निर्णय भी सरकर को ही लेना है।

श्री अ० प्र० जैन : आपने कहा कि आप अपने अधिकार का प्रयोग नहीं करना चाहते हैं। इसलिए मैं प्रस्ताव करता हूं :—

"कि सभा की इच्छा है कि महान्यायवादी के विचार इस संबंध में सुने जायें. . ."

†**श्री मोरारजी देसाई** : यह किस नियम के अधीन प्रस्तुत किया जा रहा है।

†**श्री अ० प्र० जैन** : 'कि क्या अनिवार्य जमा योजना विधेयक से पूर्णतः अथवा आंशिक रूप में संविधान का उल्लंघन होता है।'

†**श्री स० मो० बनर्जी** : मैं इसका समर्थन करता हूं।

†**श्री कपूर सिंह** : मैं भी इसका समर्थन करता हूं।

†**श्री त्यागी** : मेरा निवेदन है कि इस पर आज निर्णय नहीं किया जाना चाहिए।

†**श्री रंगा** : मेरा भी एक सुझाव है। इसको कल तक के लिए स्थगित किया जाना चाहिए जिससे शांति से इसपर निर्णय हो सके।

†**श्री मोरारजी देसाई** : मैं इस सभा का आदर करता हूं तथा यह नहीं समझा जाना चाहिए कि मैं इस सभा से अलग हूं। परन्तु मैं यह नहीं समझ सका हूं कि सभा में ऐसे विषय के बारे में कोई प्रस्ताव किस प्रकार प्रस्तुत किया जा सकता है जो सभा के अधिकार में नहीं है।

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय मंत्री का यह कहना कि जब सभा महान्यायवादी को बुलाने के लिए सक्षम नहीं है तो उसके बारे में प्रस्ताव को किस प्रकार लिया जा सकता है। मैं इस पर विचार करूंगा कि इसको प्रस्तुत करने की अनुमति दी जा सकती है कि नहीं। इस समय इसका उत्तर देने को मैं तैयार नहीं हूं। इसलिए मैं सभा को स्थगित करता हूं।

इस के पश्चात् लोक-सभा शनिवार, २७ अप्रैल, १९६३ / ७ वैशाख, १८८५ (शक) के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई।

---

†मूल अंग्रेजी में

शुक्रवार, २६ अप्रैल, १९६३
६ वैशाख, १८८५ (शक)

विषय पृष्ठ

प्रश्नों के मौखिक उत्तर . . . . . .

तारांकित
प्रश्न संख्या

१०४७ कैमरों का कारखाना ५२५१–५२
१०४८ भारतीय माल ले जाने वाला जहाज . ५२५२–५३
१०४९ हिन्दू धार्मिक धर्मस्व आयोग . ५२५३—५५
१०५० सरकारी क्षेत्र के उपक्रम . . ५२५५—५९
१०५१ जापानी दल द्वारा भारत का दौरा . ५२५९—६२
१०५२ आभूषणों का निर्यात . . ५२६२–६३
१०५३ बोकारो इस्पात संयंत्र . . . . ५२६३—६५
१०५४ इस्पात कारखानों का विस्तार . . . ५२६५—६७
१०५५ भारतीय उद्योग में ईंधन दक्षता . ५२६७—६९
१०५७ कोयला परिवहन समस्यायें . . . . ५२६९—७१
१०६१ एशियाई आर्थिक विकास संस्था . . ५२७१—७२
१०६२ वस्त्र उद्योग के लिये फ्रांसीसी सूत नम्बर (काउन्ट) प्रणाली ५२७२–७३
१०६३ मोटर गाड़ियों के पुर्जों का आयात . . . ५२७३–७६
१०६४ निर्यात व्यापार संवर्द्धन . . . . ५२७६—७८

प्रश्नों के मौखिक उत्तर . . . . . ५२७८—५२०२

तारांकित
प्रश्न संख्या

१०५६ अनकामलि में ट्रांसफारमर का कारखाना . . ५२७८–७९
१०५८ सिलाई की मशीन के पुर्जे ५२७९
१०५९ पुनर्वास उद्योग निगम द्वारा ऋण . ५२७९
१०६० उर्वरक कारखाना उपकरण की खरीद . . ५२७९–५२८०
१०६५ दुर्गापुर में विशेष इस्पात संयंत्र . . . ५२८०
१०६६ मशीनों का उत्पादन . . . ५२८०–८१

विषय पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर—जारी

अतारांकित प्रश्न संख्या

२३६४	घड़ियों का निर्माण . . .	५२८१
२३६५	उत्तर प्रदेश में औद्योगिक सहकारी समितियां . .	५२८१
२३६६	उड़ीसा में हथकरघा बुनकरों के लिये मकान . .	५२८१—८२
२३६७	उड़ीसा में कुटीर उद्योग	५२८२
२३६८	उड़ीसा में दस्तकारी पण्यशालायें . . .	५२८२–८३
२३६९	लघु आविष्कार विकास बोर्ड . . .	५२८३
२३७०	कारतूसों की कीमत	५२८३–८४
२३७१	इस्पात की ट्यूबों का उत्पादन और वितरण . .	५२८४
२३७२	चमड़े के कारखाने	५२८४
२३७३	औद्योगिक खतरे	५२८५
२३७४	नारियल जटा की वस्तुयें .	५२८५
२३७५	औद्योगिक संयंत्र तथा मशीनरी . . .	५२८५–८६
२३७६	भट्टों का तेल .	५२८६
२३७७	मैंगनीज का निर्यात . . .	५२८६–८७
२३७८	मद्रास राज्य में लघु और कुटीर उद्योग . . .	५२८७
२३७९	मद्रास में भारी उद्योग .	५२८७
२३८०	औद्योगिक आर्थिक सर्वेक्षण . .	५२८७–८८
२३८१	पंजाब के पिछड़े क्षेत्रों का कल्याण . .	५२८८
२३८२	चाय मशीनरी की किराया-खरीद योजना	५२८८–८९
२३८३	बिहार में काइनाइट की खानें	५२८९
२३८४	धातुमिश्रित इस्पात संयंत्र . . .	५२८९
२३८५	आयात तथा निर्यात विनियमों का उल्लंघन .	५२९०
२३८६	वस्त्र सामग्री की कमी . .	५२९०
२३८७	मुस्लिम विद्यार्थियों के संबंध में जांच समिति	५२९०–९१
२३८८	पानी के मीटर	५२९१
२३८९	बुनकर सेवा केन्द्र . .	५२९२
२३९०	व्यापार अन्तर . . .	५२९२
२३९१	मैंगनीज और लौह अयस्क का निर्यात .	५२९३
२३९२	ग्रामीण कारीगरों के लिये 'क्लस्टर' संस्था योजना	५२९४

विषय **पृष्ठ**

प्रश्नों के लिखित उत्तर--जारी

अतारांकित
प्रश्न संख्या

२३९३ व्यापार प्रतिनिधिमंडल . ५२९४
२३९४ पंजाब में छोटे पैमाने के उद्योग ५२९४
२३९५ पंजाब में चाय का उत्पादन . ५२९५
२३९६ बरेली में औजारों का कारखाना . . ५२९५
२३९७ जम्मू तथा काश्मीर में दिए गए आयात लाइसेंस ५२९५
२३९८ खादी का निर्यात . . ५२९६
२३९९ दिल्ली में लघु उद्योगों को ऋण . ५२९६
२४०० आयरलैण्ड को चाय का निर्यात . . ५२९६
२४०१ औद्योगिक कार्यों के लिए इस्पात का आयात . ५२९७
२४०२ सांभर में 'वाशरी' व सोडियम सल्फेट निकालने का संयंत्र ५२९७
२४०३ नमक की टिकियों का निर्माण . ५२९८
२४०४ चाय बागानों को ऋण . . ५२९८
२४०५ वस्त्र आयुक्त के कार्यालय में गजेटड अफसर ५२९९
२४०६ पंजाब के लघु उद्योग . . ५३००
२४०७ जापान के व्यापार शिष्टमंडल . . ५३००
२४०८ रेशम का आयात . . . ५३०१
२४०९ मैक्सिको का व्यापारिक प्रतिनिधिमंडल . ५३०१
२४१० उड़ीसा में मशीनी औजार कारखाना ५३०१--०२
२४११ औद्योगिक बस्तियां . . . ५३०२
२४१२ राज्य व्यापार निगम . . . ५३०२
२४१३ विदेशी मुद्रा की बरबादी . . ५३०२

सभा पटल पर रखे गये पत्र ५३०३

(१) कॉफी अधिनियम, १९४२ की धारा ४८ की उपधारा (३) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति:—

(एक) दिनांक १३ अप्रैल, १९६३ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ६३० में प्रकाशित कहवा (दूसरा संशोधन) नियम, १९६३।

(दो) दिनांक १३ अप्रैल, १९६३ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ६३२ में प्रकाशित कहवा (तीसरा संशोधन) नियम, १९६३।

विषय पृष्ठ

सभा पटल पर रखे गये पत्र—जारी

(२) निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति:—

(एक) समवाय अधिनियम, १९५६ की धारा ६४२ की उप-धारा (३) के अन्तर्गत दिनांक १३ अप्रैल, १९६३ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ६२८ में प्रकाशित समवाय (केन्द्रीय सरकार की) सामान्य नियम तथा प्रपत्र (दूसरा संशोधन) नियम, १९६३।

(दो) समवाय अधिनियम, १९५६ की धारा ६४१ की उप-धारा (३) के अन्तर्गत उक्त अधिनियम की अनुसूची १० में कुछ और परिवर्तन करने वाली दिनांक १३ अप्रैल, १९६३ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ६२९।

(३) निम्नलिखित प्रतिवेदनों से सम्बन्धित प्राक्कलन समिति की बैठकों के कार्यवाही-सारांश की एक-एक प्रति:—

(एक) परिवहन तथा संचार मंत्रालय (संचार तथा असैनिक उड्डयन विभाग)—असैनिक उड्डयन विभाग के बारे में उन्तीसवां प्रतिवेदन।

(दो) सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय (विद्युत्)—केन्द्रीय जल तथा विद्युत् आयोग (विद्युत् विभाग); केन्द्रीय विद्युत् प्राधिकार; केन्द्रीय विद्युत् बोर्ड; केन्द्रीय सिंचाई तथा विद्युत् बोर्ड (विद्युत्)—विद्युत् अनुसंधान संस्था के बारे में तीसवां प्रतिवेदन।

राज्य सभा से सन्देश ५३०४

सचिव ने राज्य सभा से प्राप्त एक सन्देश की सूचना दी कि राज्य सभा को, विनियोग (संख्या २) विधेयक, १९६३ के बारे में, जो लोक-सभा द्वारा १९ अप्रैल, १९६३ को पारित किया गया था, कोई सिफारिश नहीं करनी है।

मंत्री द्वारा वक्तव्य . . . . . ५३०४—०६

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री स० का० पाटिल) ने १९६३-६४ की फसल में चावल और गेहूं के मूल्य संधारण के लिये सहायता के बारे में एक वक्तव्य दिया।

विधेयक विचाराधीन . . . ५३०७—५२

(१) राज भाषायें विधेयक पर खंडवार चर्चा जारी रही। खंड ३ स्वीकृत हुआ। खंड ४ पर चर्चा आरम्भ हुई किन्तु समाप्त नहीं हुई।

विषय **पृष्ठ**

विधेयक विचाराधीन—जारी

(२) अनिवार्य जमा योजना विधेयक के खंड ४ पर अग्रेतर चर्चा जारी रही किन्तु समाप्त नहीं हुई।

शनिवार, २७ अप्रैल, १९६३/६ वैशाख १८८५ (शक) के लिये कार्यावलि

(१) राज भाषायें विधेयक और (२) अनिवार्य जमा योजना विधेयक पर खंडवार अग्रेतर चर्चा तथा इनका पारित किया जाना; बंगाल वित्त (बिक्री कर) (दिल्ली संशोधन) विधेयक पर चर्चा तथा इसका पारित किया जाना और गैर-सरकारी सदस्यों के संकल्पों पर चर्चा।

GMGIPND—LS III—578 (Ai) LSD— 14-6-63—160.

P.L.S. 41 XVIII. 52. 63
160

© १९६३ प्रतिलिप्यधिकार लोक-सभा सचिवालय को प्राप्त ।

लोक-सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन सम्बन्धी नियम (पांचवां संस्करण) के नियम ३७९ और ३८२ के अन्तर्गत प्रकाशित और भारत सरकार मुद्रणालय, नई दिल्ली की संसदीय शाखा में मुद्रित ।